बृहस्पतिवार,
१८ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.42

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १८ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान को सैनिक भाण्डारों का सम्भरण

*११४१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभाजन के पश्चात् इंगलैण्ड से खरीदे गये सैनिक भाण्डारों का कोई अंश पाकिस्तान को दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन भाण्डारों का मूल्य प्राप्त हो चुका है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारत सरकार ने जिन प्रतिरक्षा भाण्डारों की इन्डेन्ट विभाजन के पश्चात् बनाई थी उनका कोई अंश पाकिस्तान को नहीं दिया गया । किन्तु पाकिस्तान सरकार को अविभक्त भारत सरकार द्वारा इन्डेन्ट बनाये गये, किन्तु विभाजन के पश्चात् प्राप्त हुये भाण्डारों में से कुछ भाग मूल्य चुका कर प्राप्त करने का अधिकार था । इस व्यवस्था के अनुसार इंगलैण्ड तथा अन्य स्थानों से विभाजन के पश्चात् भारत को प्राप्त इस प्रकार के भाण्डारों का कुछ अंश पाकिस्तान को दे दिया गया है ।

(ख) नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : विभाजन के समय भारत में जो भाण्डार थे क्या हमने उसमें से पाकिस्तान को उसका भाग दे दिया है ?

श्री त्यागी : जी हां, विभाजन होने से पूर्व भारत के जो भाण्डार थे उन में से पाकिस्तान के भाग का अधिकांश उसे दिया जा चुका है, किन्तु विभाजन के पश्चात् भारत में आये हुये भाण्डारों में से पाकिस्तान के भाग के रूप में उसे केवल १४ लाख रूपये के मूल्य के भाण्डार दिये गये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या विभाजन के समय पाकिस्तान में भी कुछ रह गया था जिसमें से हमें कुछ भाग लेना था और यदि हां, तो क्या वह भाग पाकिस्तान ने हमें दे दिया है ?

श्री त्यागी : उनसे हमें जो भाग लेना है उसका हमें उन्होंने पूरा भाग नहीं दिया है । वह प्राप्त नहीं हुआ है ।

सरदार हुकम सिंह : इस प्रकार जब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बहाना नहीं था कि सैनिक सहायता लेने की आवश्यकता इस कारण हुई क्योंकि भारत ने विभाजन से पूर्व भारत में छोड़े गये भाण्डारों में से पाकिस्तान का भाग देने से इन्कार कर दिया

था, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के उस आरोप का खण्डन करने के लिये कुछ किया है ?

श्री त्यागी : भाण्डारों का आदान प्रदान बदले के आधार पर नहीं हो रहा था। आदान-प्रदान के कारण भाण्डार तोल कर माल के डिब्बों में भरकर एक ओर से दूसरी ओर आ जा रहे थे और अन्त में हिसाब लगाने पर हमने देखा कि उनका जितना भाग था उस में से अधिकांश उन्हें भेज दिया गया है और हमारा जितना भाग था उस में से अधिकांश हमें नहीं मिला ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है और यदि विदित है तो क्या उसने पाकिस्तान के भूतभूर्व ब्रिटिश प्रधान सेनापति द्वारा दिये गये उस वक्तव्य को प्रचारित किया है जो कि कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है ? वह समाचार इस प्रकार है :–

> "जनरल मैस्सर्वी ने सैनिक भाण्डारों के विभाजन सम्बन्धी विवाद का उल्लेख करते हुये इस बात की पुष्टि की कि भारत ने अपना कर्त्तव्य पूरा किया और भाण्डारों को भेजा, किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी को भी यह पता नहीं कि पाकिस्तान को जो बहुत सी सामग्री भेजी गई उसका क्या हुआ । "

यह समाचार कल ही बरेली से प्रकाशित हुआ है ।

श्री त्यागी : इसका उत्तर तो पाकिस्तान सरकार को देना चाहिये, हमें नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

*११४३. **सेठ गोविन्द दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५३ और जनवरी, १९५४ में हिन्दी पढ़ने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी थी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : सितम्बर, १९५३ में ६१९ और जनवरी, १९५४ में ५०६ ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो संख्या सितम्बर से जनवरी तक में घट गई है, इस का क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने विद्यार्थियों की संख्या में इस कमी के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया था और उसे इसके कई कारण पता लगे जैसे कि स्वेच्छा से प्रविष्ट होना, छुट्टी चले जाना, बीमारी, घरेलू कारणों से कुछ समय के पश्चात् जाना छोड़ देना इत्यादि ।

सेठ गोविन्द दास : क्या हिन्दी सीखने वाले इस प्रकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिले जिससे कि वे और अधिक संख्या में यहां पर आ सकें और आगे चलकर जो उनकी तरक्कियां होने वाली हैं, उनमें भी इस सम्बन्ध में कोई विचार किया जाये, इस प्रकार की कोई सरकारी योजना बनाई जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि पदाधिकारियों के लिये हिन्दी सीखना सरल हो जाये । पढ़ाई कार्य के घंटों के अतिरिक्त समय में होती है और पढ़ाई के केन्द्र इस प्रकार बनाये गये हैं जिस से कि किसी विशेष स्थान में रहने वाले पदाधिकारियों को पढ़ाई के लिये वहां जाने में कठिनाई न हो ।

सेठ गोविंद दास : मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला कि उस में क्या खास प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । जो अच्छी प्रकार

हिन्दी नहीं समझते उनके लाभ के लिये उन्हें अन्ग्रेजी में प्रश्न पूछने चाहियें ।

सेठ गोविन्द दास : मैं इसे अंग्रेज़ी में पूछ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । अगली बार सही ।

विश्व-भारती

*११४४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व-भारती विश्वविद्यालय में निकट, मध्य तथा सुदूर पूर्व की विदेशी भाषाओं के अध्यापन तथा भारत सम्बन्धी विषयों के अध्ययन के लिये सुविधाओं को बढ़ाने की योजना किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना के विस्तृत विवरण पर विचार कर रहा है ।

श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि विश्व-भारती विश्वविद्यालय ने निकट, मध्य तथा सुदूर पूर्व की विदेशी भाषाओं के अध्यापन और भारत सम्बन्धी विषयों के अध्ययन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये कोई विशेष योजना प्रस्तुत नहीं की है । किन्तु १९५२-५३ में विश्व-भारती विश्वविद्यालय ने पंचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्या भवन, स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान के महा विद्यालय और चीन भवन, भारत चीन सम्बन्धी विषयों के अध्ययन की संस्था के विकास के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी ।

श्री एस० एन० दास : मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के साथ इस योजना पर भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा । क्या उन पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या किसी विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये कोई राशि मंजूर की गई है ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस समय अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में नहीं बता सकता । परन्तु जहां तक विश्व-भारती विश्व विद्यालय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने विश्व विद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई एक योजना सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली थी और कुछ अगाऊ अनुदान भी दे दिया था और विश्व विद्यालय से योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहा था । विश्वविद्यालय ने योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर दिया है और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग इन पर विचार कर रहा है ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मैं इतना और बढ़ा दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को यह मामला सुपुर्द किया गया है वह इस पर गौर कर रहा है । और अगर इसकी यह तजवीज हुई कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस का इन्तज़ाम करना चाहिये तो गवर्नमेंट आफ इंडिया जरूर इस पर ध्यान देगी ।

श्री एस० एन० दास : सरकार के समक्ष जो योजना प्रस्तुत की गई है उस पर कुल कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय होगा ?

डा० एम० एम० दास : विश्व-भारती विश्वविद्यालय ने विद्या भवन और चीन भवन के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित नवीनतम योजनायें प्रस्तुत की हैं :

विद्या भवन का विकास :

अनावर्त्तक.....७७,३०० रुपये

आवर्त्तक लगभग : २५,००० रुपये प्रतिवर्ष

चीन भवन का विकास :
अना वर्त्तक.....३५,७०० रुपये

आवर्त्तक लगभग १४,५०० रुपये प्रतिवर्ष

भ्रष्टाचार

*११४५. **श्री दाभी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या गत दो वर्षों में ऐसी कोई घटना हुई है जिस में किसी सरकारी नौकर को जिसके विरुद्ध समाचारपत्रों में भ्रष्टाचार का एक आरोप प्रकाशित हुआ था वैधानिक कार्यवाही करके अपने आप को निर्दोश सिद्ध करना पड़ा?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री दाभी : क्या सरकार ने योजना आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि जिस सरकारी नौकर के विरुद्ध समाचारपत्रों में भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया जाये उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना होगा ?

श्री दातार : सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है ।

विदेशियों की गिरफ्तारी

*११४६. **श्री गिडवानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में बेलगांव के निकट शंकेश्वर में कुछ विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या उनके विषय में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, दो जर्मन गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) वे विश्व का भ्रमण करने वाले पर्यटक थे जो सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये मार्ग से भटक गये थे ।

श्री गिडवानी : वे गोआ के गुप्तचर तो नहीं थे ?

श्री दातार : वे गोआ के गुप्तचर नहीं थे । यह पता लगा था कि उन के विषय में सन्देह की कोई बात नहीं थी ।

देहली पब्लिक लाइब्रेरी

*११४७. **श्री राधा रमण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देहली पब्लिक लाइब्रेरी को दिया गया वार्षिक अनुदान ;

(ख) यूनेस्को द्वारा दिया गया वार्षिक अनुदान ; तथा

(ग) क्या सरकार का उसकी कार्यवाहियों का विस्तार करने के लिये अनुदान बढ़ाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) । सदन पटल पर भारत सरकार तथा यूनेस्को से देहली पब्लिक लाइब्रेरी को मिलने वाले अनुदानों का एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]

(ग) चूंकि देहली पब्लिक लाइब्रेरी का भविष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया हैं इसलिये भविष्य में, सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री राधा रमण : क्या इस पुस्तकालय की मंत्रणा परिषद् ने हाल में, भारत सरकार के सामने एक योजना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे ज्ञात है कोई मंत्रणा समिति नहीं है वरन् एक देहली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड है जो इस पुस्तकालय का प्रबन्ध करता है। इस बोर्ड ने हाल में भारत सरकार के सामने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

श्री राधा रमण : सरकार को यह पता लगाने में अभी कितना समय लगेगा कि इस पुस्तकालय का भविष्य क्या होगा?

डा० एम० एम० दास : देहली राज्य सरकार तथा यूनेस्को के साथ इस पुस्तकालय के भविष्य के सम्बन्ध में इस समय वार्ता हो रही है।

गैर सरकारी पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

*११४८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति में रुचि रखने वाले प्राइवेट व्यक्ति तथा दल खोज तथा खुदाई का कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन तथा सहायता दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने खोज तथा खुदाई के कार्य के लिये जो सर्किल बनाये हैं वे सारे भारत का कार्य करने के लिये अपर्याप्त हैं ; तथा

(घ) यदि हां, तो निकट भविष्य में नये सर्किल बनाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, कुछ विश्व-विद्यालय तथा संस्थायें खोज का काम कर रही हैं।

(ख) प्रविधिक सहायता तथा परामर्श। एक उदाहरण ऐसा भी है जिसमें कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई है।

(ग) सर्किल तो प्रधान रूप से स्मारकों के परीक्षण के लिये बनाये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे खुदाई तथा खोज का काम भी अपने हांथ में ले सकते हैं यदि परिरक्षण के मुख्य कार्य में कोई बाधा न पड़े।

(घ) नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि कोसाम्बी में जो खुदाई का काम चल रहा है उसमें कितनी मदद की जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : इलाहाबद विश्व विद्यालय को जिस ने कोसाम्बी में खुदाई का यह कार्य अपने हाथ में लिया है, प्रविधिक सहायता के अतिरिक्त ५,००० रुपया दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी प्राइवेट इण्डिवीजुअल को, जो कि इस काम में लगा हो, कोई मदद दी गई है।

डा० एम० एम० दास : अभी तक सरकार को किसी ग़ैर सरकारी व्यक्ति का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं वे, प्राइवेट संगठनों, ग़ैर सरकारी संगठनों, गवेषणा संस्थाओं तथा विश्व-विद्यालयों से आये हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार की नीति इस प्रकार की प्राइवेट खुदाई को प्रोत्साहन देने की है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार की नीति ऐसी नहीं है, परन्तु जब तक सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि देश के हर भाग में खुदाई का काम करा सके, सरकार

इन प्राइवेट संगठनों को इस काम के करने की अनुज्ञा देने में कोई दोष नहीं समझती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या सरकार का इरादा विश्व विद्यालयों के सभी पुरा-तत्व-विज्ञान दलों को प्रोत्साहन देने का है ?

डा० एम० एम० दास: हां ।

बम्बई गैरिज़न इंजीनियर का कार्यालय

*११५०. **श्री एन० पी० दामोदरन:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गैरिजन इंजी-नियर (डब्ल्यू) , बम्बई डिवीज़न, साम-रिक इंजीनियरिंग सेवा, के कार्यालय के विरुद्ध धोखे के कार्य करने तथा नक़ली बिलों के भुगतान करने के आरोप लगाये गये थे ?

(ख) यदि हां तो अपराधी अधिका-रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां ।

(ख) इस से सम्बन्धित , दो अधि-कारियों पर, मुक्दमा चलाने के प्रश्न पर, विशेष पुलिस विभाग द्वारा, विचार किया जा रहा है । एक तीसरे अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । अभी कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या सर-कार ऐसे कुकृत्यों के निरोध का कोई उपाय कर रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : यथा सम्भव हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है । यदि कुकृत्यों का पता लगता है तो उचित कार्य-वाही की जाती है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या सिकन्दरा-बाद के गैरिज़न इंजीनियर के कार्यालय के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री यु० सी० पटनायक : क्या ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिन में, एम० ई० एस के अंग्रेज़ भार-साधक अधिकारी, इन दोषी अधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस उदाहरण वि-शेष में तो मुख्य इंजीनियर ने, जो एक अंग्रेज़ अधिकारी है, इन अफ़सरों के विरुद्ध कार्य-वाही करने की सिफ़ारिश की है ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

*११५१. **श्री तिम्मय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नौकरियों के रक्षित रखने के आदेश ऐसे उद्योगों पर भी लागू होते हैं जिनकी मालिक सरकार है तथा जिनको सरकार सहायता देती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जिन आदेशों का हवाला दिया गया है वे उन उद्योगों पर लागू होते हैं । जिनकी मालिक सरकार है तथा जिनका प्रबन्ध प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किया जाता है । ये आदेश उन उद्योगों पर लागू नहीं हैं जिनका प्र-बन्ध स्वशासी निगमों द्वारा किया जाता है जैसे सिन्द्री उर्वरक, और न उनके लिये जिनको सरकार सहायता देती है ।

सरकार चाहती है कि ऐसे निगम भी हमारे रक्षण सम्बन्धी कोटा का पालन करें । कुछ निकाय ऐसे हैं जो इस बात पर राजी भी हो चुके हैं ।

श्री तिम्मय्या : सरकार इस बात के लिये क्या उपाय करने का विचार करती है कि यह औद्योगिक निकाय इन आदेशों का पूरी तरह से पालन करें ?

श्री दातार : सरकार अधिक से अधिक उनको ज़ोरदार शब्दों में परामर्श ही दे सकती है ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का विचार करती है जो यह देखे कि, विभिन्न सरकारी विभाग तथा निकाय, गृहकार्य मंत्रालय के आदेशों का, ठीक ठीक पालन करते हैं ?

श्री दातार : जहां तक सरकारी विभागों तथा सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक निकायों का सम्बन्ध है सरकार को विश्वास है कि इन आदेशों का पालन किया जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या गृह-कार्य मंत्रालय का ध्यान ऐसे उदाहरणों की ओर दिलाया गया है कि इन सरकारी निगमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है ? यदि हां तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दातार : अभी तक यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है परन्तु मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा ।

बिहार के शिक्षित समाज में बेकारी

*११५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षित समाज में फैली बेकारी को कम करने की शिक्षा सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत , केन्द्रीय सरकार को, ग्रामीण अध्यापकों तथा बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं के काम से लगाये जाने के सम्बन्ध में, बिहार राज्य से, कोई प्रगति प्रति वेदन प्राप्त होता है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उस राज्य के शिक्षित समाज की बेकारी को कम करने के सम्बन्ध में, २५०० प्राथमिक (जिसमें ५०० बेसिक स्कूल हैं) स्कूल तथा २५० सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या जितने बेकार हैं उनकी समस्या इस से तय हो जाती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : यह किसी ने दावा नहीं किया है ।

श्री विभूति मिश्र : देखने से मालूम होता है कि जब तक शिक्षा प्रणाली में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जायेगा यह समस्या हल नहीं होगी क्या सरकार इसके बारे में कोई सुधार करने की सोच रही है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार विचार कर रही है.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को चाहिये कि वे अध्यक्ष को संबोधित करें ।

डा० एम० एम० दास : दो आयोग अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनके विचार से देश की शिक्षा प्रणाली में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार मे अभी तक, प्रस्तावित शिक्षा केन्द्रों के दस प्रतिशत भी खोले नहीं गये हैं ? यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा करने में अड़चनें कौन कौन सी हैं ?

डा० एम० एम० दास : बिहार सरकार ही इसका कारण बता सकती है । कम से कम हमें तो इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है ।

श्री के० के० बसु : बिहार के शिक्षित समुदाय में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों का इस प्रकार काम मिल जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

केन्द्रीय अनुवाद-पुस्तकालय योजना

*११५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

केन्द्रीय अनुवाद-पुस्तकालय योजना के अधीन अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस मंत्रालय के अधीन कोई 'केन्द्रीय अनुवाद-पुस्तकालय' नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय उस पुस्तकालय से है जिसको केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी के लिये स्थापित करने के बारे में विचार किया है, उस पुस्तकालय में देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में समाज शिक्षा सम्बन्धी उत्कृष्ट पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं के मूल तथा अनुवाद रहेंगे । इसके बारे में माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि सभी राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे इस के साहित्य, पुस्तकों, तथा पुस्तिकाओं की सूची हमें भेजें। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार की सूचियां भेज दी हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें ट्रान्सलेशन का जो काम होगा वह हिन्दी में होगा और संस्कृत में होगा, या और भी किसी भाषा में होगा ?

डा० एम० एम० दास : अनुवाद केवल हिन्दी में होगा ।

आसाम में जल विद्युत योजना

***११५५. श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : (क) क्या वित्त मंत्री ह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अधीन आसाम में भारतीय जल विद्युत योजना की सहायतार्थ १,२००,००० डालर का जल-विद्युत सम्बन्धी सामान कनाडा भेज रहा है ?

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'हां', में है तो किन किन स्थानों पर ये योजनायें बनेंगी ?

(ग) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का क्या दायित्व है ?

'**वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) तथा (ख)। एक प्रस्ताव है कि कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से मिलने वाली आर्थिक सहायता आसाम की उमत्रू जल विद्युत परियोजाना को वित्त पोषित किया जाय । यह प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

(ग) इस प्रकार की आर्थिक सहायता यदि मिली तो वह सहायता राज्य को ऋण के रूप में मानी जायेगी । परियोजना का वस्तुतः क्रियान्वित करना भी राज्य सरकार का दायित्व होगा ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : परियोजना के लिये स्थान चयन करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री बी० आर० भगत : सामान्य बातें तो परियोजना की आर्थिक तथा प्रवधिक सुविधायें एवं राज्य को विद्युत से मिलने वाले लाभ हैं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री बी० आर० भगत : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

खान नियंत्रक

***११५६. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खान नियंत्रक तथा खनिज संरक्षक का नया पद अभी हाल ही में चालू किया गया है, यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या इन पदों की पूर्ति प्रत्यक्षतः कर ली जाती है ?

(ग) ये पद किसके नियंत्रण में हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। ३१ जुलाई, १९५३ से चालू किया गया है ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि भारतीय भूतत्वीय परिमाप अपने छः प्रादेशिक सर्कलों और खान निरीक्षणालय, धनबाद अपने आठ ज़ोनों के साथ अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो फिर यह नये कार्य उन्हें क्यों नहीं दिये गये ?

श्री के० डी० मालवीय: काम बढ़ गया है ; अभी तो यह नया कार्य प्रशासन से सम्बन्धित उन सरकारी पदाधिकारियों को दिया गया है जो इनके लिये उपयुक्त समझे गये हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: क्या कार्य सम्बन्धी क्षेत्राधिकारों के आपस में मिल जाने के उदाहरणों के बारे में सरकार को ज्ञान है ?

श्री के० डी० मालवीय: नही, किन्तु यदि माननीय सदस्य सरकार का ध्यान इस प्रकार के उदाहरण की ओर आकर्षित करेंगे तो निश्चय ही हम इस की जांच करेंगे ।

श्री पी० सी० बोस: एक कोयला नियंत्रण बोर्ड है जो कोयला उद्योग का नियंत्रण करेगा और एक कोयला नियंत्रक भी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके कार्यों के बारे में भी झगड़ा होगा ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं। मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय खान विभाग में काफी विस्तार हो गया है, फलस्वरूप यह बहुत ही आवश्यक समझा गया है कि इस प्रकार के नियंत्रक की नियुक्ति हो ।

मनीपुर राज्य में भूतपूर्व सैनिक

***११५७. श्री रिशांग किशिंग:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या ;

(ख) मनीपुर राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लाभार्थ वहां की राज्य सरकार को सन् १९५० से अब तक कितने धन की सहायता दी गई है ;

(ग) मनीपुर राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं विकास के लिये सरकार ने क्या योजनायें चालू की हैं अथवा करने का विचार है ; तथा

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्य को देखने के लिये क्या राज्य में कोई संगठन है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) १९५० से अब तक ८४२ सैनिक भारतीय सेना से मुक्त किये गये हैं ।

(ख) कुछ नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित झंडा दिवस पर एकत्रित की गई निधि में से सन् १९५०, १९५१, तथा १९५२ में क्रमशः ५९३, ४०२ तथा ४१३ रुपयों का राज्य सरकार को नियतन किया गया है ।

(ग) कुछ सरकारी विभागों में भर्ती करते समय वहां की राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को अधिमान दे रही है । भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्ति गत आधार पर भूमि दी गई है ।

(घ) जी हां, जिला सैनिक, नाविक, तथा वायु सैनिक बोर्ड मनीपुर ।

श्री रिशांग किशिंग : इन भूतपूर्व सैनिकों में से प्रत्येक सैनिक को कितनी भूमि दी गई है ?

श्री त्यागी : प्रत्येक सैनिक को कितनी भूमि दी गई है इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग: कितने भूतपूर्व सैनिकों को काम दिया गया है ?

श्री त्यागी : मेरी जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इन सैनिकों को अधिमान दे कर, अभी तक दो आफिसरों तथा १३ अन्य प्रकार के कर्मचारियों को नौकरियां दी हैं ; व्यक्तिगत रूप से ४६ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी गई है ।

श्री रिशांग किशिंग : जिनको अभी तक काम नहीं मिला है क्या उनको नौकरी दिलाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री त्यागी : सेना से निवृत होने वाले सभी सैनिकों को कार्य-निवृत होते समय उन सभी बातों का लाभ मिलता है जो कि कार्य-निवृत होते समय प्रायः सामान्य रूप से मिला करते हैं । उन भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो युद्धोपरांत काफी संख्या में अलग किये जाते हैं एक पुनर्निर्माण निधि है । सभी राज्यों में उस निधि के लिये एक एक न्यास है । बड़े बड़े कृषि फार्मों तथा अन्य पुनर्वास योजनाओं पर उस निधि में से धन व्यय किया जाता है । इसके अनुसार २१,७३६ रुपये आसाम राज्य में व्यय करने के लिये रेज़ीडेन्सी को दे दिये गये हैं । मुझे विश्वास है कि जब इस निधि का वितरण हुआ था तो कुछ भाग मनीपुर राज्य को भी मिला होगा ।

मिश्र का सैनिक शिष्टमंडल

*११५८. **श्री भागवत झा आज़ाद**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मिश्र के उस सैनिक शिष्टमंडल को जिसने अभी हाल ही में अपना दौरा पूरा किया है, भारत सरकार ने आमंत्रित किया था ; तथा

(ख) यदि हां तो उस दौरे का उद्देश्य क्या था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी हां ।

(ख) वह सद्भावना मिशन था ।

श्री भागवत झा आज़ाद: क्या मिस्री सैनिक मिशन व हिन्दुस्तान के रक्षा विभाग के अधिकारियों में पारस्परिक रक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर विचार हुआ था ?

श्री त्यागी: पारस्परिक मैत्री स्थापित करने का उद्देश्य था ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस मिशन ने आपके सामने कोई लिखित सम्मति भी पेश की है ?

श्री त्यागी: नहीं यह मिशन असल में यह देखने के लिये आया था कि यहां पर ट्रेनिंग वगैरह के क्या क्या इन्तजाम हैं और यहां पर किस किस किस्म की चीज़े हम बना रहे हैं । शायद वह इनका इस्तेमाल करना चाहें ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस सद्भावना मिशन के फलस्वरूप आप का भी कोई मिशन भेजने का इरादा है ?

श्री त्यागी : अभी सरेदस्त तो कोई खास मिशन भेजने का इरादा नहीं है, लेकिन मिस्र के साथ हमारी सर्विसेज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और हमारी नेवी के जहाज वगेरह जब वहां जाते हैं तो उनका खासा स्वागत होता है ।

विदेशी बंदी

***११६० श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अजकल भारत वर्ष में कितने विदेशी बन्दी हैं ;

(ख) उनमें से कितने बंदी राजनैतिक कारणों से हैं ; तथा

(ग) तथा अन्य कितने दूसरे कारणों से ?

गृह-कार्या उपमंत्री (श्री दातार) : कच्छ तथा त्रिपुरा राज्य से अभी सूचनायें नहीं मिल सकी हैं। अन्य राज्यों से ये उत्तर प्राप्त हुये हैं :

(क) .... २९ ।

(ख) ... १ तथा ।

(ग) ... २८ ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : ये बन्दी किन देशों के हैं ?

श्री दातार : अधिकतर ये अफगानिस्तान, बर्मा तथा चीन पड़ौसी देशों के हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या उनमें से कुछ बंदी जासूसी के लिये भी बंदी बनाये गये हैं ?

श्री दातार : कोई भी नहीं, एक बंदी अवश्य ऐसा है जिसका चरित्र संदिग्ध था अत: उसे निरोध में रखा गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कैदियों में तिब्बत के कितने कैदी हैं और उनको किन किन अपराधों पर कितने साल की सजा हुई है ?

श्री दातार : नहीं । तिब्त विषयक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

बिलासपुर वाणिज्य निगम

***११६१. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर वाणिज्य निगम में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कुल कितनी राशि लगाई है ?

(ख) वह निगम कब से चल रहा है और उनकी कुल पूंजी कितनी है ?

(ग) पिछली बार यदि कोई लाभांश घोषित किया गया तो वह कितना था और सरकार को उसमें कितना अंश मिला ?

गृह-कार्यउपमंत्री (श्री दातार) : बिलास पुर वाणिज्य निगम में सभी पूंजी केन्द्रीय सरकार की ही लगी हुई है ; ३१ मार्च १९५३ को उसमें ३,२३,३८६ रुपये की पूंजी लगी हुई थी ।

(ख) इस निगम को जनवरी १९४५ में भूतपूर्व राज्य सरकार ने स्थापित किया था । केन्द्रीय सरकार ने जो ३,२३,३८६ रुपये लगाये हैं वे उस निगम की कुल पूंजी है ।

(ग) जो भी लाभ होता है वह सभी सरकार के खाते में जमा होता है । १९५२-५३ में ३५,०७४ रुपये का लाभ हुआ था ।

श्री के० सी० सोधिया : वह निगम क्या काम करता है ?

श्री दातार : वह कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है ।

श्री के० सी० सोधिया : विल्य के पश्चात उसका क्या होगा ?

श्री दातार : विलय के पश्चात् भी निगम तो रहेगा ।

मैसूर में आय-कर निर्धारण

*११६२. **श्री काचिरोयर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर का वित्तीय एकीकरण कब हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर के एकीकरण की तारीख से पहिले के आय-कर निर्धारणों पर भी पुनर्विचार किया गया और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत मिली ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह: (क) १ अप्रैल, १९५० को ।

(ख) हां, जब कि कर दाता के कर से बचने के प्रयत्नों के फलस्वरूप कर का कम निर्धारण हुआ था ।

(ग) हां । समुचित अनुदेश देकर शिकायतों को दूर कर दिया गया ।

श्री काचिरोयर: क्या ये शिकायतें एकीकरण से पूर्व प्राप्त हुई थीं या बाद में ?

श्री एम० सी० शाह: एकी करण के पश्चात् ।

श्री काचिरोयर: इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री एम० सी० शाह: मैंने बताया है कि समुचित अनुदेश जारी कर दिये गये थे । वाणिज्य मंडल वित्त राज्य-मंत्री से मिला था । जहां कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था वहां मामले को समाप्त कर दिया गया, परन्तु जहां वास्तव में कोई आय छिपाई गई थी और हमारे पास उसका कोई साक्ष्य था या जहां कम आय का अनुमान लगाया गया था, उन मामलों में कार्यवाही की गई ।

श्री काचिरोयर : क्या इस प्रकार के कर-निर्धारण एकीकरण से पूर्व किसी अन्य राज्य के विषय में भी किये गये थे ।

श्री एम० सी० शाह: मैसूर अधिनियम में धारा ३४ का उपबन्ध था इस लिये हम इन मामलों में पुन : कर-निर्धारण कर सकते थे ।

आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) परीक्षा

*११६४. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ की भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये ; और

(ख) १९५३ की भारतीय वैदेशिक सेवा में कितने अभ्यर्थी बैठे और कितने उत्तीर्ण हुये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) भारतीय प्रशासन सेवा के लिये १९५८ अभ्यर्थियों ने प्रतियोगिता परीक्षा दी जिन में से ४७ इस सेवा के लिये अपेक्षित अर्हता के स्तर पर पहुंच सके ।

(ख) भारतीय वैदेशिक सेवा के लिये १६९७ अभ्यर्थियों ने प्रतियोगिता परीक्षा दी जिनमें से १६ अभ्यर्थी अर्हता के स्तर तक पहुंच सके ।

श्री एन० एम० लिंगम: क्या यह सच है कि आई० ए० एस० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रथम १६ उम्मीदवार आई० एफ० एस० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रथम १७ उम्मीदवारों में भी हैं ।

श्री दातार: कदाचित् ऐसा ही हो ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार का यह विचार है कि इन सेवाओं के लिये जो वर्तमान परीक्षाएं होती हैं वे अत्यधिक शास्त्रीय होती हैं और इन में रूचि, सामाजिक

उद्देश्य आदि जैसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, और इसीलिये एक विशेष प्रकार के लोग स्वभावत : उसी प्रकार के लोगों को चुनते हैं । क्या सरकार के पास इन परीक्षाओं की व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोई योजना है ?

श्री दातार : व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है ; शास्त्रीय विषयों की अधिकता न रहे इसलिये व्यक्तित्व के परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : परीक्षा के लन्दन केन्द्र में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था और उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए थे ?

श्री दातार : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : भारतीय वैदेशिक सेवा के कितने उम्मीदवार, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये थे, प्रशिक्षण । के लिये बाहर भेजे गये थे तथा वहां पर वे किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री दातार : इस समय प्रशिक्षण का कोई प्रश्न नहीं है । केवल कुछ ही दिन तो परिणाम घोषित किये गये हैं और अभी नियुक्तियां की जानी हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा : उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की परीक्षा करने के लिये क्या लोक सेवा आयोग में कोई विशेषज्ञ है ?

श्री दातार : सभी सदस्य यह जानते हैं । वे सब यह काम करते रहे हैं और जानते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ।

कम आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

*११६५. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम आय वाले वर्गों को छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत आन्ध्र राज्य के उम्मीदवारों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : यदि प्रश्न का सम्बन्ध पब्लिक स्कूलों में गुण के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से है तो अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि चूंकि यह छात्रवृत्तियां केवल गुणों के आधार दी जानी थीं और राज्य तथा प्रदेश का कोई ध्यान नहीं रखा जाना था इसलिये उम्मीदवारों से फार्म में यह लिखने के लिये नहीं कहा गया था कि वे अपने अपने राज्यों का भी नाम लिखें ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवारों को आवेदनपत्र ही नहीं मिले थे जो उन्हें भर कर भेजना चाहते थे ?

डा० एम० एम० दास : सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । समस्त भारत में पांच केन्द्र थे तथा आवेदनपत्र उपलब्ध कर दिये गये थे ।

प्रादेशिक सेना

*११६६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५३–५४ में प्रादेशिक सेना की शहरी यूनिटों के लिये मंजूर की गई सैनिकें की संख्या पूरी हो गई थी या उनकी संख्या अब भी पूरी नहीं हुई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): १९५३-५४ में प्रादेशिक सेना की शहरी यूनिटों की सैनिकों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई थी किन्तु अभी तक मंजूर की गई संख्या पूरी नहीं हो सकी है ।

सरदार हुक्म सिंह: इस समय प्रादेशिक सेना की मंजूर की गई सैनिकों की कुल संख्या क्या है ?

श्री त्यागी : मेरे विचार में मैं सारी बातों को यहां नहीं रख सकता हूं । मुझे और कोई आपत्ति तो नहीं है किन्तु यह एक सुरक्षा विषय होने के कारण मैं प्रादेशिक सेना की संख्या नहीं बतला सकता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह: श्रीमान्, क्या प्रादेशिक सेना की संख्या भी गुप्त रखने का विषय है ?

अध्यक्ष महोदय: कदाचित् यह बताना वांछनीय न हो कि देश की सैनिक संख्या कितनी है ?

सरदार हुक्म सिंह: हमारी स्वीकृत संख्या पूरी नहीं हो सकी है तो क्या हम उसे पूरा करने या नवयुवकों को इसमें भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित करने के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री त्यागी: श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया । मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि भर्ती के सम्बन्ध में सुधार करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव रखा गया है कि कुछ विशिष्ट आयु वाले सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के लिये प्रादेशिक सेना में भर्ती होना अनिवार्य कर दिया जायेगा । यदि सम्भव हुआ तो इस सत्र में ही मैं इस उद्देश्य से एक विधेयक सदन में पुरःस्थापित करूंगा ।

सरदार हुक्म सिंह: जहां तक मुझे मालूम है कि सामान्य यूनिटों के लिये हमें काफी रंगरूट मिल रहे हैं; लेकिन टेकनिकल यूनिटों में कमी है । क्या हम टेकनीशियनों को यूनिटों में भर्ती करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री त्यागी : हां, श्रीमान् । कुछ समय से प्रयत्न किया जा रहा है । कठिनाई इसलिये उत्पन्न हुई कि ये टेकनिकल यूनिटें शहरी यूनिटें समझी जाती हैं । जिन व्यक्तियों से यह आशा की जाती थी कि वे इन यूनिटों में भर्ती हो जायेंगे उन में से अधिकतर सरकारी फैक्टरियों या अन्य गैर-सरकारी फेक्टरियों में काम करते हैं । अतएव, उनके लिये समय निकालना कठिन हो जाता है । परन्तु मेरे विचार में स्थिति में सुधार हो रहा है और अब लोग आगे आने लगे हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना की शहरी यूनिटें मुख्यतः विशिष्ट टेकनिकल यूनिटों के लिये सुरक्षित रखी गई हैं और इसीलिये हमारे अधिकतर नागरिक नवयुवक जो टेकनीशियन नहीं हैं, प्रादेशिक सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रहते हैं ?

श्री त्यागी: प्रादेशिक सेना में नहीं । मेरे मित्र का यह कहना ठीक है कि अधिकतर लोग, जो शहरी क्षेत्रों से आते हैं, टेकनीशियन होते हैं और अन्य साधारण व्यक्ति प्रादेशिक सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करने से इस कारण वंचित रह जाते हैं । प्रशिक्षण की अवधि फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों के खाली समय के अनुसार निश्चित की जाती है---और यह लगभग दो घन्टे है ।

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस समय हमारी नीति यह है कि प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिये अधिक से

अधिक प्रोत्साहन दें–शहरी तथा देहाती यूनिटों में और साथ ही राष्ट्रीय छात्र सेना में भी । इन दोनों के लिये हम ने कुछ महीने पहले सहायक सेक्शन की व्यवस्था कर दी जिस में कुछ कम प्रशिक्षण हो । मुझे आशा है कि प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय छात्र-सेना की सलाहकार कमेटियों के परामर्श से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

*११६७. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये सितम्बर, १९५३ में कितने अध्यापक रखे हुए थे और उनकी प्रस्तुत संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अध्यापकों को निकाल दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) सितम्बर, १९५३ में केन्द्रोय सरकार के कर्मचारियों को दस अंशकालिक शिक्षक हिन्दी पढ़ा रहे थे । उनकी संख्या इस समय ८ है ।

(ख) तथा (ग) । विद्यार्थियों की संख्या में कमी हो जाने के कारण दो शिक्षकों को निकाल दिया गया था ।

सेठ गोविन्द दास: अध्यक्ष महोदय, जब मैं ने एक प्रश्न पहले हिन्दी में पूछा था तब आपनें कहा था कि डा० मनमोहन दास उसको समझे नहीं । यह विषय शिक्षा विभाग से सम्बन्ध रखता है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर मौलाना साहब दें तो मैं हिन्दी में प्रश्न पूछुं । नहीं तो मुझे अंग्रेज़ी में पूछने के लिए विवश होना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री इस विशेष प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे या नहीं ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): आप हिन्दी में पूछिये में बखुशी जवाब दूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो शिक्षकों की संख्या घटी है उसका कारण अभी माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया था कि विद्यार्थियों की संख्या घटी थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या सरकार की कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन देने की योजना है । या कोई इस प्रकार की योजना है कि अगर वे हिन्दी नहीं सीखेंगे तो उनकी आगे की तरक्की में बाधा पड़ेगी । क्या सरकार इस प्रकार की किसी योजना पर विचार कर रही है ।

मौलाना आज़ाद: सरविस के आदमी यह अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उन्होंने हिन्दी सीख ली तो इससे उनका फ्यूचर ज्यादा महफ़ूज़ हो जायेगा और ज्यादा अच्छा हो जायेगा । लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ख़ास ऐसी चीज़ रखना कई बातों को सामने रखते हुए मुनासिब नहीं मालूम हुआ । लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि इस बारे में कुछ न कुछ कदम उठाया जाय ।

सेठ गोविन्द दास: यह जो हमारे कर्मचारियों को शिक्षा दी जा रही है इसका पाठ्य क्रम क्या है और यह कितनी कक्षायें चलायी जा रही हैं जहां पर उनको शिक्षा दी जा रही है ?

मौलाना आजाद: जूनियर बेसिक स्कूल के लिए जिस दरजे की हिन्दी की पढ़ाई है वही रखी गई है ।

निर्वाह-व्यय देशना

*११६८. **श्री एस० एन० दास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जैसा कि मंहगाई भत्ता समिति ने सुझाव दिया था, सरकार ने किसी क्षमता शाली प्राधिकारी द्वारा नवीनतम आधार पर एकविस्तृत अखिल भारतीय निर्वाह-व्यय देशना तैयार करने और उसे प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई फ़ैसला किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): जी हां । जैसा मैंने ६ दिसम्बर, १९५३ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३८१ के उत्तर में कहा था, मंहगाई भत्ता समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के समय से एक अखिल भारतीय श्रमिक-वर्ग निर्वाह-व्यय देशना, जिसमें १९४४ को आधार माना जाता है, श्रम विभाग द्वारा बराबर प्रकाशित किया जा रहा है । इसी प्रकार से अखिल भारतीय मध्य-वर्ग देशना तैयार करने और बाद में दोनों को मिला कर एक संयुक्त अखिल भारतीय देशना तैयार करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के परामर्श सहित विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास: माननीय मंत्री ने जिस प्रश्न का निर्देश किया है उस के उत्तर में यह कहा गया था कि इस विषय पर केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के परामर्श सहित सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । ऐसा ६ दिसम्बर, १९५३ को कहा गया था । क्या इस के बाद कोई प्रगति हुई है ?

श्री एम० सी० शाह: जी हां । एक समिति नियुक्त हो गई है । समिति की बैठक फ़रवरी १९५४ में हुई थी और इस के काम में प्रगति हो रही है ।

श्री एस० एन० दास: क्या यह काम केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन को सौंपा जा रहा है या कोई अन्य संस्था इसे करेगी ?

श्री एम० सी० शाह : फ़िल हाल इस काम को केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन को ही, जो मंत्रिमंडल सचिवालय से सम्बद्ध है, सौंपने का विचार है ।

बम्बई सीमा शुल्क मूल्यांकन विभाग

*११६९. **श्री गिडवानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई के सीमा शुल्क मूल्यांकन विभाग में वर्ष १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में कुछ ऐसे मामले हुए थे जिन के बारे में कम सीमा-शुल्क लगाया गया था;

(ख) क्या मूल्य-शुल्क निर्धारण के आधार पर कोई दावे वापस लिये गये थे; तथा

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) तथा (ख)। जी हां ।

(ग) सीमा-शुल्क अधिकारियों की ग़लती, छल या नियमों की ग़लत व्याख्या के कारण या माल के स्वामियों के वास्तविक मूल्य और मात्रा के बारे में ग़लत ब्यान देने के कारण शुल्क निर्धारण अधिकारियों द्वारा जो सीमा-शुल्क या अन्य शुल्क कम लगाये गये थे उन के बारे में समुद्र सीमा-शुल्क अधि-नियम की धारा ३९ के अन्तर्गत तीन महीने के अन्तर्गत मांग की जा सकती है । सीमा-शुल्क कार्यालयों में शुल्क-निर्धारण पत्रों की दोबारा जांच करने की प्रणाली है और यदि इस जांच के बाद प्रत्यक्षत: यह पता चले कि ग़लत मूल्य आंकने अथवा ग़लत वर्गीकरण के कारण शुल्क कम लगाया गया है तो तुरन्त ही उस की मांग कर दी जाती है ताकि मियाद न निकल जाये और फिर बाद में पूरी जांच होती है ।

यदि आगे जांच होने पर और पत्रों की देखभाल करने पर यह पता चले कि मूल शुल्क निर्धारण सही था तो धारा ३९ के अन्तर्गत की गई मांग वापस ले ली जाती है । अधिकतर दावे इसी कारण वापस ले लिये जाते हैं ।

श्री गिडवानी: मुझे उत्तर सुनाई नहीं दिया । यह उत्तर बहुत बड़ा था और एक विवरण के समान था । इसे सदन-पटल पर रखा जा सकता था या मुझे पहले दिया जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसे सदन पटल पर रखा जा सकता है । परन्तु फिर आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा: इस में कोई नई चीज़ नहीं है । समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की एक धारा के अनुसार, यदि यह सन्देह हो कि कुछ वस्तुओं पर शुल्क कम लगाया गया है तो तीन महीने के अन्दर नये शुल्क-निर्धारण की सूचना देनी होती है नहीं तो उस की मियाद निकल जाती है। कुछ मामलों में नये शुल्क-निर्धारण की सूचना भेजी जाती है और अन्तिम जांच के बाद यदि यह पता चलता है कि पिछला निर्धारण ठीक था तो दूसरा निर्धारण वापस ले लिया जाता है या जब यह पता चलता है कि पिछला शुल्क-निर्धारण ठीक नहीं था तो फिर से निर्धारण होता है या सम्बन्धित पक्ष से कुछ और राशि वसूल की जाती है ।

श्री गिडवानी : मूल शुल्क निर्धारण के आधार पर जो राशि वसूल होती उस में और बाद के निर्धारण से वसूल होने वाली राशि में कितना अन्तर होता है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रत्येक मामले में भिन्न होता है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं इतना कह सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाये । यह स्पष्ट है कि यह चीज़ अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न होगी ।

श्री के० के० बसु : शुल्क निर्धारण के बारे में कितने मामले ऐसे हुए जिन की मियाद निकल गई थी ?

श्री ए० सी० गुहा: किसी मामले की मियाद नहीं निकलने दी जाती है । १९५०–५१ में, २०७६ मामलों में नई मांगें की गई थी जिन में से ७३० अन्तिम निर्धारण के बाद वापस ले ली गई थीं । १९५२–५३ में ११५४ मामलों में दोबारा शुल्क-निर्धारण किया गया था जिन में से ३५८ मामले वापस लिये गये थे ।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

***११७०. श्री रिशांग किशिंग :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोतर पुनर्निर्माण निधि में कुल कितना रुपया है;

(ख) १९५२–५३ और १९५३–५४ में अलग अलग राज्यों को कितनी कितनी राशि नियत की गई; तथा

(ग) इस निधि के लिये प्रति वर्ष राशि किस तरह इकट्ठी की जाती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) लगभग ६.६८ करोड़ रुपये ।

(ख) सारी निधि १९४७ में भिन्न राज्यों को बांट दी गई थी और उस के बाद कोई राशि नहीं दी गई है ।

(ग) युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि केन्द्रीय सरकार ने भरती होने वाले प्रत्येक लड़ाकू पर दो रुपये और प्रत्येक गैर-लड़ाकू पर १ रुपया प्रति मास के हिसाब से दे कर १ अप्रैल, १९४२ से ३१ मार्च १९४५ तक की कालावधि में

बनाई थी। इस के बाद कोई अंशदान नहीं दिये गये हैं।

श्री रिशांग किशिंग: विभिन्न राज्यों को किस आधार पर इस राशि में से रुपया दिया जाता है ?

श्री त्यागी: राशि का आवंटन विभिन्न राज्यों के सैनिकों (लड़ाकू और ग़ैर-लड़ाकू) के आधार पर किया गया था। यह भरती होने वाले सैनिकों की संख्या के अनुपात में था।

श्री रिशांग किशिंग: क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि मनीपुर और त्रिपुरा जैसे भाग 'ग' राज्यों को भी इस निधि में से रुपया पाने का हक है ?

श्री त्यागी: जी हां, पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि मनीपुर और त्रिपुरा को उन के यहां के सैनिकों की संख्या के अनुसार जो हिस्सा मिला था, वह आसाम में इन राज्यों के एजेन्ट को भेज दिया गया था।

श्री राम चन्द्र रेड्डी: क्या इस निधि को अलग विनियोजित किया जाता है या इसे भारत की संचित निधि में शामिल कर लिया जाता है ?

श्री त्यागी: इस निधि को अधिकांश रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: इस बात के दृष्टिगोचर कि गढ़वाल के सैनिकों की संख्या बहुत काफ़ी है, मैं जानना चाहती हूं कि उन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

श्री त्यागी: यह राशि ज़िले-वार नहीं अपितु राज्य वार नियत की जाती है।

औद्योगिक वित्त निगम

*११७१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किन किन फ़र्मों को ऋण दिया गया; तथा

(ख) प्रत्येक को कितना कितना ऋण दिया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा: (क) तथा (ख)। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]

आप की अनुमति से मैं यह भी बता दूं कि औद्योगिक वित्त निगम का वित्तीय वर्ष पहली जुलाई से आरम्भ होता है। अतः यह आंकड़े १ जुलाई १९५३ से २८ फ़रवरी, १९५४ तक के हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस कालावधि में निगम को ऋण के लिये कितने प्रार्थनापत्र मिले ?

श्री ए० सी० गुहा: मुझे इस के लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस कालावधि में कुल कितनी राशि मंजूर की गई ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरा विचार है कि यह सब जानकारी विवरण में दी गई है। प्रत्येक मामले में मंजूर की गई राशि उस में दी गई है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या गत ढाई वर्ष में ऋण के कतिपय प्रार्थनापत्र ऐसे ही पड़े रहे हैं और क्या प्रार्थियों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें ऋण मिलेगा अथवा नहीं?

श्री ए० सी० गुहा: मेरा विचार है कि ३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है और सदन-पटल पर रखा जा चुका है। माननीय सदस्य उस में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह: इस कालावधि में सोदपुर ग्लास वर्क्स को जो ऋण दिया गया है क्या उस के लिए उन की ओर से प्रार्थना पत्र

मिला था अथवा निगम ने स्वेच्छा से ऋण दिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस कालावधि में सोदपुर ग्लास वर्क्स को कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

श्री के० के० बसु : पश्चिमी बंगाल राज्य की ओर से कितने प्रार्थनापत्र आये और कितने मंजूर किये गये तथा उन्हें कितनी राशि दी गई ?

श्री ए० सी० गुहा : मंजूर की गई राशि विवरण में दी गई है । कितने प्रार्थनापत्र आये इस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये ?

श्री ए० सी० गुहा : इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं पंडित डी० एन० तिवारी का प्रश्न सं० ११४९ प्रस्तुत करूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

विदेशी फर्में

***११४९. पंडित डी० एन० तिवारी** की ओर से **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में ऐसी फ़र्में और समवाय कार्य कर रहे हैं जो भारत में निगमित नहीं हैं;

(ख) यदि ऐसा है, तो उन की संख्या क्या है;

(ग) भारत में निगमित ऐसी फ़र्में कितनी हैं जिन में (१) पूर्णतः विदेशी पूंजी है और जिन में (२) अंशतः विदेशी पूंजी है; और

(घ) वे कितना आय कर देती हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]

(घ) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं क्योंकि इन फ़र्मों और समवायों के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े नहीं देखे जाते । जानकारी एकत्र करने के लिए सारे भारत में आयकर पदाधिकारियों को कर-निर्धारण के अभिलेखों की जांच करनी पड़ेगी और उस पर जितना श्रम और समय लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के लिये उचित नहीं होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या विदेशी पूंजी वाले समवायों को यह कहा जाता है कि वे अपने लाभ का एक भाग पुनः यहां व्यापार में लगा दें अथवा उन्हें यह अनुमति दी गई है कि वे इसे स्वेच्छा से देश से बाहर भेज दें ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे विचार में हम उन्हें अपना लाभ यहां व्यापार में लगाने के लिए नहीं कह सकते ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या ऐसी विदेशी पूंजी के दाखले पर कोई शर्त लगाई जाती या कि उन समवायों के साथ भारतीय समवायों जैसा ही बर्ताव किया जाता है ।

श्री एम० सी० शाह : वे भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन अपने को पंजीबद्ध कर ही सकते हैं । लगभग ८५१ ऐसे समवाय हैं जो विदेशों में निगमित हैं और अन्य समवाय भारत में निगमित हैं और उन्हें भारतीय समवाय अधिनियम की धाराओं का पालन करना पड़ता है ।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण में ३० जून १९४८ तक की विदेशी पूंजी वाले समवायों की संख्या दी गई है । क्या गत छः

वर्षों म ऐसे समवायों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

श्री एम० सी० शाह : यह गणना भारत के रक्षित बैंक ने ३० जून १९४८ को की थी। उस के पश्चात कोई गणना नहीं की गई। जो जानकारी हम ने दी है वह भारत के रक्षित बैंक द्वारा की गई गणना के आधार पर है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या इन सब समवायों का प्रबन्ध प्रबन्ध-अभिकरण करते हैं और यदि ऐसा है तो कितने प्रबन्ध-अभिकरण उन का नियंत्रण कर रहे हैं।

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि प्रबन्ध-अभिकरण कितने समवायों का प्रबन्ध कर रहे हैं। मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह : अंशतः भारतीय और अंशतः विदेशी पूंजी के समवायों के सम्बन्ध में क्या शर्तें तथा निबन्धन हैं और क्या सरकार को इन शर्तों तथा निबन्धनों की सूचना दी जाती है अथवा नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : जिन समवायों में अंशतः भारतीय और अंशतःविदेशी पूंजी होती है वे भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध होते हैं और इस लिए उन्हें इस के सब उपबन्धों का पालन करना पड़ता है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या यह सच है कि इन विदेशी समवायों को वैधानिक तथा प्रशासनिक आश्वासन प्राप्त हैं कि वे लाभ अपने देशों को ले जा सकते हैं ? और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि गत एक अथवा दो वर्ष में लाभ के रूप में कुल कितनी धन राशि बाहर ले जाई गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है। मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

*११४२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने ग्रेफाईट अयस्क के नमूनों की जांच का कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस क्षेत्र में अब तक कितना कार्य किया गया है; और

(ग) क्या प्रयोगशाला ने कुछ सामग्री देशी उत्पादकों के हाथ बेची है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मसाले की बैट्री, पेंसिलों तथा ब्रुशों के निर्माण के लिए उचित प्रकार के ग्रेफाईट उपलब्ध करने के विचार से ग्रेफाईट के अयस्क की जांच का कार्य अब राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रयोग रूप में किया जा रहा है। पहला संयंत्र स्थापित करने के लिए उपकरण तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम

*११५४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी १९५१ से अब तक अधिनियम की धारा ४, ५, ६, १२ और १३ के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये विनिमय नियंत्रण अधिनियम के अधीन कितने अभियोग चलाये गये हैं;

(ख) कितने अभियोग सफल हुए;

(ग) उपरोक्त अभियोगों में से प्रत्येक पर क्या व्यय हुआ; और

(घ) कितने मामलों में उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध न्यायालय को निर्देश किये बिना ही विनिमय नियंत्रण द्वारा माफ कर दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा ४, ५ और १३ के अधीन १ जनवरी, १९५१ तक चलाये गये अभियोगों की संख्या २१ है। अधिनियम की धारा ६ का सम्बन्ध अवरुद्ध लेखों से है, इस लिए इस धारा के अधीन शिकायत करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अधिनियम की धारा १२ के उल्लंघन का कोई अभियोग नहीं चलाया गया ।

(ख) न्यायालयों ने १४ मामलों में निर्णय दिया है और इन सब मामलों में जिन पर अभियोग चलाया गया था वे अपराधी पाये गये और उन्हें दण्ड दिया गया ।

(ग) यह जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि विभिन्न सम्बन्धित विभागों पर हुए व्यय का हिसाब लगाना संभव नहीं ।

(घ) नौ ।

विदेशी पूंजी

*११५९. **श्री माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में भारतीय पूंजीपतियों अथवा सरकार द्वारा विदेशी समवायों को खरीदने के फल-स्वरूप देश से विदेशी पूंजी की कितनी राशि निकाल ली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक की कालावधि में विदेशी समवायों की बिक्री के हिसाब में ५८·४७ लाख रुपया प्रेषित किया गया । जनवरी से मार्च १९५४ तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जीवनांकिक संस्था

*१७६३. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में कोई जीवनांकिक संस्था है ?

(ख) देश में जीवनांकिकों की ट्रेनिंग के लिए इस समय क्या व्यवस्था है ?

(ग) क्या सरकार ने देश में एक जीवनांकिक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत में कोई जीवनांकिक संस्था नहीं ।

(ख) 'इन्स्टीच्यूट आफ़ एकच्युरीज़, लंदन, निश्चित फीस अदा करने पर प्रत्येक छात्र को पत्र व्यवहार द्वारा पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध करता है ।

(ग) सरकार इस समय भारत में जीवनांकिक संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझती है ।

लवडेल स्थित लारेंस स्कूल

२१६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लवडेल स्थित लारेंस स्कूल के प्रशासन बोर्ड के सदस्यों को किस दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है;

(ख) इन भत्तों पर जो कुछ खर्च होता है, क्या वह स्कूल की निधि से पूरा किया जाता है; तथा

(ग) इस स्कूल को प्रशासन बोर्ड के सुपुर्द करने के पश्चात् सदस्यों ने इन भत्तों के रूप में कुल कितना धन प्राप्त किया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) से (ग) तक। इस स्कूल के प्रशासन बोर्ड के सदस्यों को जो दैनिक भत्ता अथवा यात्रा भत्ता दिया जाता है, भारत सरकार का उस से कोई सम्बन्ध नहीं। यह स्कूल स्वायत्ताशासी है तथा यह इन दरों के सम्बन्ध में स्वयं ही निश्चय कर सकता है।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

२१७. **श्री हेम राज:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तरुण कलाकारों को छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में सरकार को कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से सम्बन्धित तरुण कलाकारों से १९५९ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

अंक २

संख्या २६

बृहस्पतिवार,

१८ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग १६७७]

सदन पटल पर रखे गए पत्र—

पेप्सू कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य नियम (मान्यीकरण) अधिनियम [पृष्ठ भाग १६७७—१६७८]

विशेष विवाह विधेयक– संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग १६७८]

सामान्य आयव्ययक —साधारण चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग १६७८—१७३०]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत [पृष्ठ भाग १७३०]

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में संकल्प—वापस लिया गया [पृष्ठ भाग १७३१—१७५७]

केन्द्र में द्वितीय सदन के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा अपमाप्त [पृष्ठ भाग १७५७—१७६२]

पार्लियामेन्ट सैक्रेटेरियट, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

31 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १८ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

२-५० म० प०

राज्य परिषद से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य परिषद् के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि राज्य परिषद् ने १६ मार्च १९५४ की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिस में यह सिफ़ारिश की गई है कि हिन्दू विवाह तथा विच्छेद विधेयक, १९५२ को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये । प्रस्ताव में लोकसभा से प्रार्थना की गई है कि वह इस समिति में सम्मिलित हो और राज्य परिषद् को अपने यहां के तीस सदस्यों के नाम भेज दे जिन्हें वह उक्त समिति के लिये चुने ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

पेप्सू कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य-नियम (मान्यीकरण) अधिनियम

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५३ की धारा ३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत में पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य-नियम (मान्यीकरण) अधिनियम, १९५४ (राष्ट्रपति का अधिनियम, १९५४ का ६ठा) की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस-८२/५४]**

विशेष विवाह विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं कतिपय मामलों में विवाह की एक विशेष पद्धति की, और ऐसे तथा कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ करते हैं।

श्री जांगड़े (विलासपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि पांच वर्षों के बाद हमें यह देखने को मिल रहा है कि हमारी आर्थिक और उद्योगीकरण की व्यवस्था में बहुत फर्क हो रहा है । हमारे यहां के ३६ करोड़ लोगों में से ३५ करोड़ लोगों का इस से कोई विशेष फायदा

[श्री जांगड़े]

नहीं हो रहा है। हमारे अनुभवी लोग अमरीका और रूस और चीन से हमारी तुलना करते हैं पर वह यह भूल जाते हैं कि अगर संसार का हर एक देश यंत्रीकरण की ओर झुक जावे और हर एक देश उद्योग की ओर झुक जावे तो संसार में कौन सा देश उन की चीजों को खरीदने के लिए तैयार होगा और कैसे सारा सामान बाहर के मुल्कों में वितरित हो सकेगा; आप देखें कि उत्तर अमरीका की जनसंख्या कितनी है। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी देश उस के माल की खपत न करे तो भी उन के पास इतने खनिज पदार्थ हैं और जनसंख्या इतनी कम है कि वह अपने पर निर्भर रह सकता है। अगर आप रूस और चीन की तुलना करें और उन की जनसंख्या को देखें तो आप पायेंगे कि यद्यपि चीन में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन चीन और रूस दोनों का साम्यवाद की तरफ झुकाव है और रूस के पास साइबेरिया का इतना बड़ा प्रदेश है कि उस का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान से पांच गुना है और उस का उपयोग कर के वह आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए हम हिन्दुस्तान के गृहउद्योग की अमरीका और रूस और चीन से पूरे तौर पर तुलना नहीं कर सकते। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि जो बड़े-बड़े उद्योग हैं और जो खासकर डिफेंस से सम्बन्धित उद्योग हैं, या रेल और जो दूसरे बड़े बड़े उद्योग हैं उन को सरकार ले और उन का यंत्रीकरण हो। इन उद्योगों को इस प्रकार बढ़ाया जाय इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है उन का विकेन्द्रीकरण होना नितान्त आवश्यक है। यह होगा तभी हम अपने देश के करोड़ों लोगों को काम दे सकेंगे। आज हमारे देश में एक आदमी के पास करोड़ों रुपये की पूंजी रहने दी जाती है जिस से वह जिस तरीके से चाहे दूसरे के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। आप देखिये कि ज़मींदारी उन्मूलन के बाद गांवों में जो रुपये वाले हैं वह अपने रुपये और अनाज को न मालूम किस कोने में रखे हुए हैं और उस को दबाये बैठे हैं। वे देहातियों को काम नहीं देते बल्कि ताना मारते हैं कि कांग्रेस वाले रुपया और अनाज देंगे। आज गांवों में करोड़ों लोगों को काम नहीं मिलता है। इसलिए वह बड़े बड़े शहरों में बड़े उद्योगों में काम करने के लिए जाते हैं। वहां एक मज़दूर को ७० या ८० रुपया महीना मिलता है। लेकिन खोजने पर भी ३० या ३५ रुपये महीने में एक छोटा सा कमरा नहीं मिलता। तो इन मुसीबतों में आज गांव वालों को शहरों में जाना पड़ता है।

आज लोग कहते हैं कि मध्यम श्रेणी के लोगों को काम नहीं मिलता। लेकिन आज उन से अधिक देहात वालों की हालत खराब है। वह उन से ज्यादा बेकार हैं। न उन का संगठन है, न उन की आवाज़ बुलन्द हो पाती है और न वे पढ़े लिखे हैं। और जब तक उन का मसला हल नहीं होता तब तक हमारी सरकार को शान्ति से नहीं बैठना चाहिए। उन के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। एक ओर कुछ लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें हैं और दूसरी ओर करोड़ों में से प्रत्येक के पास दो-दो एकड़ भी ज़मीन नहीं है। इसी लिए मैं यह कहता हूं कि ज़मीन का बटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए। अब लोगों ने ज़मीन के बटवारे से अपने को बचाने के लिए कानूनी दावपेच सीख लिए हैं और वह पटवारियों और सरकारी कर्मचारियों से मिलकर अपने बेटों और भतीजों के नाम ज़मीन को दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस बात का निर्धारण होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति को कितनी ज़मीन दी जाय। और प्रदेशीय सरकारों को आदेश जारी किये जायें कि जिस से किसानों को काश्तकारी के लिए ज़मीन मिले। सिद्धान्त तो यह होना चाहिए कि जो ज़मीन को जोतता है उसी की ज़मीन

होनी चाहिए और जो खाली बैठा रहता है और दूसरों के सहारे पूंजी एकत्रित करता है और शहर या दूर गांव में बैठकर खेती करावे उस की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के धन में भी राशनिंग की जावे।

अब मैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामूहिक विकास योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह कार्य अच्छा चल रहा है। स्कूल खोले जा रहे हैं, सड़कें बनायी जा रही हैं और दूसरे उन्नति के काम किये जा रहे हैं। परन्तु एक कमी है। वहां पर गृह उद्योग की कोई स्कीम नहीं है। हमारे वित्त मंत्री हम को इस के आंकड़े दें कि आज तीन वर्ष हो गये उस में ७४ सामूहिक विकास योजनाओं और ६०० राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में इस ओर कितना काम हुआ है; कितने लोग गृह-उद्योग में स्वावलम्बी बन चुके हैं। आज नहीं तो वह हम को यह आंकड़े दो साल बाद बतलावें कि कितने आदमी स्वावलम्बी बने। यह बता देना तो मैं समझता हूं उन के लिए बहुत ज़रूरी होगा।

३ म० प०

इस के अतिरिक्त मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार तो एस्टीमेट बनाती है, अनुमान लगाती है कि हमारी योजना पर इतना रुपया खर्च होगा। आप को मालूम होगा कि कई बार पब्लिक एकाउंट कमेटी और अनुमान कमेटी ने यह बतलाया है कि क्रमशः प्रत्येक वर्ष योजनाओं का खर्च अनुमान बढ़ता ही जा रहा है। आज इस बात को कहने में कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जो हमारे ठेकेदार हैं उन के कारण इस मामले में हम बदनाम होते हैं और दूसरे लोग हम को बदनाम करते हैं। चाहे सरकारी कर्मचारी कुछ न करते हों, सरकार कुछ न करती हो, लेकिन यह ठेकेदार वास्तविक से कई गुना अधिक अनुमान सरकारी कर्मचारियों से मिल कर बनवा लेते हैं और करोड़ों रुपया बरबाद कर देते हैं। यदि वह रुपया बच जाय तो वह दूसरी योजनाओं में लगाया जा सकता है और हम को डेफिसिट फाइनेंसिंग की और यू० एन० ओ० से सहायता लेने की और नेशनल सेविंग की कोई ज़रूरत न पड़े। हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना साहब कहते हैं कि उन के पास स्कीमें तो बहुत हैं पर उन की पाकेट खाली है। अगर यह रुपया बच जाय तो उन को यह कहने की ज़रूरत नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्ष को ही सम्बोधित करें।

श्री जांगड़े : अध्यक्ष महोदय क्षमा करें। मैं कुछ शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि यदि कुछ सालों के लिए इस शिक्षा पद्धति को रोक दिया जाए तो अच्छा है क्योंकि अगर हम इस पद्धति को जारी रखेंगे तो हम बेकारों को बहुत बढ़ा देंगे क्योंकि यह शिक्षा केवल मानसिक ज्ञान देती है, शारीरिक ज्ञान नहीं देती। आज मिडिल पास करने वाला विद्यार्थी भी केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार और स्थानीय संस्थाओं की ओर नौकरी के लिए देखता है। आज जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं वह मुंशियों के कारखाने बनी हुई हैं और उन को परावलम्बी बनाती हैं और वह सरकार के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। चार पांच साल हो गये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में सारे देश में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है।

हम देहातों में सड़क बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं, लेकि न वहां के लोग अब भी ग़रीब बने हुए हैं क्योंकि देहात का आर्थिक ढांचा नहीं बदला। इसीलिये हम चाहते हैं कि देहात के लोग शहरों की ओर न जायं। शहरों में जो जन संख्या है वह अब न बढ़ने पाये और देहात हरे भरे बनें।

[श्री जांगड़े]

जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, "Go back to the villages" ["गांव की ओर पुनः जावो"], जैसा कि सर्वोदय सिद्धान्त कहता है, उसी सिद्धान्त को, गोपालन को और गोसंवर्द्धन के सिद्धान्त को भी हमें पूर्ण करना है। गांव के लोग गांव में ही रहें और गांव का पशु-संवर्द्धन हो, राम राज्य स्थापित हो, लोग स्वावलम्बी हों, यही हम को करना है। गांव का जो काम काज हो और जिन चीज़ों की वहां पर ज़रूरत हो, वह गांव में ही तैयार हों। इस तरह से काम करें तभी जा कर हम गांवों के किसानों को सुखी बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां दो प्रश्नों का समाधान चाहता हूं। अभी हमारे वित्त मन्त्री ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का कर्ज़ा है। पर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने अपने बजट सत्र में यह नहीं कहा कि हम हिन्दुस्तान को इतना अदा करने वाले हैं। पाकिस्तान को इतना रुपया अदा करना है, इस सम्बन्ध में वह बिल्कुल चुप रहे। इस बाबत में हिन्दुस्तान क्या करने वाला है यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं स्टर्लिंग बैलेंसेज के बारे में जानना चाहता हूं। स्टर्लिंग बैलेंसेज हमारे विलायत में बहुत ज्यादा हैं और स्टर्लिंग बैलेंसेज का उपयोग भारत को अपने प्लान और उन्नति के लिये करना है। वह रुपया हम को कितने वर्षों में मिलने वाला है और कब तक मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है, यह मैं जानना चाहता हूं।

इस के उपरान्त मैं आप के सामने मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि चमड़े का जो उद्योग है, उस में खास चीज़ यह है कि नुक़सान अभी हमारे ग़रीब भाइयों को पहुंच रहा है, क्योंकि चमड़े के उद्योगों को यन्त्रीकरण का रूप दिया जा रहा है। आज हमारे लाखों लोग बेकार हो रहे हैं। उन को कोई सुरक्षा, कोई बढ़ावा, नहीं दिया जा रहा है। आज हम अमुक अमुक जगहों से चमड़ा मंगाते हैं और साथ ही यह बात भी है कि हम अमुक अमुक चमड़े को चीन जैसे देशों को निर्यात भी करते हैं। तो यह कैसी उल्टी बात है, यह मैं समझना चाहता हूं। तो इस के लिये सरकार को देखना चाहिये।

अब मैं सोप इंडस्ट्री, साबुन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल गृह-उद्योग बताए जाने वाले साबुन को ही नहीं, बल्कि आधुनिक तर्ज से चिकनाई में कोई यन्त्र का उपयोग करते हैं तो उन को भी कर से मुक्त करना चाहिये।

अन्त में मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप को मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में प्रत्येक प्रदेश में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, प्रत्येक प्रदेश को कुछ न कुछ रक़म केन्द्र से मिलती है। परन्तु मध्य प्रदेश को कुछ भी नहीं मिलता। न वहां कोई बड़ी नदी घाटी योजना है और न कोई बड़ा कारखाना है, न प्लान में कोई बड़ी चीज़ वहां के लिये रखी गयी है। आप को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के जो तीन ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बहुत से कमी वाले प्रदेशों को सौ साल से अनाज, चावल, प्रदान करते रहे हैं, उस की ओर सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। उन ज़िलों की हालत को सुधारने के लिये और उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या किया गया? अभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया यह मैं आप को बताना चाहता हूं। पता नहीं प्रान्तीय सरकार ने कुछ किया है या नहीं, पर भारत सरकार ने नहीं किया। वहां की वास्तविक बात मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां छत्तीसगढ़ में ६० लाख की जन संख्या है, उस में से दस बारह लाख लोगों के क्षत्र में अकाल पड़ा हुआ है। आज वहां से हजारों लोग खड़गपुर, कलकत्ता कोयला खान वग़ैरह की

तरफ़ भाग रहे हैं क्योंकि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। आप को मालूम होगा कि वहां दस दस पंद्रह लाख लोगों के बीच में जो बस्ती है, यह जो वहां का क्षेत्रफल है, वहां पर १२ वर्ष में पांच बार अकाल पड़ चुका है, पर किसी भी सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने या किसी भी सरकार ने, उस ओर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से हम हिन्दुस्तान के अन्न के अभाव को दूर नहीं कर सकते। हम को इसलिये इस ओर ध्यान देना चाहिये। प्रान्तीय सरकार ध्यान दे या न दे पर केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि हिन्दुस्तान का वह एरिया जो ग्रैनरी रहा है, जो मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान का ग्रैनरी रहा है, और जहां से लाखों टन चावल दूसरे प्रान्तों को दिया जा रहा है, उस की उपेक्षा न की जाय। इस के लिये मैं केन्द्रीय सरकार से विनती करता हूं कि वहां माइनर इरिगेशन, छोटी सिंचाई की योजनाओं को चालू करे। प्रान्तीय सरकार खर्च करे या न करे, लेकिन केन्द्रीय सरकार को इस के लिये प्रयत्न करना चाहिये, तभी हम अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आप को कहना चाहता हूं कि वहां मध्य प्रदेश के लिये कोई भी योजना नहीं है, न इरिगेशन प्लान है, न आयरन स्टील-फैक्टरी ही कोई वहां के लिये है। मैंगनीज़ के सम्बन्ध में अभी शायद २० लाख का प्लांट खोला गया है, इस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहना चहाता हूं कि मध्य प्रदेश की हमेशा उपेक्षा की जाती है, क्योंकि यहां पर उन की तरफ़ से बोलने वाले सदस्य नहीं हैं, उन की आवाज़ बुलन्द नहीं होती और न वहां की प्रान्तीय सरकार की ही आवाज़ बुलन्द होती है। इसलिये मध्य प्रदेश को नगण्य माना जाता है। इस के लिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह मध्य प्रदेश की ओर अधिक ध्यान दें।

श्री चावदा (बनस्कंठा) : अध्यक्ष जी, पिछले दो तीन दिनों से बजट के ऊपर जो आलोचना हो रही है, बजट के पक्ष में और उस के विरोध में, उस को ध्यान से सुनता रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि आज के जो हमारे माली हालात हैं, और देश की जो दूसरी परिस्थितियां हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर बजट को देखा जाय तो मैं यही कहूंगा कि हम देश के विकास की ओर स्थिरता और संयम से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हद तक तो मैं यहां तक कहूंगा कि हमारा बजट एक क्रान्तिकारी बजट भी कहला सकता है। कुछ बातें बजट में ऐसी हैं कि जिन के लिये हम कह सकते हैं कि इस में कुछ रद्दोबदल किया जाय।

आज नौबत यह आ गयी है कि बाहर से प्रदेशों की हमें कितनी मदद मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सब सोचना पड़ रहा है। फिर डैफिसिट फायनैन्स की ओर भी हम जा रहे हैं और कुछ टैक्सेज भी ऐसे लगाने को हम लुभा गये हैं कि जो नहीं लगाते तो अच्छा होता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इन सब बातों को देखते हुए हमें कुछ चिन्ता सी होती है कि जो हमारे विकास का काम है, जो हमारा प्लान का काम है, वह इस तरह हम कैसे आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इस विषय में तो अधिक नहीं जानता कि यह कहां तक सम्भव हो सकती है, लेकिन एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि जब हमारा देश मुश्किल में है और हम अपना विकास करना चाहते हैं, तो ऐसे मौक़े पर देश में जितना भी धन हो, जो कोई काम में न आ रहा हो और क़रीब क़रीब जो सड़ रहा हो, ऐसा धन हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वह धन या तो राजा महाराजों के पास है, या बड़े बड़े धनी सेठ साहूकारों के पास है। और बहुत सा धन ऐसा है कि जो मस्जिदों और मन्दिरों के पास है, मठों के पास है। हम यह कर के किसी को नुक़सान नहीं पहुंचाना चाहते

[श्री चावदा]

और न किसी की धार्मिक भावना को दुखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा धन इतना धन है कि जिस से हमारे तीन चार प्लान आसानी से बग़ैर किसी तकलीफ़ के चलाये जा सकते हैं। वह धन जिन के पास है उन से हम को विनती कर के लेना चाहिये। हम ने अभी राजप्रमुखों से और राजाओं से विनती की थी कि वे अपनी पैंशन में से दस टका बाख़ुशी कट करवा लें। ऐसे ही हम ऐसी संस्थाओं से कि जहां पैसा पड़ा सड़ रहा है, वह भले ही अपने उपयोग के लिये, अपने कार्य के लिये उस को रखे हों, फिर भी जो पैसा पड़ा हुआ है, उस को अगर वह हमें बग़ैर ब्याज के लोन पर दे सकें तो अच्छा है, नहीं तो कुछ मामूली ब्याज से भी दें, इस के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। इस में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिये।

मैं अब अनएम्प्लायमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अनएम्पलायमेंट के हम दो विभाग कर सकते हैं। एक तो शहरी बेकारी है और दूसरी ग्राम्य बेकारी है। शहरी बेकारी के लिये तो प्लान में भी काफी गुंजायश है और फायनन्स मिनिस्टर साहब भी और हमारे कामर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब भी, इस के लिये काफी सचेत रहते हैं कि कैसे इस बेकारी को कम किया जाय। लेकिन जहां तक ग्राम्य बेकारी का सवाल है, उस के ऊपर हमें ज्यादा ग़ौर करना चाहिये। मैं एक मामूली सी मिसाल दूंगा कि ग्राम्य बेकारी किस तरह की है और वह कैसे बढ़ती है। आज तक गांवों में खेती के अलावा कई पूरक धन्धे किसानों के हाथ में थे। उन में एक सब से बड़ा उद्योग जो उन के हाथ में था वह किराए पर बैलगाड़ी चलाने का था। वह जब खेती के काम से फारिग हो जाते थे तो किराए से बैलगाड़ी चलाते थे और उस से कुछ पैसे कमा लेते थे, जिस से वह खेती के लिये बीज और दूसरे खेती के साधन वग़ैरह जुटा लेते थे। आज गांव गांव में पबलिक कैरियर, मोटर-लारियां हो जाने से वह काम उन का बिल्कुल टूट गया है। मैं एक मिसाल दूंगा कि एक मोटर लारी जो ४ टन वजन ले कर १०० मील जाती है, एक दिन में, तो उस का असर जो किराए से बैलगाड़ी चलाने वाले हैं उन के ऊपर क्या पड़ता है। इस से आप को अन्दाज होगा कि ग्राम्य बेकारी कितनी बढ़ती है। एक मोटर लारी जो १०० मील ४ टन अनाज ले कर एक दिन में जाती है, उस के असर से ९ बैलगाड़ियां, १८ बैलगाड़ियों के साथ काम करने वाले इन्सान दस दिन के लिये बेकार हो जाते हैं। अगर एक इन्सान के पीछे पांच इन्सानों का कुनबा, परिवार, हम समझें तो ९० आदमी एक साथ एक दिन में एक लारी के १०० मील जाने से बेकार हो जाते हैं। उन को खाने को नहीं मिलता। अब इस के साथ साथ गाड़ी बनाने वाले, लकड़ी के काम में लगने वाले, बैलों का काम करने वाले, गांवों में जो दूकानों का काम करते हैं, इन सब पर इस का असर पड़ता है, उन को काम नहीं मिलता। इस तरह ग्राम्य बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह तो उन किसानों की बात है कि जो खेती करते करते यह काम करते हैं। इस के अलावा और भी कई लोग हैं जो ऊंटों पर, घोड़ों पर, गधों पर और बैलों पर भी बोझ ढोते हैं, और हमारी तरफ़, ख़ास कर राजस्थान में, हज़ारों बैलों की कमर पर बोझ रख कर वजन ढोया जाता है। वह सब आदमी इस तरह बेकार हो गये हैं और इन पशुओं को सिवाय क़त्लखाने में जाने के और कोई चारा नहीं रहा। तो यह तो एक मामूली सी बात है।

ऐसे ही तेल की घानी की समस्या है। बड़े बड़े इंजिन हम लगाने की इजाजत देते हैं और कई इस तरह के काम हैं जो कि मशीनरी से

होते हैं, उस की वजह से यह ग्राम्य बेकारी बहुत बढ़ती जाती है ।

अब आज मैं ने हिन्दुस्तान टाइम्स में देखा कि यह बताया गया है कि गवर्नमेंट कहीं विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना चाहती है, सबसिडी देना चाहती है । लेकिन सिर्फ सबसिडी देने से तो विलेज इंडस्ट्री पनपने वाली है नहीं । यह तो अजीब सी बात है कि एक तरफ़ तो हम बड़ी बड़ी मैशीनरी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ़ विलेज इंडस्ट्री को भी बढ़ा रहे हैं । यह तो उस तरह की बात हुई कि घी को और अग्नि को साथ साथ रखें और घी को पिघलने न दें । यह कभी होने वाला नहीं है । अगर हमें विलेज इंडस्ट्री को बढ़ाना है, काटेज इंडस्ट्री का विकास करना है, तो बड़ी इंडस्ट्री को कहीं न कहीं हमें रोकना होगा । अगर नहीं रोकते तो किसी भी हालत में यह छोटी इंडस्ट्री पनपने वाली नहीं है ।

प्लान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि काम्युनिस्टी प्राजैक्ट एक हमारे पास ऐसा साधन है कि जिस की वजह से आज हम हज़ारों गांवों में पहुंच सके हैं । भले ही कोई कहने को कह दे कि काम्युनिटी प्राजैक्ट से या प्लान से देहातों में कोई फायदा नहीं होता, यह ग़लत बात है । हमें क़बूल करना पड़ेगा कि उस से ज़रूर कुछ हद तक देहातों की हालत में, किसानों की माली हालत में फर्क पड़ा है और अच्छा असर हुआ है । लेकिन हमें प्लानिंग के बारे में एक दृष्टि यह रखनी चाहिये कि जहां तक हो सके हमें उन प्रदेशों को भी लाभ देना है जो काफी पिछड़े हुए हैं । मैं अपने प्रदेश की बात कहूंगा । क़रीब पांच हजार चौरस मील का वह एरिया है और वहां उस पांच हजार चौरस मील के एरिया में एजूकेशन के परसैंटेज को हम देखें तो वहां पर तीन परसैंट एजूकेशन है ।

हाई स्कूल सिर्फ़ दो हैं । अगर हम रास्ते बनाना चाहें और सीरियसली उन की जरूरत समझें तब तो १४०० मील के रास्ते वहां होने चाहियें । इस की जगह पर आज हमारे पास सिर्फ ५४ मील के रास्ते हैं । सब से बड़ी बात तो यह है, आप को सुन कर हैरानी होगी, दुनियां में हर चीज़ की चोरी होती है, लेकिन वहां पानी की भी चोरी होती है । पानी की चोरी इस तरह होती है कि वहां हजारों चौरस मील के प्रदेश ऐसे हैं जहां पीने को पानी नहीं और वहां लोग गड्ढे वगैरह, जिन को आप तालाब कहते हैं, बना रखते हैं । बारिश में वह भर जाते हैं । बारिश में भर जाने के बाद लोग उसी में से ले कर पानी पीते हैं। उसी में से इन्सान भी पीते हैं और पशु भी जैसे बैल, घोड़े, गधे वगैरह पीते हैं । उसी में कपड़े धोते हैं, उसी में नहाते हैं, उस पानी के पीने से लोगों को गिनी वर्म्स हो जाते हैं और यहां तक कि एक एक इन्सान में २५ २५, ३० ३० गिनी वर्म्स हो जाते हैं । जबान पर होते हैं, आंखों पर होते हैं, यहां तक कि कई कई लोग तो जिन्दगी भर के लिये अपंग हो जाते हैं । ऐसी ऐसी जगहें हैं ।

जहां तक मैं समझता हूं, हमारे प्लान बनाने वालों को, और जो इस के लिये जिम्मेवार हैं, उन्हें अपनी दृष्टि में यह रखना चाहिये कि जहां पहले विकास की जरूरत हो, मैं तो विकास भी नहीं चाहता, आप हमें पीने को पानी दीजिये और नहाने धोने को पानी दीजिये, अगर आप इतना भी कर दें तो काफ़ी है, तो जो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि जीवन की पहली जरूरियात भी नहीं पूरी हो सकतीं, उन को आप पहले हाथ में लें और वहां के लिये जहां तक जल्दी हो सके, पानी का इन्तज़ाम करें । अब मैं कुछ थोड़ा सा टैक्सेज के बारे में कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार, दो बार, मैं ने घंटी बजाई । अब बहुत हो चुका ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरु) : आमव्ययक के सम्बन्ध में बोलने के लिये आपने मझ

[श्री बी० एस० मूर्त्ति]

अवसर दिया है उस के लिये मैं आप का आभारी हूं। हमारे सामने एक योजना रखी गई है और हमेशा की तरह, इस योजना का उद्देश्य भी भारत की जनता का निर्वाह-स्तर ऊंचा उठाना है और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे वित्त मंत्री जी ने यह चौथा आय-व्ययक प्रस्तुत किया है। मैं इस आय-व्ययक को कल्पना-हीन तो नहीं कह सकता, परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि आज देश की जो मूल समस्यायें हैं उन्हें माननीय मंत्री ने उचित महत्व नहीं दिया है।

इस से पहले कि मैं इन समस्याओं पर कुछ बोलूं, मैं सत्तारूढ़ दल यानी कांग्रेस को एक चेतावनी देना चाहता हूं। हाल ही में दो राज्यों में चुनाव हुए थे, जिन से आप ने देखा कि दक्षिण में कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ फेंका। केरल के बुद्धिमान मतदाताओं ने कांग्रेस को हरा दिया है; उत्तर में कांग्रेस की विजय कुछ पूंजीवादियों के मिल जाने के कारण ही हुई है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन विभिन्न परियोजनाओं का कार्य चलाया जा रहा है उस से जनता प्रसन्न नहीं है। दक्षिण में कांग्रेस की पराजय इस बात का प्रमाण है। इसलिये यह आवश्यक है कि इन योजनाओं के तैयार करने में कुछ परिवर्त्तन किया जाये। इन दो चुनावों के बाद सरकार को अपनी वास्तविक स्थिति का फिर से निर्धारण करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि कहां कहां परिवर्त्तन की आवश्यकता है।

इतना ही नहीं कि यह आय-व्ययक प्रगतिशील नहीं है, बल्कि यह हमें पीछे की ओर ले जाने वाला है; विशेषत: जब माननीय वित्त मंत्री ने २५० करोड़ रुपये के नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था करने का निश्चय किया है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ग़रीब लोगों की चीज़ों--जूता, साबुन और सुपारी--पर कर लगाना क्यों उचित समझा। दक्षिण में लोग सुपारी चबा कर खाने का काम चलाते हैं। वहां के लोग इतने ग़रीब हैं कि वे दो पैसे का पान और सुपारी लेकर संतोष कर लेते हैं। लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वे भर-पेट खाना खा सकें; वहां उन के लिये कोई रोज़गार नहीं है। बस पान-सुपारी खा कर अपनी भूख मिटाते हैं। यह है हमारे देश के लोगों की हालत और इन्हीं पर आप ये कर लगा रहे हैं। इसी तरह साबुन और जूते पर शुल्क लगा कर आप ने छोटी श्रेणी के लोगों को ही हानि पहुंचाई है। मैं नहीं जानता कि जब आप २५० करोड़ के नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर इन करों की क्या ज़रूरत है।

नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था करने के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बताया कि इस का परिणाम क्या होगा। जहां तक रोज़गार का प्रश्न है, हमें यहां जो आंकड़े दिये गये हैं उन के अनुसार लगभग २०,००० लोग--जिन में से अधिकतर प्रवीण श्रमिक ही हैं--हर महीने नौकरी के दफ़्तरों में जाते हैं और अपने नाम रजिस्टर कराते हैं। मैं नहीं कह सकता कि वित्त मंत्री जी अपनी योजना और अपने आय-व्ययक को लेकर इन लोगों को रोज़गार दिलाने में कहां तक सफल होंगे।

आज हमारे देश में दो बड़ी समस्यायें हैं--ग़रीबी और बेरोज़गारी। यदि आप गांवों में जायें तो आप को पता लगेगा कि वहां ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें दो वक़्त खाना भी नहीं मिलता। इन लोगों के सामने अपनी योजना के गीत गाने से क्या फ़ायदा ? "बिन भोजन के भगवान कहां"। यदि इन्हें पेट भर खाना नहीं मिला तो आप की सारी योजनायें बेकार हैं। इसलिये सब से पहले वित्त मंत्री जी

को कुछ ऐसे ठोस काम करने चाहियें जिन से ग़रीबी और बेरोज़गारी दोनों दूर हों।

मैं अब सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में कुछ कहूंगा। सामुदायिक परियोजनायें बहुत अच्छी चीज़ हैं और मैं इन का स्वागत करता हूं परन्तु मेरा यह ख्याल है कि इन को क्रियान्वित करने का काम उन लोगों के हाथ में है जो प्रगतिशील विचार अथवा दृष्टिकोण नहीं रखते। वे समझते हैं कि चूंकि उन्होंने एक ख़ास पार्टी में रह कर देश की सेवा की है, इसीलिये उन्हें यह काम मिला है। इन लोगों को हटा कर नवयुवकों और उत्साहपूर्ण व्यक्तियों को यह काम सौंपा जाना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि बाहर से जो सहायता मिलती है उस का ठीक प्रकार से उपयोग हो। मैं चाहता हूं कि इन सामुदायिक परियोजनाओं से हमारे ग्राम्य क्षेत्रों को जितनी सहायता मिल सके प्राप्त हो।

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : वित्त मंत्री के चौथे आय-व्ययक पर बहस होने का आज चौथा दिन है। यह बड़े उत्साह का विषय है कि यहां सदन में और बाहर भी बहुत काफ़ी लोगों ने इस आय-व्ययक का समर्थन और प्रशंसा की है। आप की अनुमति से, मैं इस अवस्था पर कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जो कि इन चार दिनों की बहस के दौरान में खड़ी हुई हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने जिस विरोधा-भासी ढंग से रोज़गार और उत्पादन में वृद्धि तथा अन्य विषयों के बारे में अपने विचार प्रकट किये, सब से पहले मैं उन का जिक्र करूंगा। उन्हों ने आयव्ययक में बहुत से बड़े बड़े दोष निकाले और कहा कि वित्त मंत्री के चारों आयव्ययकों में से यह सब से खराब आयव्ययक है। परन्तु फिर भी वह यह कहते हैं कि वह उन्हें पसन्द करते हैं। इस अवसर पर मुझे सूरदास की एक प्रसिद्ध कविता का स्मरण आता है जिस में उस महाकवि ने राधा का इस प्रकार चित्रण किया है कि वह कृष्ण की छेड़-छाड़ पर असंतोष प्रकट करती है परन्तु इस के साथ ही उस से प्रेम भी करती है। इसी प्रकार मुझे उस समय भी आश्चर्य हुआ जब माननीय श्री वी० जी० देशपांडे ने यह दोष लगाया कि सरकार शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये पूरी तरह से प्रयत्न नहीं कर रही है। इस चीज़ को राजनैतिक रूप दे कर अपना मतलब गांठना तो ठीक है परन्तु माननीय सदस्य को यह नहीं चाहिये कि वे ग़लत बातें कहें। मैं ने उन का भाषण सुना और उन की बातों की जांच करने के लिये सरकारी रिपोर्ट भी देखी। वह कहते हैं कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और उन का यह कहना है कि उन्हों ने सरकार पर यह ठीक ही दोष लगाया है कि वह शरणार्थियों के लिये उचित व्यवस्था नहीं कर रही है। श्रीमान्, मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह आयव्ययक पत्रों को और सावधानी से पढ़ें। पुनर्वास के लिये विभिन्न मांगों के अन्तर्गत ३४·३२ करोड़ रुपये स्पष्ट रूप से नियत किये गये हैं जिस में राजस्व लेखे पर लगभग १० करोड़ रुपये और पूंजी लेखे पर कोई २३ करोड़ रुपये शामिल हैं। पुनर्वास के पूंजी व्यय में वे ४ करोड़ रुपये भी शामिल हैं जो शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति के लिये दिये जायेंगे; उन्हों ने यह समझा कि इस वर्ष शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये बस इतनी ही राशि दी गई है। यही उन की ग़लती है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं केवल इतना कहा था कि शरणार्थियों को मुआवजा देने के लिये केवल ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि और अधिक रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये थी।

श्री बी० आर० भगत : जब उन्हों ने दोष हमारे ऊपर ही लगाया है तो मैं सदन को

[श्री बी० आर भगत]

बताना चाहता हूं कि चालू वर्ष को मिला कर अब तक शरणार्थियों पर २०५ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और सब से बड़ी बात तो यह है कि सरकार शरणार्थियों की समस्या को उत्तम तरीके से सुलझाने में सफल हुई है। मैं अनुभव करता हूं कि कुछ विषयों के सम्बन्ध में और अधिक प्रगति करने की जरूरत है, फिर भी, अब तक जो कुछ किया जा चुका है वह किसी तरह कम नहीं है।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री एस० एन० दास द्वारा उठाई गई बात को लेता हूं। उन्हों ने शिकायत की थी कि ग्राम उधार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में असाधारणरूप से विलम्ब किया गया है तथा सरकार पर यह दोष लगाया था कि वह ग्राम क्षेत्रों, उन की समृद्धि और उधार के सम्बन्ध में, जिस की परम आवश्यकता है, अधूरे मन से काम कर रही है। इस विषय के सम्बन्ध में पहले भी सदन में अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसीलिये अब सदन को सरकार से स्पष्टीकरण मांगने का हक है। मेरे विचार में रिपोर्ट के प्रकाशन में अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। यह सर्वेक्षण ही कुछ और प्रकार का था क्योंकि समस्त देश में से ६०० गांवों को सर्वेक्षण के लिये चुना गया था जो कि ७५ ज़िलों में फैले हुए थे। काफी सामग्री इकट्ठी कर ली गई है जिस का संकलन कर के निष्कर्षों पर पहुंचना है जिस से ग्राम उधार के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जा सके और निश्चय किये जा सकें। मेरे विचार में इस समय रिपोर्ट तैयार की जा रही है और वह शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगी।

माननीय सदस्यों ने जो तीसरी बात उठाई है उस का सम्बन्ध विदेशी सहायता के रूप में बजट में की गई ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था से है जिस को वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए प्राप्त करना सम्भव नहीं है और हो सकता है उस सीमा तक बजट में कमी करनी पड़े। यदि हम ब्यौरे को देखें तो हमें पता लगेगा कि ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना ग़लत है क्योंकि जितनी राशि की बजट में व्यवस्था की गई है उस का दिया जाना स्वीकार किया जा चुका है। उपकरणों की सप्लाई आदि के सम्बन्ध में हम समझौते कर चुके हैं और उन के सम्बन्ध में कोई अनिश्चितता नहीं है। इस राशि में ३ करोड़ रुपये पुनर्निर्माण तथा विकास अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इंजनों की सप्लाई के लिये २ करोड़ डालर, लोहे और इस्पात की सप्लाई के लिये २ करोड़ ५५ लाख डालर तथा कनाडा और आस्ट्रेलिया से सिंचाई और पनबिजली उपकरणों के लिये ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन सब के बारे में हम समझौते कर चुके हैं तथा सामान इसी वर्ष के दौरान में आना आरम्भ हो जायेगा। जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है हम ने बजट में किसी भी अनिश्चित बात की व्यवस्था नहीं की है।

श्री एच० एन० मुकर्जी तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं उन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने यह कहा है कि औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उस का कारण वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाना है न कि किसी नई पूंजी का लगाया जाना। मैं स्वीकार करता हूं कि औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह बहुत कुछ उस उत्पादन क्षमता के प्रयोग करने से हुई है जो अब तक बेकार पड़ी हुई थी। परन्तु साथ ही हमें यह भी न भूल जाना चाहिये कि अनेक उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता में भी वृद्धि हुई है जैसे सीमेन्ट, रेयन, कागज़, बिजली के लैम्प, बाइसिकिल, बिजली के पंखे, रेडियो रिसीवर, सिलाई की मशीन, चाय पेटियां, कास्टिक सोडा, शीट

ग्लास तथा कुछ प्रकार की कपड़ा बनाने की मशीनें। इस बात को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता कि सिन्दरी और चित्तरंजन जैसे बड़े बड़े सरकारी उपक्रमों ने काम करना आरम्भ कर दिया है। यद्यपि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्पादन में वृद्धि अधिकतर बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता के प्रयोग में लाये जाने के कारण ही हुई है, फिर भी, हम इस से क्या परिणाम निकाल सकते हैं ? कोई भी यह नहीं कह सकता है कि इस देश की औद्योगिक प्रगति काफी तेजी से हुई है। कोई भी इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता है कि हमें और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। ठीक इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट सम्बन्धी सुझाव रखे हैं। नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करने का अर्थ ही यह है कि हम इस बात में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिये पूंजी लगाई जाये। जब तक अधिक पूंजी नहीं लगाई जाती, अधिक उत्पादन नहीं होता, अधिक आय नहीं होती, अधिक व्यक्तियों को काम नहीं मिलता तब तक यह चक्कर चलता ही रहेगा; वर्तमान आर्थिक संकट से बचने का इस के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था आज दो वर्ष पहले से कहीं अच्छी है। खाद्य उत्पादन बढ़ गया है। यही बात औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में भी है। हमारी विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति ऐसी है कि हम आवश्यक वस्तुओं का और अधिक आयात कर सकते हैं। कीमतें गिर गई हैं। मुद्रास्फीति का ज़ोर कम हो गया है। मैं मानता हूं कि यह सब समृद्धि का द्योतक नहीं है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य इसे झूठी समृद्धि क्यों कहते हैं। हम ने इस बात का कभी भी दावा नहीं किया। निस्सन्देह, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था, तसवीर बदल रही है। क्या इन बातों से यह पता नहीं लगता कि आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है ?

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : कैसा परिवर्त्तन हो रहा है ?

श्री बी० आर० भगत: अच्छाई के लिये। भारतीय आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में "समृद्धि" शब्द का प्रयोग करने के लिये अभी कई वर्ष तक कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। फिर भी यह तो सच ही है कि उत्पादन में सुधार हुआ है। बेकार उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाना इस दिशा में पहला कदम है। यह बात योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुकूल ही है। बेकार उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाना इसलिये सम्भव हो सका क्योंकि योजना बनाई गई और कुछ सीमा तक प्रकृति भी दयावान् रही और युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप खाद्य और कच्चे माल के सम्बन्ध में जो कमी हो गई थी वह भी पूरी हो गई।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा उल्लिखित विरोधाभास को लेता हूं अर्थात्, उत्पादन में वृद्धि और बेरोज़गारी में वृद्धि। यद्यपि उन की बुद्धि बहुत तीव्र है, फिर भी, मैं यह नहीं जानता कि उन्हों ने पिछड़े हुए देशों की जहां आबादी अधिक होती है, आर्थिक-व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया है या नहीं। जिन कारणोंवश गत वर्ष के मध्य से बेरोज़गारी की स्थिति बिगड़ती गई है उन पर अनेक बार इस सदन में बहस की जा चुकी है। पहले तो हम यही नहीं जानते हैं कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है अथवा नहीं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे केवल छोटे से क्षेत्र के बारे में हैं और उन से पता लगता है कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस के विपरीत दूसरी ओर बहुत से ऐसे कारण हैं जिन के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि संगठित उद्योगों में मजदूरों को

[श्री बी० आर० भगत]

लगाये रखा गया है । योजना के अन्तर्गत ज्यों ज्यों विकास सम्बन्धी व्यय बढ़ता जायेगा रोज़गार भी बढ़ता जायगा । एक ऐसे देश में जहां आबादी तेज़ी से बढ़ रही हो, और रोजगार इतनी तेजी से न बढ़ रहा हो कि नये व्यक्तियों को काम मिल सके तो रोज़गार और बेरोज़गारी साथ ही साथ बढ़ सकते हैं । हमारे देश में आज यही हालत है । परन्तु उपाय क्या है ? इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर किया जाये ?

विरोधाभास इस बात से उपन्न होता है कि अनेक औद्योगिक यूनिटों में आवश्यकता से अधिक मजदूर होते हैं तथा विश्व परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन होने, अर्थात् विक्रेता के हाथ से क्रेता के हाथ में बाजार चले जाने के कारण नई पूंजी नहीं लगाई जा सकी है । मेरे विचार में यह अन्तर्कालीन स्थिति शीघ्र ही खत्म हो जायेगी । गोलार्ध के इस ओर वाले अनेक देशों में यह स्थिति बनी हुई है । परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी सब से बड़ी समस्या उत्पादन में तथा साथ ही रोजगार में वृद्धि करना है । यह एक ही विषय के दो पहलू हैं । यदि रोज़गार के बिना उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जायेगी और इस प्रकार उत्पादन को धक्का लगेगा । यदि उत्पादन में वृद्धि हुए बिना ही रोजगार बढ़ जाता है और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है तो इस से चीज़ों की कमी हो जायेगी और मुद्रास्फीति हो जायेगी । अपने दोनों माननीय मित्रों को मेरा यह उत्तर है कि इस समय हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तथा साथ ही इस विरोधाभास को भी दूर करना चाहते हैं ।

अन्त में, मैं अपने माननीय मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा उठाई गई एक दूसरी बात को लेता हू । उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सरकार ने भारतीय और विदेशी दोनों ही प्रकार की कम्पनियों द्वारा उठाये जाने वाले लाभ पर ध्यान नहीं दिया है । हम भारतीय मामले को ही लेते हैं । वह चाहते हैं कि हम लाभ के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निश्चित कर दें । हो सकता है यह उन लोगों को अच्छा मालूम पड़े जो निजी उपक्रम को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहते हैं, किन्तु विचार करने वाली बात यह है कि क्या उद्योगों में इस समय अधिक लाभ हो रहा है, क्या देश में लाभ की बाढ़ आ गई है ? लेकिन इस प्रकार की कोई बात दिखलाई नहीं पड़ती । कम से कम मेरे माननीय मित्र ने इस का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि इस देश में लाभ की 'बाढ़' आ गई है और इसलिये लाभ के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

उन्हों ने 'फ्री प्रेस जनरल' में प्रकाशित एक लेख का निर्देश किया है, जिसका मैं ने उन का भाषण सुनने के पश्चात् अध्ययन किया है । उस में ७९ कम्पनियों के लाभ का अध्ययन करने के पश्चात् परिणाम दिये गये हैं । इस लेख में बताया गया है कि ८३ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी पर इन कम्पनियों ने १५ करोड़ रुपये का लाभ उठाया । परन्तु यदि आप ६८ करोड़ रुपये की रक्षित राशि को ध्यान में रखें तो लाभ लगभग १० प्रतिशत बैठता है स्वयं लेख में बताया गया है कि इन कम्पनियों ने जो लाभांश बांटे थे वे सब मिला कर ८ करोड़ रुपये के थे । इस प्रकार प्रदत्त पूंजी और रक्षित पूंजी पर ६ प्रतिशत लाभ हुआ जो कि अनुचित नहीं है । मेरे विचार में माननीय सदस्य के मन में कुछ दुविधा है और वह यह समझते हैं कि ६८ करोड़ रुपये की रक्षित पूंजी १९५२–५३ में ही प्राप्त की गई थी । निस्सन्देह यह सत्य नहीं है । एक दूसरे विषय के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्हों ने लाभ के रूप में प्राप्त

की गई पूंजी को पुनः लगाने की अपील की थी। अतः मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वह रक्षित पूंजी के बारे में आपत्ति क्यों उठाते हैं, जो कि एक लम्बी अवधि के अन्दर जमा की जा सकी है और जो कि अन्त में उद्योगों में ही लगाई जायेगी ।

मुझे खेद है कि विदेशी प्रेषण के सम्बंध में, जिसकी ओर इन्होंने निर्देश किया है, वैसी ही ग़लत धारणा है । मैं स्पष्टतया स्वीकार करता हूं कि साम्यवादी दल के गवेषणा विभाग में कुछ त्रुटि अवश्य है क्योंकि मैंने राज्य परिषद् की कार्यवाही को पूर्णतः पढ़ा । उसमें भी मैंने यही देखा कि इसी प्रकार की गलत धारणा व्यक्त की गई है । इन्होंने कहा है कि विदेशी समवायों ने मुनाफ़ा के लगभग २०० करोड़ रुपये बाहर भेजे हैं जबकि उनके साथी ने दूसरे सदन में कहा है कि लगभग १३० करोड़ रुपया भेजा गया है । हम माननीय सदस्य से पूछना चाहते हैं कि उन्हें यह आंकड़े कहां से प्राप्त होते हैं और वे किस प्रकार ये अनुमान लगाते हैं । भारत के रक्षित बैंक ने इस विषय का प्रामाणिक अध्ययन किया है जिसके आधार पर उसका अनुमान केवल ३९ करोड़ रुपये है। इस लिए इसमें माननीय सदस्य के कथनानुसार कर लगाने की अधिक गुंजायश नहीं है ।

और लाभ के प्रेषण को रोकने का अभिप्राय यह होगा कि विदेशी पूंजी का आगमन भी रुक जायेगा । इस सम्बन्ध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार ने विदेशी पूंजी लगाने वालों को उपयुक्त लाभ प्राप्त करने का आश्वासन दिया हुआ है । भारत को उन निबन्धनों के आधार पर विदेशी पूंजी की आवश्यकता है जिन्हें हम दोनों दलों के लिए आवश्यक समझते हैं और अभी तक ऐसा कोई प्रमाण विद्यमान नहीं जिस से यह सिद्ध हो कि वर्तमान नीति को बदलने की आवश्यकता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जब मैंने विचार करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम महज़ अच्छाइयां देखें या सिर्फ बुराइयां देखें हमें इस पार्लियामेंट को तमाम चीज़ों को डिसपैशनेट तरीक़े से बिल्कुल एक सही तरीक़े से देखना चाहिए । हमें इस नक्शे पर ध्यान देना चाहिये जो आर्थिक नक्शा बजट में पेश किया गया है ।

इसमें शक नहीं कि पिछले पांच छः सालों में जिस तरह से हमारे फाइनेन्स विभाग को चलाया गया है और जिस तरह से हमारी इकानामी को चलाया गया है उसमें हमारी इकानामी के अन्दर स्थिरता आयी है । इस चीज़ से इंकार करना और यह कहना कि हमारे देश का आर्थिक ढांचा मजबूत नहीं हुआ है गलत होगा और ऐसा कहने से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको उस क्रेडिट से वंचित करना होगा जो कि उनका ड्यू है । जो हमने प्लान्ड इकानामी बनायी और जो प्लानिंग वगैरह किया है उसके लिए यह कह देना कि इससे कोई तरक्की नहीं हो रही है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, वह ठीक नहीं होगा । हम यह कह सकते हैं कि प्लानिंग का जो दायरा है वह संकुचित है लेकिन यह कहना कि संकुचित दायरे के अन्दर भी जो प्लानिंग किया गया है वह बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है । मैं और सूबों के बारे में तो नहीं जानता लेकिन मैं पंजाब के बारे में कह सकता हूं जो लोग पंजाब में जाते हैं वे कह सकते हैं कि इस पंचसाला प्लान से हमारे सूबे में तरक्की हो रही है । अगर कोई आदमी बिल्कुल आंखें बन्द नहीं कर लेगा तो वह नहीं कह सकता कि वहां तबदीली नहीं हो रही और नहरें और बिजली जो कि वहां मुहय्या की जा रही हैं उनसे तरक्की नहीं हो रही है उससे हमारी इकानमी नहीं बदल रही है और वहां के लोगों

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

के दिलों में यह ख्याल नहीं पैदा हो रहा है कि पंजाब की आर्थिक हालत सम्भलने वाली हैं। अभी जो काम हो रहा हैं उसमें देहातों में बिजली देने का और छोटी इंडस्ट्री को बिजली देने का काम हो रहा है। कुछ देहातों में बिजली जा चुकी है और अभी तीन सौ देहातों में और बिजली देने का प्रोग्राम है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वहां पर छोटी छोटी दस्तकारियों के लिए बिजली दी जाय। यह सब चीज़ें हमारे सामने हैं। इसी तरह से और काम भी हो रहा है। मैं नहीं कह सकता कि और प्रान्तों में क्या हालत है लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो प्लान बनायी गयी है उसकी रहबरी में पंजाब की इकानमी उन्नति कर रही है और उसमें काफी तरक्की हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह अनुभव करता हूं कि इन तमाम चीजों के होते हुए भी जिस तेजी के साथ हमें तरक्की करनी चाहिए और जिस तेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए उस तेजी के साथ हम नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी इकानमी में जगह जगह कुछ ऐसी रुकावटें हैं कि जिनसे हमारी तरक्की तेजी से नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि वह रुकावटें इतनी फिजीकल नहीं हैं जितनी कि दिमागी हैं। हमारा दिमाग इस बात में अभी साफ नहीं है कि हमें किधर आगे बढ़ना चाहिए। हम अभी तक यह तै नहीं कर सके हैं कि हमको बड़ी इंडस्ट्रीज को अपनाना चाहिए या छोटी इंडस्ट्रीज़ को अपनाना चाहिए और अगर दोनों को अपनाना चाहिए तो किस अनुपात में हम छोटी इंडस्ट्रीज़ को अपनायें और किस अनुपात में बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपनायें। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिला कर हमने एक मिक्स्ड इकानमी ज़रूर स्वीकार की है लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या दरजा होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर का क्या दरजा होना चाहिए यह बात साफ नहीं है। हमने टैक्सों से और दूसरे ज़रियों से रुपया इकट्ठा किया और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी किया और काफी रुपये का प्रबन्ध किया, लेकिन हम इस बात को ठीक से तै नहीं कर पाये हैं कि इस रुपये को कहां, किधर और कैसे लगाया जाय। कभी हम इसमें से कुछ रुपया प्राइवेट सेक्टर में फेंक देते हैं और कभी पब्लिक सेक्टर में फेंक देते हैं। हमारा आर्थिक ढांचा क्या हो और किस दिशा में हम तरक्की करें इस बात को हम नहीं समझे हैं और इसी वजह से हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमको उस वक्त तक प्लानिंग का फ़ायदा नहीं मिल सकता जब तक कि हमारा दिमाग इन मामलों में साफ़ न हो कि हमें किधर बढ़ना है। हमको बतलाया गया है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कुछ गिर गया है और उसकी प्राइस गिर गयी है क्योंकि बाहर की मंडियों में डिमांड नहीं है। हमारा प्रोडक्शन मुख्य तौर पर एक्सपोर्ट पर निर्भर है। अगर हमारा प्रोडक्शन इस बात पर निर्भर रहेगा कि अगर हमारी एक्सपोर्ट हो तो हमारा प्रोडक्शन बढ़े और अगर एक्सपोर्ट न हो तो प्रोडक्शन घट जाय और हमारे यहां बेकारी बढ़े तो हम नहीं बढ़ सकेंगे और हम कमज़ोर रहेंगे। हमें अपने प्रोडक्शन के लिए महज़ दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा राजनैतिक दृष्टि से 'फ्रेंडली एरिया' है उसको हमें इकानमिकली "फ्रेंडली एरिया" भी बनाना चाहिए लेकिन हमारी तमाम इकानमी और हमारा तमाम प्रोडक्शन अन्दरूनी कंजम्शन पर निर्भर रहना चाहिए ताकि अगर बाहर का एक्सपोर्ट कम हो तो हमारे यहां बेकारी न फैल जाय और प्रोडक्शन कम न हो जाय। हम जितने ज्यादा अपने अन्दरूनी कंजम्शन पर निर्भर होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इकानमी स्ट्रांग होगी। मैं यह अनुभव करता हूं कि इस बात में भी हमें अपना दिमाग साफ करना

चाहिए कि हम किन किन चीजों का प्रोडक्शन करें और कहां कहां रुपया लगावें और कितना रुपया लगावें और किन चीजों को अन्दरूनी कंजम्शन के लिए और किन चीजों को बाहर भेजने के लिए बनावें। इन चीजों में हमारा दिमाग साफ होना चाहिए जो कि अभी नहीं है।

जो रिपोर्ट हमें दी गयी है उसके चौथे पेज पर बेकारी के मुताल्लिक ज़िक्र किया गया है। बजट में बतलाया गया है कि एक साल में बेकारों की संख्या एक लाख बढ़ गयी है। यह फिगर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लिये गये हैं। बेकारी बढ़ रही है इस चीज़ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन अपनी बजट स्पीच में अर्थमंत्री साहब ने यह कहा कि यह तो एक ऐसा मामला है कि इसको जल्दी हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है :

"बेकारी एक अल्पकालीन समस्या नहीं है जिसके लिए अल्पकालीन उपचार काम आ सकें।"

४ म० प०

उनका ख्याल है कि यह तो बहुत लम्बी चीज़ है और यह बेकारी थोड़े अरसे के अन्दर दूर नहीं हो सकती, इसमें काफी अरसा लगेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि बेकारी का पूरा इलाज तो जल्दी नहीं हो सकता। इसके लिये कोई शार्ट टर्म रैमिडी नहीं हो सकती, अगर इस को हमें मुकम्मिल तौर पर दूर करना है। आपने आखिर में सिर्फ़ कह दिया कि हमारी प्लानिंग के बाद इसके लिये काफी गुंजायश है कि बकारी दूर हो जायगी और इस बात के लिये प्लानिंग में काफी उपाय समझाए गये हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरे ऊपर यह असर पड़ा है कि बेकारी की समस्या एक ऐसा मसला है कि इसके लिये तुरन्त हम कुछ नहीं कर सकते। बस इंतिज़ार कीजिये। मगर यह सब गलत है। यह मैं मानता हूं कि हम क़तई तौर पर बेकारी को तुरन्त दूर नहीं कर सकते, आखिर में प्लान में कुछ उपाय समझाये गये हैं और समय पाकर यह दूर होगी। लेकिन आप को तुरन्त भी तो कुछ उपाय करना है। आप उनसे पूछिए जो कि बेकार हैं, जो इस बेकारी के शिकार हैं, जो खाने को रोटी चाहते हैं। वे फौरन काम चाहते हैं और इन लम्बी चौड़ी स्कीमों से उनका पेट नहीं भर सकता, उनके दिल को सन्तोष नहीं होता। इसीलिये हम को कोई ऐसे उपाय ढूंढने चाहियें कि जिन से हम को इस बेकारी की समस्या का कोई तुरन्त हल कर सकें चाहे वे उपाय अस्थायी हों, जिससे यह समस्या कुछ हद तक हल हो सके। आपने बजट स्पीच में इसके लिये कोई उपाय नहीं बताए और बजट की स्पीच को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा आभास हुआ कि उस समस्या को जो महत्व आपको देना चाहिये वह आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह कह कर टाल दिया है कि इस लम्बी चीज़ के लिये लम्बी रैमिडी की ज़रूरत है।

जो नये टैक्स लगाए गये उनके सम्बन्ध में भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। यह जो नये टैक्स हैं वे कंज्यूमर गुड्स पर हैं, ऐसे लोगों के इस्तैमाल की चीज़ों पर हैं कि जो आम लोग इस्तैमाल करते हैं, जैसे साबुन पर, जूते पर टैक्स है और आर्टीफीशियल सिल्क पर टैक्स है। उस रेशम पर जो टैक्स है उसके लिये आप कह सकते हैं कि वह लग्जरी है। लेकिन वह पूअर मैन्स लग्जरी है, गरीब लोग जो अच्छा रेशम नहीं पहन सकते वह दूसरे क़िस्म का रेशम पहन कर अपने शौक़ को पूरा कर लेते हैं। हमारा टैग्जेशन का जो स्ट्रक्चर है, उस पर विचार हो रहा है, कमीशन बैठा है। लेकिन अभी ही आप ने जो टैक्स बढ़ाने का

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

निर्णय किया तो सोचना चाहिये था कि आम लोगों की, गरीब लोगों की इस्तैमाल की चीज़ें हैं उन पर टैक्स ज्यादा न लगायें । मैं बाक़ी प्रान्तों की बात तो नहीं जानता लेकिन लुधियाने और अमृतसर के एरिया में कई कारखाने इस आर्ट सिल्क के कपड़े के हैं । आपको इस बात से खुशी होनी चाहिये कि वहां पर शरणार्थी लोगों ने तथा दूसरे व्यापारियों ने इस बात की परवाह न करते हुए कि अमृतसर सीमा प्रदेश है विभाजन के पश्चात् क़रीब एक करोड़ रुपया इन कारखानों के अन्दर लगाया है । पहले भी कारखाने थे, लेकिन विभाजन के बाद एक करोड़ रुपया लगा है और उससे काफी रिफ्यूजीज को, शरणार्थियों को, वहां काम मिल रहा है । इस टैक्स के लगने से काफी लोग वहां बेकार हो रहे हैं । जो वहां छोटे छोटे सरमाये के लोग हैं वे इस टैक्स को बरदाश्त नहीं कर सकते मेरा सम्बन्ध वहां की लेबर यूनियन से है और वहां का अनुभव रखता हूं । वहां के एम्पलायर्स के रवैये से मुझे शिकायत रहती है । लेकिन मैं इस बारे में अनुभव करता हूं कि यह एम्पलायर्स और मज़दूरों दोनों के हित का ही मसला है, दोनों का ही सवाल है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बात को आपके सामने रखूं कि आर्ट सिल्क के बारे में कुछ काम करना चाहिये और आपको टैक्स लगाना ही है तो बीस या पच्चीस लूम्स, इस तरह की कोई लिमिट, हद, मुकर्रर करनी चाहिये कि जिन के ऊपर यह टैक्स न लगे । यह सब आपको देखना चाहिये ।

इसके साथ साथ मुझे कुछ सरकारी खर्चे के मुताल्लिक़ भी कहना है । इस वक्त सरकार का जो इन्तज़ाम है वह बहुत खर्चीला है । तमाम देश में इस बात को अनुभव किया जा रहा है और खर्चा कम करने के लिये काफी प्रस्ताव होते हैं । पता नहीं कि उनके बारे में आपके आफिस में क्या किया जाता है । एक बात मुझे मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट ने खर्चा कम करने के लिये यह प्रस्ताव रखा कि ७५० रुपये से ऊपर जो लोग तनख्वाह पाते हैं उनके महंगाई अलाउन्स को कट कर दिया जाय, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसमें रुकावट पैदा कर दी और पंजाब गवर्नमेंट यह कटौती नहीं कर सकी । गवर्नमेंट आफ इंडिया के रुकावट डालने से अब तक पंजाब गवर्नमेंट यह कमी नहीं कर सकी । इस बात की पंजाब गवर्नमेंट ने शिकायत भी की है । मैं समझता हूं कि यह एक तरह से पीछे डालने वाली बात है, एक रीऐक्शनरी स्टैप है । चाहिये तो यह था कि इस तरह के काम में गवर्नमेंट आफ इंडिया दूसरों को रास्ता दिखाती, प्रगति की ओर ले जाती, मैं यह महसूस करता हूं कि इस सरकार की तरफ़ से ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिये ।

इसी तरह से जो अभी तनख्वाहों में गैप है, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों और कम से कम तनख्वाह लेने वालों के बीच का जो अन्तर है, उस को भी कम करना है । वह प्रयत्न भी अभी तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ़ से नहीं हुआ । बजट की सारी स्पीच में उस तरफ़ कोई ध्यान दिया गया नहीं मालूम होता । यह नहीं मालूम होता कि उस तरफ़ कोई विचार किया गया है या नहीं, या फायनैन्स मिनिस्टर सहाब उस तरफ सोच भी रहे हैं या नहीं ।

भारत सरकार के दफ्तरों में भी काफी शिकायतें हैं, जैसे कि छोटे मुलाज़िमों की सरविस कंडीशन्स को उन्नत करने की बात है, इस बारे में कुछ नहीं किया गया । इसी तरह सिलैक्शन और प्रमोशन के बारे में काफी झगड़ा रहता है । छोटे मुलाज़िमों की हाउसिंग

की प्राबलम है, उन को मकान रहने को नहीं मिल पाते । मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में रूल्स भी एक तरह से नहीं हैं, अफसर के दिल में जो आता है वैसे ही वह करता है, समता नहीं है । तो इस तरफ़ भी कुछ होना चाहिये ।

सबसे आखिर में एक बात और कह कर खत्म करता हूं । भ्रष्टाचार की काफी शिकायत होती है और ऐडमिनिस्ट्रेशन की टोन ऊंची नहीं होती । हमें चाहिये कि देश में ईमानदारी के साथ काम करने की, देश के लिये काम करने की प्रवृत्ति हो, यह अभी नहीं है । हमें चाहिये कि हमारे मुलाज़िमों में कर्त्तव्य पालन की स्वेच्छा और निस्वार्थ भाव की प्रवृत्ति हो । इस तरफ अभी तवज्जह नहीं दी गयी है । इसके लिये गवर्नमेंट की तरफ़ से और जो हमारे नेता लोग हैं उनकी तरफ से कोशिश नहीं हो रही है कि वह ऐसी भावना लोगों में पैदा कर दें, ऐसा वायुमंडल पैदा कर दें कि जिससे ऐडमिनिस्ट्रेशन की टोन ऊंची हो जाय । मैं इस बात को लम्बी नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के लिये विशेष प्रयत्न करने चाहियें कि जनरल टोन ऊंची हो और भ्रष्टाचार की कमी हो ।

एक शिकायत में एजूकेशन डिपार्टमेंट से करना चाहता हूं । यहां कैम्प कालेज बहुत दिनों से है और उसमें बहुत से पंजाब के शरणार्थी भाई हैं, उनकी कोशिश से यह कैम्प कालेज बना है । मैंने सुना है कि गवर्नमेंट उस को बन्द करने वाली है । यह ठीक है कि इसके अन्दर कुछ टैक्निकल वजूहात हैं कि यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी है । लेकिन यह सब होते हुए भी इसके लिये कोई मार्ग निकालना चाहिये । यहां दिल्ली में बहुत कम शिक्षणालय हैं । शिक्षणालयों की संख्या इतनी कम है कि सब विद्यार्थी आसानी से दाखिल नहीं हो सकते । यह एक शिक्षणालय जो बहुत सफलता से चल रहा है, उसको जारी रखने से बहुत फायदा पहुंच रहा है, इस दृष्टि से उसको क़ायम रखना बहुत आवश्यक है । मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देगा और इन टैक्निकल बातों को बीच में डाल कर उस को बन्द करने की कोशिश नहीं करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): विकासात्मक आय-व्ययक प्रस्तुत करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । उन्होंने कई बार वचन दिया था कि संसाधनों की कमी के कारण देश के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में बाधा नहीं आने दी जायेगी । अब उन्होंने सरकार के इस दृढ़ निश्चय को व्यक्त किया है कि उसे चाहे अतिरिक्त कर, उधार विदेशी सहायता अथवा घाटे की अर्थ-व्यवस्था का भी सहारा लेना पड़े, वह पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करेगी । मैं अनुभव करता हूं कि सरकार की नीतियों से अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता आई है और बाज़ार की तेज़ी को भी रोका गया है । इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के शिष्ट मंडल के प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया है । निस्संदेह यह दुःखद बात है कि हमारा जीवन स्तर निम्नतम है और बेकारी और दरिद्रता फैली हुई है । परन्तु यदि कोई विशाल नदी घाटी बहुप्रयोजनार्थ परियोजनाओं और सामुदायिक योजनाओं को देखें तो वह नये भारत के उस चित्र का अनुभव कर सकता है जो कि सरकार के प्रयत्नों से बन रहा है । अतः वित्त मंत्री ने उचित बात कही है कि यदि इन परियोजनाओं का कार्य आरम्भ हुआ तो देश का रूप बदल जाएगा ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था की कठिनाइयों के सम्बन्ध में बहुत भय और शंकायें प्रकट

[श्री जी० डी० सोमानी]

की गई हैं। तो भी यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था और विकास कार्यों को कम करने में विकल्प हो तो मैं घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाना अधिक श्रेष्ठ समझूंगा। वित्त मंत्री ने यह वचन दिया है कि वह इस अर्थ-व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली तेज़ी का ध्यान रखेंगे। मुझे भी विश्वास है कि आयात की उदार नीति और उधार के कार्यक्रमों द्वारा इस अर्थ व्यवस्था के बुरे प्रभावों को दूर किया जायेगा। इस महान् विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र और राज्यों में जो प्रशासन व्यवस्था है उस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। भारत सरकार को योजना के अगले दो वर्षों में १,२०० करोड़ की बड़ी राशि व्यय करनी है। गत तीन वर्षों की प्रगति से ऐसा प्रतीत होत है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। वित्त मंत्री ने कतिपय विशेष साधन अपनाने का उल्लेख किया है। तो भी जब तक ये साधन बहुत असाधारण न हों यह लक्ष्य प्राप्ति कठिन ही है। फिर वित्त मंत्री को उन साधारण प्रतिबन्धों और नियंत्रणों पर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये, जिनके द्वारा यह देखना होता है कि जो धन राशि विकास कार्य में लगाई जाये उसका प्रयोग ठीक हो। इस सम्बन्ध में सभा में सुझाव रखा गया है कि एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

मैं यह भी कह दूं कि जब हमारे पास संसद् के सदस्य हैं, राज्य विधान मंडलों के सदस्य हैं और दृढ़ आचार वाले व्यापारी लोग हैं तो प्रत्येक बड़ी परियोजना के लिये इन लोगों की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये। और उनकी समितियां बनानी चाहियें। वे समितियां ध्यान रखें कि योजना की धन राशि का प्रयोग ठीक प्रकार से हो। बाद में जांच करनें का कोई लाभ नहीं होगा। नित्य प्रति के प्रशासनीय प्रतिबन्ध इस कार्य के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

अब गैर सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। करारोपण की नीति के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि वित्त मंत्री ने पहले ही घोषणा की है कि करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों तक इस में परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का ध्यान श्री तुलसीदास के पूर्व कथन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस का मैं समर्थन करता हूं। सरकार की नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन का पूंजी निर्माण और उद्योगों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक है वस्तुओं का उस आधार पर मूल्य-निर्धारण करना, जिससे हिस्सेदारों और पूंजी लगाने वालों के लिए लाभ बहुत थोड़ा रह जाता है। लोहे और सीमेंट का ही उदाहरण लीजिये। यातायात आयोग जैसे निष्पक्ष निकाय की इस सिफारिश पर भी कि इन के मूल्य ८ प्रतिशत की बजाय १० प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किये जायें उसे स्वीकार नहीं किया गया। क्या वित्त मंत्री समझते हैं कि पूंजी लगाने वालों के लिए ३ प्रतिशत लाभ न्यायोचित है ?

पूंजी बाज़ार की वर्तमान परिस्थितियों में इसे उचित लाभ की नीति नहीं कहा जा सकता।

नये करारोपण की स्थापनाओं को लीजिये। सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि इसका न केवल वर्ष प्रतिवर्ष वरन् वर्ष दो बार परिवर्तन किया जाता है। इससे दिखाई देता है कि इस व्यवस्था में कुछ त्रुटि है। गत वर्ष जब महीन कपड़े पर लगभग १०० प्रतिशत तक उत्पादन शुल्क लगाया गया तो उद्योग और उद्योग से परिचित लोगों की ओर से बार बार

अभ्यावेदन आने पर भी वित्त मंत्री ने परवाह नहीं की । इसके फलस्वरूप महीन कपड़े का उत्पादन अत्यधिक घट गया । बढ़ाई गई दर पर भी सरकार को शुल्क की प्रायः उतनी ही राशि मिली जो पहले मिलती थी और भारतीय कपास की स्थिति बिगड़ गई । तब सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी ।

सरकार का कपड़ा निदेशालय गत १० वर्ष से कार्य कर रहा है और यह आश्चर्य की बात है कि जो पदाधिकारी किसी नीति का अपनाने के लिये सरकार से सिफारिश करते हैं वे उस नीति के परिणाम का निश्चय नहीं कर सकते । सरकार को चाहिये कि अधिक उत्पादन शुल्क लगाते समय वह अपनी प्रशासन व्यवस्था की कार्य-कुशलता का अधिक प्रयोग करके कठिनाइयों के सम्बन्ध में पहले ही जान लिया करे ।

नकली रेशम के कपड़ों का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग है । इस उद्योग के छोटे छोटे कारखाने देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं इसलिए यह स्पष्ट है कि जब इस पर उत्पादन शुल्क लगेगा तो ये अपना उत्पादन कम कर देंगे और उन में से कई तो बन्द ही हो जायेंगे । जब ये शुल्क लगाये जाते हैं, तो उद्योग पर उसके आरोपण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने चाहियें ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

मैं गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिए दो विकास निगम स्थापित करने की प्रस्थापना का स्वागत करता हूं । परन्तु सरकार गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिए संसाधन प्राप्त करने में वह आतुरता नहीं दिखा रही जो उसने सरकारी क्षेत्र में दिखाई है । राज्य उद्योग विकास निगम के बारे में हम बहुत समय से सुन रहे हैं, परन्तु उसमें अनपेक्षित देरी हो रही है । यह अनुमान लगाया गया है कि गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र कृषि न करने वाली जनता के ७५ से ८० प्रतिशत भाग को नौकरी दे सकता है । इससे बहुत हद तक बेकारी की गम्भीर समस्या दूर हो सकती है । मैं आशा करता हूं कि ये दो विकास निगम शीघ्र ही बनेंगे और वित्त मंत्री गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को अधिकाधिक साधन दिलाने का प्रयत्न करेंगे ताकि दोनों क्षेत्रों का साथ साथ विकास हो सके ।

डा० मथुरम् (त्रिशिरापल्ली): श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । दक्षिण भारत से सम्बन्धित विषयों पर बोलने के पूर्व मैं बजट पर सामान्य दृष्टि से दो एक शब्द कहूंगा ।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत घाटे की अर्थ-व्यवस्था वाले बजट का मैं स्वागत करता हूं । माननीय मंत्री का कथन है कि अभी कुछ समय तक घाटे की अर्थ व्यवस्था बनी रहेगी लेकिन कितने समय तक ऐसा होगा यह हम नहीं जानते हैं । सम्भावित मुद्रा स्फीति के प्रत्युत्तर में ७४२ करोड़ रुपये का पौंड पावना प्रयुक्त किया जायेगा यह किस सीमा तक सफलता प्राप्त करेगा ? हम नहीं जानते हैं ।

यह भी सुझाव रखा गया है कि बढ़ता हुआ उत्पादन और बचत वृद्धि के प्रयत्न मुद्रास्फीति को किसी हद तक दूर कर सकेंगे परन्तु हमें यहां भी सफलता की सीमा की ओर ही निहारना है ।

माननीय वित्त मंत्री आर्थिक क्रियाओं में गति उत्पन्न करने के लिये उद्यत हैं । हमें जानना चाहिये कि बांध योजनाओं के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है । वस्तुस्थिति का ज्ञान होने पर सदन सरकार को कुछ लाभदायक सुझाव दे सकेगा और योजना को अग्रसर होने में सम्बल मिलेगा ।

अब मैं नवीन करों के सम्बन्ध में कहूंगा । जूतों पर उत्पाद शुल्क और सुपारी के

[डा० मदुरम]

निर्यात शुल्क से गरीब लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। सुपारी के सम्बन्ध में इस सदन में विभिन्न मत प्रकट किये जा चुके हैं। देश के दक्षिण भाग का निवासी होने के कारण मैं जानता हूं कि छालियां और पान-सुपारी दक्षिण में किस तरह काम में ली जाती हैं। यह उनकी संस्कृति का एक भाग है। वहां ऐसा कोई गृह नहीं है जिसमें पान सुपारी न रहते हों। प्राइवेट जलसा हो अथवा सरकारी, पान सुपारी उसका एक अविभाज्य अंग है। शैशवकाल से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों तक वह लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका विविध अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। आयात शुल्क लग जाने पर इसका भाव बढ़ जायेगा और गरीबों को संकट का सामना करना पड़ेगा। दक्षिणवासियों के लिये पान सुपारी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह भोजन के बाद इसका अनिवार्य रूप से सेवन करते हैं। इसमें कैलशियम की मात्रा रहती है। चिकित्साविद् होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कैलशियम के अभाव में रहने वाले गरीब लोगों के लिये पान सुपारी परम आवश्यक है। यह पाचन शक्ति में भी लाभ पहुंचाता है। यह भोजन का ही एक अंग है। वह बिना भोजन अथवा पेय के रह सकते हैं लेकिन पान सुपारी के अभाव में उनके लिये काम में लगे रहना असंभव है। पान सुपारी दक्षिण भारत की संस्कृति का प्रमुख अंग है। अतः वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विशिष्टि शुल्क को हटा कर गरीबों को राहत पहुंचायें।

और जूतों के विषय में मेरा विचार है कि हाथ से बने जूतों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाना चाहिये।

सुना गया है कि बजट प्रस्तुत करने के बाद अहमदाबाद में नकली रेशम के लगभग चालीस कारखाने बन्द हो गये। कारखानों के स्वामी अब इस उद्योग को लाभदायक नहीं मानते हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री उनके इस दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार सही नहीं है कि साबुन विलास की सामग्री है। साबुन धनी वर्ग और मध्यम श्रेणी तक ही सीमित न रह कर जनसाधारण के प्रयोग की वस्तु बन गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वित्त मंत्री इन पर विचार कर उक्त शुल्कों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने रचनाकाल में है। दक्षिण भारत के गांवों की अधिकांश जनता को अच्छी सड़कों के अभाव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां पानी के सम्भरण की भी उचित व्यवस्था नहीं है। योजना निर्माताओं से मेरा निवेदन है कि वह दक्षिण के प्रत्येक ताल्लुक का दौरा करें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। डा० विश्वेश्वरैया ने इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर तिरुची, पुडुक्कोट्टई और रामनाद जिलों की ऊजड़ भूमि उर्वरा बन जायेगी। योजना के निर्माताओं से मेरी प्रार्थना है कि वह इन्हें भी योजना में सम्मिलित करें। धन्यवाद।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं कई रोज से यहां पर हाउस की तकरीरें सुनता रहा हूं और उन को सुन कर बहुत आश्चर्य करता रहा रहा हूं कि इन तकरीरों का फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के दिल पर क्या असर होता होगा। श्री तुलसी दास किलाचन्द साहब उठते हैं और फरमाते हैं कि हमारे वास्ते, जितने बड़े बड़े कैपिटैलिस्ट हैं, उनके लिये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ख्याल नहीं रखा, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ गये। श्री सोमानी साहब ने भी, गो कि कम जोर से कहा, उसी लहजे को दोहराया। जब मैं श्री राजभोज

साहब की तकरीर को सुनता हूं तो वह कहते हैं कि हमारी बात तो इस सारे भवन में ही नहीं सुनी जाती, न प्राइम मिनिस्टर साहब सुनते हैं न फाइनेन्स मिनिस्टर साहब सुनते हैं। जब श्री नम्बियार साहब की बात सुनता हूं तो वह कहते हैं कि एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिये और अनएम्पलायमेंट बढ़ती ही जा रही है। अगर दूसरे भाइयों की बात सुनता हूं तो वह कहते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब एक इस तरह के आदमी हैं कि रुपया खर्च करते हैं एक हजार और देश में कुछ काम ही नहीं होता। खर्च करने का इरादा वह रखते हैं १२०० करोड़ रुपये का, लेकिन मेरे दोस्तों के ख्याल के मुताबिक वह सारा का सारा रुपया व्यर्थ जायेगा। इस सिलसिले में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। एक कहानी बचपन में पढ़ी थी कि पांच अंधे आदमी हिन्दुस्तान में एक हाथी को देखने के लिये गये, तो किसी ने कान पकड़ा, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने कुछ टटोला और किसी ने कुछ और सब के सब समझ नहीं सके कि क्या चीज है।

कई माननीय सदस्य : अंधे थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से दोस्त फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को जिस तरह से देख रहे हैं, वह दुरुस्त नहीं है। काली दास ने जब रघुकुल का बयान किया तो किस तरह कहा था, फरमाया कि उन लोगों में इनकनसिस्टेंट वर्चूज का मजमुआ था। मुझे तो नजर आता है कि थोड़ा सा हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब भी उस डिस्क्रिप्शन में आ गये हैं। मैंने इन चार वर्षों के अन्दर इतना काशस मिनिस्टर और देखा ही नहीं। और मैं तो हमेशा शिकायत ही करता रहा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बड़े सस्त हैं, जो थैली का मुंह बन्धा हुआ रखते हैं, उसको इतनी मजबूती से बन्धा रखते हैं कि उस में से कोई कहीं से पैसा निकाल ही नहीं सकता। फाइनेन्स मिनिस्टरी के पास से आप पैसा ले लें, यह मुश्किल है। मुझे भी इसका थोड़ा तजुर्बा है। गो-संवर्द्धन के सिलसिले में सब चीजें पास हो गईं, सब कुछ तय हो गया, लेकिन जब रुपये देने का वक्त आया तो देखा कि वही दिक्कतें मौजूद हैं। लेकिन जब मैं कल सुनता हूं कि श्री मोरे साहब और त्रिवेदी साहब फरमाते थे कि इन पर इस बात का फौजदारी मुकदमा चलना चाहिये, यह तो खर्च ज्यादा करते हैं कमाते कम हैं, तो मैं तो हैरान हो जाता हूं कि हमारे दोस्त किस तरह से सोचा करते हैं। मुझे तो यह मालूम होता है कि यह सब कीं सब बातें दरअस्ल दुरुस्त नहीं हैं और जैसा कि परसों किसी ने कहा था, यह सारी की सारी बातें मिसकनसीव्ड क्रिटिसिज्म (मिथ्या धारणा की आलोचना) की हैं।

हमारे सामने इस भवन में एक रेज्युलेशन आया और सारा हाउस कमिट हो गया, फाइव इयर प्लान की तरफ। तो जो शख्स उस फाइव इयर प्लान को आगे चलाता है, जो उसके लिये पांच वर्षों तक के अरसे के लिये रुपया मुहय्या करता है और जो उस नेशनल एफर्ट को पूरा कराने के लिये पैसा देना चाहता है तो मैं तो उस के सामने अपना सरे तसलीम खम करता हूं।

मैं उन के सामने सिर झुकाता हूं। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो पालिसी इस हाउस में कायम की थी उसको निभाने में उन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरी एफर्ट से काम लिया। कहा जाता है कि मिडिल क्लास डूब गई, गरीब भी डूब गये और अमीर भी डूब गये। अगर अमीर और गरीब दोनों डूब गये, तो मैं पूछता हूं कि आखिर तरा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कौन ? क्या कोई भी नहीं तरा । बात यह है कि हर एक आदमी अपने नुकते ख्याल से देखता है । असल में सारे का सारा हिन्दुस्तान तिरने की तरफ जा रहा है । मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि यह जो फाइव इअर प्लान है और इसके ऊपर जो रुपया खर्च हो रहा है, यह सब से बड़ा इन्वेस्टमेन्ट देश के लिये है और देश के भले के लिये है । जो बजट इसको पाये तकमील तक पहुंचाता है वह बिल्कुल दुरुस्त है और उसके ऊपर नुक्ता चीनी करना फिजूल है ।

आज लोग कहते हैं कि आज कल अन-एम्प्लायमेन्ट बढ़ गया है, कहते हैं कि देश गरीब हो रहा है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेरे जिला हिसार के उस हिस्से में जा कर देखिये जिसे कि भाखरा डैम से पानी मिला है । वहां के लोगों को जाकर देखिये कि उन की क्या हालत है और किस तरह से उन के ऊपर फाइव इअर प्लान का असर हो रहा है । अगर इसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही है तो कैसे वहां के लोग इतने खुश हो रहे हैं । पंजाब के उस हिस्से में देखिये जहां भाखरा का पानी पहुंचा है, पेप्सू जाकर देखिये । राजपूताने में, उस खुश्क राजपूताने में जहां पानी की शकल नहीं दिखाई देती थी, उन सब के वास्ते प्रामिज है कि वहां पानी लाया जायगा, वहां हरियाली छा जायेगी ; खुशहाली आ जायगी—और सारे इलाके की काया पलट जायगी । जिस वक्त पंजाब का पार्टीशन हुआ, हालत यह थी कि वह बिल्कुल डि-फिसियन्ट सूबा था, वह अनाज के मामले में सैल्फ सफिशिएंट नहीं था, लेकिन आज पंजाब हिन्दुस्तान को ९० लाख टन चावल दे रहा है । यह आखिर किस चीज की बदौलत है ? कहा जाता है कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं है, मगर यह २० करोड़ ७९ लाख रुपया किस के लिये खर्च हो रहा है ? क्या यह कामन मैन नहीं हैं ? क्या वह लोग आम शहरी नहीं हैं जिनको हमारे कम्युनिस्ट दोस्त इतना अजीज समझते हैं, यानी इन्डस्ट्रियल लेबरर्स ? मैं नहीं जानता कि जगहों की क्या हालत है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे यहां मिडिल क्लास भी हैं और इन्डस्ट्रियल लेबरर भी हैं । आज कौन सा लेबरर है जो कि दो रुपये रोज से कम पाता है ? मेरे यहां तो इलाके भर में दो रुपये पर भी मामूली मजदूर नहीं मिलता । मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक पंजाब का सवाल है, वहां तक यह पालिसी कामयाब है, बजट भी कामयाब है और गवर्नमेंट की पालिसी भी कामयाब है । मुझे इसके कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह सब की सब कामयाब हैं और मैं कम से कम अपने इलाके की तरफ से आन-रेबल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी पालिसी निहायत कामयाब है । मैं चाहता हूं कि उनकी यह पालिसी फले और फूले ।

इतना कह कर मैं अर्ज करूंगा कि हमें फाइनेन्स मिनिस्टर साहब पर पूरा भरोसा है और मिनिस्टर साहब की डेफिसिट फाइनेन्सिग की पालिसी का भी मैं कायल हूं । मैं ने पिछले बजट के मौके पर कहा था कि अगर कहीं हमारे देशमुख साहब डेफिसिट फाइनेन्सिग से काम लें तो हमारे देश के वास्ते नेकफाल है । वह इतने कांशस हैं कि वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं । जब वह शुरू में आये थे तो कहा जाता था कि वह ब्यूरोक्रेट हैं, आई० सी० एस० हैं, लेकिन हमने घसीट कर उनको कांग्रेस मैन डेमोक्रेट बना दिया । मैं कहता हूं कि उनका यह बहुत बोल्ड बजट है और बहुत ठीक बजट है । मैं अर्ज करूंगा कि अगर

किसी चीज के वास्ते डेफिसिट फाइनेन्सिंग जस्टिफाइड है तो डिवलेपमेंन्ट प्रोग्रैस के लिये भी जस्टिफाइड है, और एक एक रुपया जो आप खर्च करेंगे उस के लिये देश का समर्थन मिलेगा ।

यह कह कर अब मैं टेक्सेशन पर आता हूं । जो तीन चीजें टेक्स लगाने की हैं जब मैं उनकी तरफ आता हूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब मैं यह देखता हूं कि इस टैक्स से वह फाइव इअर प्लान को आगे चलावेंगे और इस से प्लान में तरक्की होगी तो मुझे कोई शिकायत की वजह नहीं मालूम पड़ती । लेकिन मैं जब इसकी तरफ देखता हूं तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब २५० करोड़ रुपये का डेफिसिट फाइनेन्सिंग करने को तैयार हैं तो वह इन थोड़े से, चन्द करोड़ रुपयों के वास्ते देश के अन्दर बदनामी लेने को क्यों तैयार हैं । लोग कहते हैं कि "जूता हमारा टूट गया, मुझे जूता नहीं मिलेगा, मेरे कपड़े पर कत्तर लग गये, मुझे कपड़ा नहीं मिलेगा" । सब लोगों को अपनी अपनी बात कहने की आदत होती है । एक मेरे दोस्त ने कहा कि जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं वह नहीं मिलतीं, और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इतने सनकी हैं कि हम को उन छोटी छोटी चीज़ों से भी महरूम करना चाहते हैं । क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं जानते कि ऊंची हील का जूता पहनने से थोड़ी उंचाई (क़द) भी बढ़ जाती है, कपड़े सभ्यता की निशानी हैं और पान खाने से मुंह रच जाता है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन के अन्दर हद्द से ज्यादा ऐहतियात है, वह ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश को और ज्यादा रुपया मिले । उनको इसकी फिक्र नहीं है कि वह अनपापुलर हो जायेंगे, लेकिन वह देश के फाइनेन्सज को साउंड बेसिस पर लाने के लिये टैक्स लगा रहे हैं । फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि इस टैक्स लगाने के अन्दर कई गरीब आदमी बेचारे बीच में ही पिस जायेंगे । एक हमारे रिफ्यूजी साहब हैं, उन्होंने ८,००० रुपया लोन लिया है । उसने एक सोप फैक्टरी खोली है । सिर्फ एक प्रासेस में वह एलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, और कुल ६ आदमी उसमें काम करते हैं । वे कहते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने हमारा ख्याल नहीं रखा । कम से कम ऐसी इंडस्ट्री जिसके अन्दर १० आदमी से कम लगे हैं, और जहां एलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी होती हो, लेकिन दस आदमी से कम, चाहे वह सोप फैक्टरी हो, या कोई दूसरी फैक्टरी हो उस पर अगर आप टैक्स लगायेंगे तो आप उसी पर टैक्स लगायेंगे जिसके लिये कि आप सारा फाइव इअर प्लान बना रहे हैं । आप ने टैक्स लगाते वक्त फैक्टरी की तारीफ जूतों के मुताल्लिक लिखी परन्तु सोप के लिये यह तारीफ लागू नहीं की ।

जनाब आला, मुझे चंद बातें और अर्ज करनी हैं । मैं सब से पहले काश्मीर के मजमून पर आता हूं । अर्सा दराज हुआ जब मैं पार्लियामेंट की तरफ से दो तीन दफा कश्मीर गया वहां मैंने जाकर जो कुछ देखा उस की यहां आकर रिपोर्ट भी की । सन् १९५० में मैंने जब हाउस के अन्दर प्रेसीडेन्ट साहब के ऐड्रेस पर बहस हो रही थी एक मोशन भेजा था कि कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है और वहां के लोगों में बेचैनी और अनिश्चिति बढ़ती जा रही है । वहां की जनता का विचार है कि जनमत गणना उनके अधिकार की चीज है, अतः प्रवेश आदि के सम्बन्ध में उन्हे स्वयं निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये ।

श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, चार साल का अर्सा हो चुका था जब कि यह ऐमेंड-

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मेंट भेजा था और उसके बाद कश्मीर में कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली बनी और सब कुछ हुआ । आज उस कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली की सिफारिश गवर्नमेंट आफ इन्डिया के पास आ चुकी है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा यह हाल होता कि ६ वर्ष तक हम को अपनी किस्मत का फैसला न मालूम होता कि हमारा कान्स्टिटूशनल स्टेटस क्या होगा तो हमें कैसा महसूस होता । मैंने १९५० में महसूस किया कि कश्मीर के लोग बड़े दुखी हैं, वह नहीं जानते कि यू० एन० ओ० में प्लेबिसिट से क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा । अब जब कि हमारे पास ऐक्सेशन के लिये दरख्वास्त आई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के कंसीडर्ड ओपिनियन यह है कि इसको मन्जूर करना चाहिये । मैं और किसी चीज में नहीं जाना चाहता । मैं अर्ज करूंगा कि अगर डिमोक्रेसी की कोई वकअत हम करते हैं, तो यह चाहिये कि ऐक्सेशन मंजूर करलें और जो दो हजार वर्ष से हमारे रिश्ते चले आये हैं, जहां हमारा सब से बड़ा पोएट पैदा हुआ, जहां हमारे पुराने ट्रेडिशन्स व ताल्लुकात हर किस्म के मौजूद हैं, उन से हम जुदा न रहें ।

जनाब की खिदमत में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । इस कदर ऐहतियात से हम देश की भलाई के लिये योजना बना रहे हैं, लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस हाउस में आ कर फरमाते हैं कि आज ग्रेव सिचुएशन है, उस ग्रेव सिचुएशन का कोई भी जिक्र या नक्शा हम अपने बजट में नहीं देखते । मैं दरअसल उन आदमियों में से नहीं हूं जो यह समझें कि आर्मामेंट रेस हो सकती है या होनी चाहिये हम इस काबिल हैं कि हमारी एक साल की आमदनी हमें इस काबिल बना सकती है कि हम हर बड़ी ताकत का मुकाबिला कर सकें, लेकिन जहां तक हो सके, मेरी राय है कि हम लोग डिफेन्स पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें । लेकिन इस डिफेन्स को छोड़कर एक चीज और रह जाती है जो कि डिफेन्स अगर नहीं, लेकिन डिफेन्स से कम भी नहीं है । वह है हमारा होम डिफेन्स आज दिल्ली सेक्रेटेरियट और हमारा यह भवन एटोमिक हथियारों के सामने, एरोप्लेन के सामने क्या हैसियत रखता है ? मैं चाहता हूं कि जहां तक इस दिल्ली की सेक्रेटेरियट की, इस गवर्नमेंट की या पंडित नेहरू और देशमुख साहब की यहां जो वर्क करने की जगह है, उसका जहां तक ताल्लुक है, उनका पूरे से पूरा बचाव किया जाय । यह बचाव कैसे हो सकता है ?

आप लंदन में जाइये । वहां पर कोई हवाई जहाज बम नहीं डाल सकता । मैं चाहता हूं कि ऐसा ही इंतजाम यहां के लिये किया जाय । यह तो बाद की चीज है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेंगे, लेकिन ताहम जो, वार्डर के इलाके हैं उनमें सब से पहले पैनिक होगा । उन इलाके के लोगों को आप गुरिल्ला वारफेयर के लिये ट्रेन करें । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है वहां का एक एक यूथ अपनी जान लड़ा देगा और यह नहीं होगा कि किसी दुश्मन को पंजाब में कदम रखने की इजाजत दे । पंजाब के जाटों ने टर्की व फ्रांस में जाकर अपनी बहादुरी का सिक्का जमाया । वह आज भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं मगर जब तक आप उनको गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक न तो वह यह समझेंगे कि हम काफी मजबूत हैं और न वह पूरा काम कर सकेंगे । हम भी यह फील करते हैं कि आप टैरीटोरियल फोर्स को बढ़ाइये लेकिन साथ साथ जो बार्डर

का एरिया है वहां के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर सिखलाया जाय । मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं वह अकेली मेरी ही राय नहीं है । बल्कि वह मेरे सारे इलाके वालों की राय है । इस पर आप जरूर ख्याल फरमावें । तो आप इन दोनों के तरह के डिफेन्स का खास ख्याल रखें ।

स्वराज्य मिलने के पहले जब जब मैं बजट पर बोलता था तो मैं अपनी यार्ड-स्टिक यह रखता था कि अगर हमारे अछूत भाइयों की तरक्की हुई है तब तो कुछ तरक्की हुई है और नहीं तो तरक्की नहीं हुई है । लेकिन अब मैंने अपनी वह यार्डस्टिक तबदील कर दी है और मैं देखता हूं कि जो डायरे-क्टिव प्रिन्सिपल हमने रखे हैं उनकी तरफ हमारा कदम बढ़ा है या नहीं । अगर उस तरफ हमारा कदम बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि हमने तरक्की की है और अगर नहीं बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि हमने तरक्की नहीं की है और हमारी तरक्की नहीं हो रही है । आप ने वायदा किया था कि १५ वर्ष के अन्दर हम देश में हिन्दी फैला देंगे । चार वर्ष हो चुके और मुझे यह नजर नहीं आता कि कैसे ११ वर्ष में आप अपना यह वायदा पूरा कर सकेंगे । कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि हमारी लैंगवेज उर्दू हो । अली-गढ़ में इस के लिये एक कानफ्रेंस की जाती है और यह मांग की जाती है । इस मौके पर इस तरह की फिसीपेरस टेंडेंसी दिखाना मुल्क के हक में किसी तरह अच्छा नहीं हो सकता । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस वक्त खुसूसन इस देश में यह चीज पैदा होना बहुत मुजिर हो सकता है । हम चाहते हैं कि ऐसी चीज बन्द की जाये । आज कल हम रोज सुनते हैं कि इतने मुसलमान वापस आ गये और उनको बसाया गया । हम नहीं चाहते कि हमने जो कुछ कांस्टीटुयूशन में तय कर दिया है उसके खिलाफ हम जायें और हम समझते हैं कि किसी भी मुसलमान को जोकि इस मुल्क में रहता है वही अख्तियारात हासिल हैं जो कि किसी और को हैं । लेकिन हम बाहर से आने वालों को कब तक इस तरह बसाते चले जायेंगे ? क्या ऐसे आदमियों से देश को खतरा नहीं ?

इसी सम्बन्ध में मैं आपकी तवज्जुह दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं । आपने वादा किया था कि दस वर्ष में हम अछूतों को अपने बराबर ले आवेंगे । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि इस भवन में ऐसा कौन भाई है जो अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सके कि हम इनको अपने बराबर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । जो कुछ हमने अब तक किया है वह काफी नहीं है । यह कहना कि हमने अब तक कुछ नहीं किया है, गलत है । हमारे जितने भी रिसो-र्सेज हैं हमने उनके मुताबिक किया है लेकिन मैं इस रफ्तार को दुगुनी और चौगुनी देखना चहता हूं । मैं चाहता हूं कि एक एक नौकरी जिसके लिये काबिल अछूत लोग मिलें उसमें उनको रखा जाय, उनको जमीनें दी जाय । यहां से १५ मील दूरी पर ही एक गांव मुलाहेडा नामी में मैं ने देखा कि चिराग के नीचे अंधेरा है । मैंने देखा कि मुलाहेडा गांव में यहां से १५ मील पर एक हजार गज जमीन में २५ खानदान अछूतों के रहते हैं और उनके साथ उनके जानवर भी रहते हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे साथ उस गांव को चलकर देखें । यह बात नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने उनका ऐसा हाल कर दिया है लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि देश के अन्दर पा-वर्टी की क्या हालत है । हमारे लायक दोस्त हीरेन मुखर्जी ने कहा था कि त्रावनकोर कोचीन में फी आदमी साढ़े तीन आने की आमदनी है । लेकिन वह नहीं जानते कि एक जमाना था कि जिसको हमने दो पैसे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

रोज का काम दे दिया वह उसको बलैसिंग मानता था। जो गांव मैंने बतलाया है अगर आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर दुनिया में कहीं हैल (नरक) हो सकता है तो वह इसी जगह पर है। लेकिन मैं बेबस हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा लेकिन वह उनकी हालत को तबदील नहीं कर सकते। मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकते। इस लिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप स्टेप्स लीजिये और किसी को मुकर्रर कीजिये जो कि उनकी हालत को तबदील कर सके। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उनकी हालत नहीं बदलेगी।

तीसरी चीज जिसकी तरफ मैं तवज्जुह दिलाना चाहता हूं वह काऊस्लाटर (गोबध) का सवाल है। मैं अपने कान्स्टीट्यूशन से किसी को बड़ा नहीं समझता, जिसकी पाबन्दी मिनिस्टरों, कैबिनेट और सब शहरियों पर है कान्स्टीट्यूशन हमारी आखिरी चीज है। आपने दफा ४८ में लिखा है कि जहां तक हो सकेगा हम एग्रीकलचर के माडर्न मैथड्स को अपनायेंगे। साथ ही यह भी उसमें दिया हुआ है कि जहां तक काऊ ब काऊज का सवाल है उसको स्लाटर करना बन्द कर देंगे और उसके अलावा जो दूसरे मिल्च (दुधारू) और ड्राफ्ट (वाहक ढोर) कैटिल हैं उनका स्लाटर भी बन्द कर देंगे। मैंने इस हाउस में पिछले ६ सालों में बड़ी कोशिश की कि इस तरफ तवज्जुह दिलाऊं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने कोई तवज्जुह न दी बल्कि हमारे एक डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसकी तरफ इस हाउस में और दूसरी जगह पर तवज्जुह दिलाई गयी। मुझे खुशी है कि आज श्री किदवई साहब ने इस हाउस में भी कहा और उनकी राय है कि वह उस सरकुलर को विदड्रा कर लेंगे। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप डिमाक्रेसी को सही मानों में समझना चाहते हैं और अगर आप देश की आवाज सुनना चाहते हैं तो आप पूरा कदम उठाइये और स्टेट्स को इस बारे में हिदायत दीजिये। हम कलकत्ते और बम्बई गये और हमने देखा कि उन स्टेट्स को इस बात का अहसास नहीं है कि उनको क्या करना है। जिस देश के अन्दर कैटिल की यह हालत है उस देश के अन्दर २०६९ करोड़ की या इस से भी ज्यादा रकम की स्कीम से कोई ज्यादा फ़ायदा नहीं हो सकेगा। मैं खुश हूं हमारे कृष्णप्पा साहब ने फरमाया और तसलीम किया था कि यह हमारे जानवर हमारी चलती फिरती सिंदरी फैक्टरी और चित रंजन हैं। लेकिन आपने ग्रो मोर फूड पर तो तकरीबन १०० करोड़ रुपया पिछले कई सालों में खर्च किया पर जानवरों पर आपने ६ लाख ही खर्च किया। मैं ऐसे इलाके से आता हूं कि जहां के लोग गोश्त नहीं खाते और शराब नहीं पीते थे। ये विश्व युद्धों के ज़माने से कुछ लोग इनका इस्तैमाल करने लगे हैं। अगर मैं वहां के लोगों की बहादुरी का ज़िक्र करूंगा तो आपके कान खड़े हो जायेंगे और आप महसूस करेंगे कि वैजीटेरियन लोग कितने मज़बूत होते हैं। मैं कहता हूं कि खेती के लिए गौ का पालना तो पहली चीज़ है। पुरानी सरकार ने तो इस तरफ कुछ नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने भी इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है। हमने गोसम्वर्धन काउन्सिल बनायी लेकिन उसको कोई रुपया नहीं देता। इस देश के १६ परसेंट आदमी यह नहीं जानते कि दूध क्या होता है। विलायत में आप देखें कि फी आदमी एक सेर दूध का रोज़ाना इस्तैमाल का औसत है, डेनमार्क में दो सेर का औसत है। ऐसा ही दूसरी जगहों पर भी है। लेकिन हमारे मुल्क में यह औसत

पहले ७ छटांक था, वह घट कर पांच छटांक रहा और अब पौने पांच छटांक रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हरा भरा हो तो आप गाय का क़त्ल बन्द करने व उसके नस्ल-सुधार पर काफी रुपया खर्च कीजिए; कम से कम बीस करोड़ रुपया तो इस बात के लिए खर्च कीजिए—आप की ९,००० या १०,००० राष्ट्रीय आय में से २५ प्रतिशत के लिए मवेशी ज़िम्मेददार हैं। आपने एक करोड़ रुपया गोसदनों के लिए रखा है। यह बहुत कम है। लेकिन खर्च इसमें से भी कुछ नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने गोसदन खुले हैं। मैं मानता हूं कि सरकार ने कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ४८ में इस पालिसी को माना है कि हम काऊ-स्लाटर को बन्द कर दें लेकिन होता क्या है? जब रुपया मांगा जाता है तो कह दिया जाता है कि यह कैटल यूज़लेस हैं। आप नहीं जानते कि कितने लोग इन जानवरों को मैन्योर के लिए ही रखते हैं। मैं मानता हूं कि यह प्राबलम मुश्किल है लेकिन इसको हमें हल तो करना ही है। हमारे प्रेसीडेंट साहब ने हिसार में अपने एड्रेस में कहा था कि जो मौजूदा कैटल हैं उनका सब काम १५ साल में हो जायगा। आप आयन्दा के लिए ऐसी कोशिश करें कि बेकार जानवर पैदा न हों। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जह नहीं की है। मुझे डर लगता है कि गौ का नाम लिया नहीं कि लोग समझने लगते हैं कि यह तो हिन्दू धर्म की बात है।

५ म० प०

इसको इकानोमिक बेसिस पर देखिये, ठीक तरह से देख कर फैसला कीजिये। बछड़ों के वास्ते तो कम से कम जो आपका कांस्टीट्यूशन है, उसमें साफ दर्ज है कि उन को नहीं मारा जायगा। उनके बारे में क्या हो रहा है? आज उनकी खालें पहले के मुकाबले में चार गुनी हिन्दुस्तान से बाहर जाती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस कांस्टीट्यूशन की दफ़ा ४८ की किस तरह मिट्टी खराब हो रही है कि चौगुनी ज्यादा इन बछड़ों की खालें हिन्दुस्तान से बाहर जा रही हैं। इसीलिये मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप अवाम की आवाज़ को सुनें, आप सुनें कि वे लोग क्या कहते हैं कि जिनके वास्ते आप अपील करते हैं कि वह अपने खून का आखिरी क़तरा आपको बचाने के लिए दें अपने देश की हिफाज़त के लिये दें। आप उनकी आवाज़ सुनिए। आप देश की आवाज़ को सुनिए और इनका क़त्ल बन्द करिए।

मैं जनाब का बड़ा मशकूर हूं कि जनाब ने मुझे बोलने का मौका अदा फरमाया। अब मैं ख़त्म करता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से सम्बंधित समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन गैर या सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर विचार करेगा।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं प्रस्तुत करता हूं:

> "यह सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दिनांक १६ मार्च, १९५४ को सदन के समक्ष उपस्थित चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है।"

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ।

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री गिडवानी : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "इस सदन की राय है कि १९५१ की जन गणना के प्रतिवेदन में व्यक्त तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या को नियंत्रित करने के विचार से सरकार को योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिवार आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिये सब प्रभावी विधान अपनाने चाहिये ।"

जन संख्या की समस्या हमारे देश में भयानक रूप धारण कर रही है । जनगणना आयुक्त के अनुसार भारत की आबादी सन् १९५१ में ३५·७ करोड़ थी । यदि वह वर्तमान रफ्तार से बढ़ती रही तो १९८१ में हमारे देश की आबादी ५२ करोड़ हो जायेगी । खाद्यान्न उत्पादन के सम्बंध में प्रतिवेदन में कहा गया है कि वह वास्तविक आवश्यकता से ५० लाख टन कम है । चूंकि हर वर्ष जन संख्या में वृद्धि होती जायेगी अतः खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा उत्पन्न करना असंभव है ।

खाद्यान्न के सिवाय स्वास्थ्य की समस्या है । यदि हम इन सब समस्याओं की ओर देखें तो हमें मालूम होगा कि देश के लिये वर्तमान बढ़ती हुई जन संख्या को सहन करना संभव नहीं है । कुछ लोगों ने कहा कि पंचवर्षीय योजना समुचित रूप में चल नहीं रही है तथा द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना की समस्याएं हल करने में असफल रहेंगी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

यह एक गंभीर समस्या है और मेरी इच्छा है कि सदन इस पर शान्त और गम्भीर मस्तिष्क से विचार करे । आज हजारों व्यक्ति तंग कोठरियों में अपना जीवन बिता रहे हैं । दिल्ली जैसे स्थान में भी, प्रजा समाजवादी दल के अनुसार—लगभग छः हजार व्यक्ति जाड़े की रातें फ़ुटपाथ पर बिताते हैं । बम्बई तथा दूसरे स्थानों में लाखों व्यक्ति आश्रयहीन हैं ।

शिक्षा के सम्बंध में भी यही स्थिति है । दिल्ली नगरपालिका समिति के अध्यक्ष श्री श्यामनाथ ने नगरपालिका का बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिल्ली में बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिये ५० स्कूलों की और आवश्यकता है । इसके लिये १० लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है और 'वर्तमान भारी वित्तीय दायित्व' की स्थिति में वह उक्त संख्या में स्कूल खोलने में असमर्थ हैं । अतः शिक्षा, आवास, गृह-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से हम पर्याप्त पिछड़े हुए हैं और यदि जनसंख्या की वृद्धि इसी प्रकार बनी रही तो मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति होगी । सरकार ने इस समस्या के निदान के लिये जो कुछ भी उपाय किये हैं उसके लिये मैं उनका आभारी हूं लेकिन मेरी शिकायत है कि अभी इस दिशा में पर्याप्त उपचार नहीं किया गया है ।

परिवार आयोजन के तृतीय अन्तर्राष्टीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डा० राधा कृष्णन् ने विचार व्यक्त किया था कि ईश्वर ने हमें जो बुद्धि प्रदान की है, मानवीय लोक कल्याण की प्राप्ति के लिये उसका प्रयोग करते हुए हमें निष्कर्षों की आशा के साथ साथ तथ्यों से निकट सम्बंध रखते हुए परिवार आयोजन करना चाहिये । सम्मेलन की सफलता कामना पर संदेश प्रेषित करते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने व्यक्त किया था कि

हमें इस प्रश्न के प्रत्येक पहलू की जांच करने के बाद उदात्त भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिये । चिकित्साविद् डा० ए० आर० मेहता ने भी यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में भयंकर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश रखने के लिये किसी उपाय की अतीव आवश्यकता है ।

२७ दिसम्बर से २९ दिसम्बर, १९५३ तक हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय मेडिकल सम्मेलन में सम्मेलन के अध्यक्ष डा० एस० सी० सेन ने भी उपरोक्त विचारों का पोषण किया है । सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाओं का मैं ने अवलोकन किया है । मुझे याद है कि सरकार ने दो समितियां बनाई हैं । लेकिन मेरी इच्छा है कि इसका विज्ञापन व्यापक हो और अधिक व्यक्ति इसका समर्थन करने लगें । इस समस्या के हल के लिये प्रयत्न की आवश्यकता है । यह समिति मंत्रणा निकाय के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही रखी जा सकती है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

इसके बाद सभापति महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा :

> "मैं जानना चाहता हूं कि संशोधनों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ।"

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर यह संशोधन रखा जाय कि इस सदन की राय में जन संख्या की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जायें :—

(१) परिवार आयोजन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें ;

(२) परिवार आयोजन के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में उनकी उपयुक्तता आदि जानने के लिए प्रयोग किये जायें ;

(३) परिवार आयोजन के विषय में जनता को आवश्यक शिक्षा देने के लिए विधि तथा प्रक्रिया का विकास किया जाये; और

(४) मानव उत्पादन के टैक्नीकल तथा चिकित्सा सम्बन्धी पहलुओं के बारे में गवेषणा की जाये ।

सभापति महोदय : श्री एस० एन० दास तथा श्री रघुनाथ सिंह दोनों अनुपस्थित हैं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाये कि परिवार आयोजन का विचार किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित नहीं और संसार में केवल प्रतिक्रियावादी ही इसे उपयोग में लाते हैं इसलिए, सदन सरकार से यह आग्रह करता है कि राष्ट्रीय नीति के रूप में परिवार आयोजन का परित्याग किया जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाये कि सदन की राय में जन संख्या समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए एक जन संख्या आयोग स्थापित किया जाये जो अन्य बातों के साथ साथ परिवार आयोजन के सम्बन्ध में भी अपनी शिफारिश पेश करे ।

सभापति महोदय श्री वी० पी० नायर के नाम पर एक संशोधन है जो कि मेरे विचार में अनियमित है ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : किस नियम के अन्तर्गत यह अग्राह्य है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य नियम ३१३ तथा ३१४ देख सकते हैं ।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में शब्द "measures" ["उपाय"] के बाद "excluding artificial methods of birth control" ["सिवाय संततिनिरोध के कृत्रिम उपायों के"] शब्द निविष्ट किये जायें ।

श्री एन० एल० जोशी (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:—

"and for this purpose set up a committee of this House to advise the Government on this subject"

["तथा इस उद्देश्य के निमित्त सरकार को इस विषय पर परामर्श देने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये ।"]

सभापति महोदय : श्री वी० बी० गांधी तथा श्री बर्मन के संशोधन अनियमित हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज अनुपस्थित हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी का संशोधन भी अनियमित है ।

श्री वैंकटारमन के नाम पर भी एक संशोधन है ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय द्वारा ऊपर उल्लिखित सभी संशोधन सदन के समक्ष रखे गए ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : श्रीमान्, श्री गिडवानी ने अपने भाषण में कई एक बातें ऐसी कहीं जिन से मैं सहमत हूं । परन्तु इस में कुछेक बातें ऐसी भी थीं जिन से मैं सहमत नहीं हूं । उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जनता इस समय रोटी, कपड़ तथा मकान के लिए तरह तरह के कष्ट उठा रही है । अभी मद्रास में एक व्यक्ति को २० वर्ष क़ैद की सज़ा मिली क्योंकि उसने भुखमरी से तंग आ कर अपने दो पुत्रों की हत्या की थी । हमारी ग़रीबी, बेकारी तथा भुखमरी के सम्बन्ध में हम सभी सहमत हैं ।

मतभेद केवल यहां है कि इस रोग के निवारण के लिए गलत दवाई बताई जाती है । पूंजीवाद के समर्थक सदा यह राग अलापते रहे हैं कि लोगों की इस दुर्दशा का कारण उनका अत्यधिक संख्या में होना है । पिछड़े हुए देशों पर सदा यह आरोप लगाया जाता है कि वह अधिक बच्चे पैदा करते हैं । हमारे कुछ फौजी भाइयों ने भी यही बात रायलासीमा की जनता से कही थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह की बातें बंद करनी चाहिये । भारत की दुर्दशा का कारण जन संख्या का अत्यधिक होना नहीं है अपितु धन का कुवितरण है । हमारे यहां उचित प्रकार की उत्पादन तथा वितरण प्रणाली नहीं है । इसी त्रुटि को छिपाने के लिए पूंजीवादी-समाज अत्यधिक जन संख्या का हौवा खड़ा करता है । इस समाज के समर्थक मूल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं । मैं अपने मित्र श्री गिडवानी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह की बातों से बहक न जाना चाहिये । इस रोग का मूल कारण पूंजीवादी समाज है । हमें इस समाज को बदलना चाहिये केवल तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं । पूंजीवाद की दावेदार सरकारें जनता को धोखे में रखने के लिए परिवार आयोजन का प्रचार करती हैं । इस विचार धारा के समर्थकों में वाग्ट तथा प्रो० ए० वी० हिल जैसे व्यक्ति भी हैं जो कि यह कहते हैं कि डाक्टर लोग हैज़ा आदि

जैसी महामारियों का इलाज करके जनता का अहित कर रहे हैं । उनके मतनुसार लोग मरते जाने चाहिये जिससे कि जन-संख्या का स्तर नीचे रहे ।

जहां तक भूमि का सम्बन्ध है हम आधुनिक उपकरणों, आधुनिक खाद तथा आधुनिक उपायों को उपयोग में लाकर अपनी पैदावार कई गुना बढ़ा सकते हैं । यदि आज पैदावार ज्यादा नहीं तो इसका कारण यह है कि पूंजीपति अपने देश के लिए तथा इस में रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं । हमारे पास इतने जल साधन हैं । इन्हें सिंचाई के काम में लाया जा सकता है । हम भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए नये उपाय निकाल सकते हैं । यहां तक कि इस उद्देश्यपूर्ति के लिए अणुशक्ति भी काम में लाई जा सकती है ।

हमारे देश में लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं । बच्चे अधिक पैदा होने का यह भी एक कारण है । पूंजीवादी समाज में लोगों के खाने के लिए आहार काम मिलता है । हमें इस कारण को समझना चाहिये ।

श्री वेंकटरामन् : श्रीमान् इस वाद विवाद में भाग लेने की मेरी इच्छा जनगणना कमिश्नर की रिपोर्ट को पढ़ने से उत्पन्न हुई है । मुझे भरोसा है कि सारे माननीय सदस्यों ने यह रिपोर्ट पढ़ी होगी । इसमें जनसंख्या का वृद्धि तथा उत्पादन के उपलब्ध साधनों आदि की सविस्तार समीक्षा की गई है, अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि हम अपनी जनसंख्या की बढ़ोत्तरी को नहीं रोकेंगे तो १९८१ में हमें उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिनका कि हमें १९४३ में बंगाल में करना पड़ा है । जब तक कि डा० रामाराव उस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों तथा आंकड़ों का खंडन नहीं कर सकेंगे, जब तक मेरे विचार में पूंजीवादी प्रणाली की कितनी ही लांछना भी हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज उपलब्ध नहीं कर सकती है । यह ठीक है कि किसी देश की जनसंख्या कम होने से ही वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है । परन्तु यदि किसी निश्चित राष्ट्रीय आय के साथ वहां की जन संख्या घटती बढ़ती जाय तो इसका वहां के लोगों के जीवन स्तर पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है ।

उत्पादन शक्ति बढ़ाने की भी सीमाएं हैं, प्रश्न यह है कि यह शक्ति बढ़ाने के लिए हम कहां तक साधन—वैज्ञानिक तथा अन्य—प्राप्त कर सकते हैं । बताया जाता है कि सामूहीकरण तथा उत्पादन और वितरण प्रणाली में परिवतन करने से हम यह समस्या हल कर सकते हैं डा० रामाराव तथा उनकी पार्टी का यह नारा बन गया है । मैंने जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में बहुत से आंकड़े देखे हैं किन्तु मैं सोवियत रूस के आंकड़े नहीं देख सका हूं । यह कहीं उपलब्ध नहीं । डा० रामाराव ने जो कुछ कहा है उसका उन्हें तथ्य तथा आंकड़े पेश करके प्रमाण भी देना चाहिये था । यह सूचना हमें मिलनी चाहिये । अन्यथा यह कहना बेकार है कि सामूहीकरण से हमारा उत्पादन बहुत बढ़ जायगा तथा जीवन-स्तर ऊंचा होगा, यदि हम इस देश में जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो इसके बिना कोई चारा नहीं कि हम जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखें, इसका यही एक तरीका है ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : परिवार आयोजन को इतने संकीर्ण दृष्टि-कोण से नहीं देखा जा सकता । जैसा कि विरोधी दल के सदस्यों ने बताया, कि जब भी भारत के आर्थिक ढांचे में सुधार करने का प्रश्न हमारे सम्मुख आता है तो यही बताया जाता है कि यहां की जनसंख्या बहुत अधिक

[श्रीमती इला पालचौधरी]

है; किन्तु जीवनयापन के स्तर को ऊंचा उठाने की राह में यही एक बात रोड़ा नहीं अटकाती। मैं समझती हूं कि किसी भी मां को अपने बच्चे बुरे नहीं लगते। हो सकता है कि समाज और आर्थिक ढांचे की मजबूरियों से वह कभी कभी ऐसा अनुभव करती हो और बच्चों से तंग हो। हमें इस बात की आवश्यकता है कि इस समाज में हमारा राज्य ही बच्चों के पालन-पोषण का भार ले, और उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करे। आज के बच्चे ही भावी भारत का जनबल कहलाये जा सकते हैं। किन्तु इस समय होता क्या है? बच्चों की निगरानी नहीं होती और इस के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु बढ़ती जाती है और उनका आवारापन भी बढ़ता जाता है। मैं समझती हूं कि बच्चों के आवारापन का यही एकमात्र कारण है कि समाज के वयस्क सदस्यों का रवैया बहुत ही खराब है। जब ये बच्चे जेलों से छूट कर आते हैं, तो चूंकि वहां इनके सुधार के साधन नहीं होते, ये समाज विरोधी बन कर समाज पर एक बोझ बन जाते हैं। यदि हमारे देश में नौकरी की अधिक अच्छी व्यवस्था होती, अधिक अच्छे स्कूल होते और अधिक अच्छा जीवन-स्तर होता तो स्वभावतः परिवार आयोजन का अपना स्थान होता। निस्संदेह, पथप्रदर्शन की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, ताकि निरीह जनता ग़लत रास्ते पर न पड़े। ग़लत और बे सिर पैर विज्ञापनों पर आप प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम क्यों नहीं लागू करते इनसे समाज को कितनी अधिक हानि पहुंचती है। भारत देश में माता अपने शिशु के प्रति स्नेहभाव रखती है, और बहुत गर्व से उसका पालन-पोषण करती है। वह अपने बच्चे को 'बालगोपाल' के रूप में देखती है, और यही समझती है कि वह शिशु उसके घर की दीप्ति है और उसका कल्याण है। यह भी है कि जब तक हमारा राज्य बच्चों के पालन पोषण की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, तब तक यहां की जनता को पितृत्व तथा मातृत्व का कर्त्तव्य समझाने की आवश्यकता है। किन्तु वास्तव में हमें जो समस्या सुलझानी है वह यही है कि देश के सब बच्चों के लिए यह एक कल्याण राज्य हो जिसमें उन्हें प्राकृतिक देन और अधिकार मिलें, स्नेह प्रदान हो, उनका पालन-पोषण हो, उन्हें वस्त्र मिलें और शिक्षा मिल सके। यदि इस प्रकार के मातृत्व और पितृत्व में बच्चे का भरण-पोषण हो, तो माताएं इस बात का अनुभव करेंगी कि "कुल पवित्रम् जननी कृतार्था।"

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी–पश्चिम) : जनाब चेयरमैन साहब, मैंने अभी जो ऐमेन्डमेन्ट सुना उससे मैं हैरत में पड़ गई। यह ऐमेन्डमेन्ट जिसमें कि एक भाई ने कहा कि "production to be intensified" ["उत्पादन बढ़ाना"] है तो मेरा यह ख्याल हुआ कि वाक़ई जो प्रस्ताव यहां आया है उसमें कोई सीरियसनेस है या कि वह केवल मज़ाक है। मैं समझती हूं हमें यहां इस सवाल पर बहुत संजीदगी से विचार करना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मेरी बहन ने जो मुझ पर रिमार्क किया है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब यह था कि फैमिली प्लैनिंग.....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य बात का उत्तर दे रहे हैं या औचित्य प्रश्न पूछ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वह एक ऐसा तर्क पेश कर रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है।

श्रीमती उमा नेहरू : मेरे ऊपर तो यही असर पड़ा। लेकिन खैर, मुझे आज बहुत मुबारक देनी है अपने आनरेबुल भाई गिडवानी

साहब को जिन्होंने आज यह प्रस्ताव रक्खा है। लेकिन साथ ही यह प्रस्ताव जब वह लाये तो मैं सोच रही थी कि गिडवानी साहब जो कि शादीशुदा नहीं हैं उनको कहां से इतनी हिम्मत हुई। बहरहाल अगर उनकी जगह मैं होती तो मेरी हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी उनको मुबारक है कि उन्होंने आज इतनी हिम्मत करके और ऐसी खूबसूरती से बयान दिया है यहां पर कि फैमिली प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिये। फैमिली प्लानिंग का प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो हमको देश का पूरा नक्शा देखना पड़ता है। सारे नक्शे में से केवल एक फैमिली प्लैनिंग को हम ले लेते हैं, यह बात ठीक नहीं है।

असल बात यह है कि फ़ैमिली प्लानिंग के पहले सोशल प्लानिंग हुआ करता है। अगर हमारा सोशल प्लानिंग इस तरह का होता कि उसमें हमें दिक्कतें न होतीं तो शायद यह फ़ैमिली प्लानिंग का प्रश्न ही हमारे सामने न आता। लेकिन हालत यह है कि हमसे कहा जाता है कि जो जीव भगवान् के इस दुनिया में आते हैं वह अपनी गिज़ा भी अपने साथ लाते हैं। यह शिक्षा हमको दी गयी है। हम ने यह देखा है कि जो सीधी सादी जिन्दगी बसर की जाती थी उसमें एक रेस्ट्रेंट रहता था लेकिन हम अब यह देख रहे हैं कि आज कोई ब्रेक ही नहीं है। मुझे यह कहना नहीं है कि कैपीटलिस्ट स्टेट होनी चाहिए या सोशलिस्ट स्टेट होनी चाहिए। लेकिन इसमें शक नहीं है कि हमारी हालत यह है कि जो लोग हैं वह भूखे हैं, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं। हम यह भी देखते हैं कि अगर उनके पास रहने सहने को जगह नहीं है, उनके पास वस्त्र नहीं हैं, उनके पास मकान नहीं हैं तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि अगर हमारी स्टेट हमको यह चीज़ें प्रोवाइड कर दे तो हमको यह दिक्कत न हो। लेकिन हालत यह है कि वहां भी उसके लिए गुंजाइश नहीं है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि आजकल हालत यह हो रही है कि बच्चे कीड़ों की तरह पैदा हो रहे हैं। यह भी हमारे सामने है। साथ ही उनको हम भूखे मरते हुए भी देखते हैं। जब यह सवाल हमारे सामने आता है तो हमें यह ख्याल होता है कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारी कैपीटलिस्ट स्टेट है बल्कि इसलिए कि हमें जीवों को बचाना है। संसार में जीवों को लाकर उनको मरने देना बड़ा पाप है। यह सब ख्याल हमारे सामने आते हैं। लेकिन फैमिली प्लानिंग में दिक्कत यह है कि जिस तरह से फैमिली प्लानिंग बतलाया जाता है उस तरह से हो या किसी और तरह से हो। मैं समझती हूं कि इन दिक्कतों को समझने में हमारी गवर्नमेंट काफी काबिल है और साथ साथ गवर्नमेंट के मैडीकल आदमी भी हैं जो कि इन बातों को समझते हैं। गवर्नमेंट ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट इस प्रश्न को अपने तरीक़े से चलायेगी लेकिन अगर गवर्नमेंट के चलाने में कोई दिक्कतें हुईं कामयाबी नहीं हुई तो कोई वजह नहीं होगी कि गवर्नमेंट क्यों न दूसरा तरीका अख्तियार करे। मैं ऐसा नहीं समझती कि गवर्नमेंट बेखबर है उसको पता नहीं है और सिर्फ हमें ही होश आया है। जिनके पास खाना नहीं है, फलां चीज नहीं है तो बच्चे भी नहीं होने चाहिएं। यह सब चीज़ें सोचनीय हैं। यह बहुत पेचीदा सवाल है। एक दम से आप कहें कि फैमिली प्लानिंग से हम प्लान कर लेंगे कि एक बच्चा हो, दो हों या चार हों। यह बहुत मुश्किल है और यह बहुत सोचने की बात है। मेरे पास इस पर बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फैमिली प्लानिंग पर तो एक लम्बी डिबेट होनी चाहिए। उसके एक एक पहलू को समझना चाहिए। यहां तो उस पर खाली इज़हार, राय करना है और वह यह है कि

[श्रीमती उमा नेहरू]

मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पर क्योंकि सरकार के पास नरसेज़ हैं, डाक्टर हैं और सब चीज़ें हैं। वह इसको अच्छी तरह से समझती हैं। अगर हममें सरकार से ज़्यादा काबलियत है तो हम खुशी से अपनी राय दें और बतलायें कि वह क्या करे और क्या न करे। आज हमको इसका ख्याल इसलिए पैदा हुआ कि आज हमारे पास बच्चों की परवरिश करने और उन्हें ज़िन्दा रखने की, सहूलियतें नहीं हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: श्रीमान् यह एक साधारण मानवीय समस्या है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं डाक्टरी आधार पर बात करना नहीं चाहता और न ही अपने तर्क की पुष्टि के लिये किन्हीं महान व्यक्तियों के नाम लेना चाहता हूं। इस सदन के सभी सदस्यों को इस समस्या के बारे में अनुभव है।

बड़ी आय वाले अधिकारी से लेकर ग़रीब से ग़रीब आदमी तक सभी के लिये परिवार आयोजन अति वांछनीय है। हम योजना के युग में रह रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिय योजनायें बनाई जा रहीं हैं अतः मानव जीवन के कल्याण के लिये परिवार आयोजन अत्यावश्यक है। यदि भारत के पुराने इतिहास को देखा जाय तो जहां महाराज दशरथ के चार पुत्र थे, श्री रामचन्द्र के केवल दो ही पुत्र थे।

मेरा कदापि यह आशय नहीं है कि परिवार आयोजन सभी लोगों के लिये अनिवार्य होना चाहिय। न ही मैं इस सम्बन्ध में पश्चिमी साधनों के पक्ष में हूं। हमें तो केवल जनता को इस विषय में शिक्षित करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवन स्तर को उन्नत किया जाये।

हम चाहते हैं कि नगरों और ग्रामों में केन्द्र स्थापित किये जायें जहां लोगों को यह बाताया जा सके कि परिवार आयोजन की क्या आवश्यकता है।

प्रो० मैथ्यू (कोट्टयम): मैं इस संकल्प के उन आलोचकों से सहमत नहीं हूं जिनके मातानुसार इस के समर्थक दुर्भावना से प्ररित हैं तथा सम्भवतः हमें धोखा दे रहे हैं। किन्तु यह मैं अवश्य कहूंगा कि वे जो बल परिवार आयोजन पर दे रहे हैं वह अन्य साधनों अर्थात् खाद्यान्न बृद्धि, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं की अधिक उत्तम व्यवस्था आदि पर नहीं दे रहे।

मैं आपका ध्यान इस विषय के नैतिक पहलू की ओर दिलाता हूं। इस सम्बन्ध में मैं किसी महा पुरुष, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, का नाम लेकर किसी को प्रभावित करना नहीं चहता। तो भी गांधीजी की नैतिक धारणाओं की नितान्त उपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती। वे भी परिवार आयोजन के पक्ष में थे किन्तु आत्म संयम के आधार पर। कृत्रिम साधनों द्वारा संतति निग्रह के वे विरोधी थे। इस संकल्प में नैतिक संयम की ओर निर्देश नहीं है क्योंकि उस पर तो किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। इस संकल्प का निर्देश कृत्रिम साधनों पर आधारित परिवार आयोजन की ओर है जो प्रकृति के प्रतिकूल है। परिवार आयोजन के साधनों का अवलम्बन सर्व प्रथम पढ़े लिख लोग ही करेंगे, अन्य लोगों तक इनके पहुंचने में समय लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि भारत जैसे देश में जहां योग्य व्यक्तियों की पहले से ही कमी है उनकी और अधिक कमी हो जायेगी।

श्री राघवाचारी: मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं किन्तु कुछ रूप भेद के बाद साथ। मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि यह परिवार आयोजन की बात संसार की वास्तविक समस्याओं

को टालने की बात है। उत्पत्ति तो प्रकृति का उद्देश्य मात्र है और यही चीज़ मनुष्यों में भी पाई जाती है। सन्तान के बिना किसी स्त्री अथवा पुरुष का जीवन निरुद्देश्य ही रहता है।

"प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः"।

हमें श्राद्ध के लिये तथा वृद्धावस्था में अपनी रक्षा के लिये संतान की आवश्यकता होती है। अतः यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि हमें सन्तान नहीं चाहिये। वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाय तो कम सन्तान बनाने की अपेक्षा हमें अधिक अन्न उपजाने पर बल देना चाहिये। संसार महान है, वैज्ञानिक साधनों से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

किन्तु हमारे जीवन में संयम न रहने से हमारी प्रवृत्तियां केवल भोग विलास की ओर झुकी रहती हैं। दरिद्रता के फलस्वरूप भी सन्तानोत्पत्ति में बृद्धि ही होती है, अतः परिवार आयोजन की धारणा का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। इसके साथ ही यदि सोचा जाये तो गांधी और टैगोर अपने मां बाप के द्वितीय अथवा तृतीय बालक नहीं थे। यदि हमारे बड़ों ने परिवार आयोजन से काम लिया होता तो सम्भवतः हम इन महान आत्माओं से वंचित ही रहते। मैं केवल एक चीज़ पर जोर देना चहता हूं और वह यह है कि हम स्त्रियों पर जो अनिवार्य रूप से मातृत्व थोपते हैं यह कुछ अच्छा नहीं करते। इसके फलस्वरूप वह सदैव दुखी तथा रोग ग्रस्त रहती हैं। किसी मनुष्य पर कोई ऐसा दायित्व लाद देना जिसे निभाने की उसमें क्षमता ही न हो घोर अन्याय तथा पाप है। यह चीज़ बन्द होनी चाहिये, किन्तु उचित शिक्षा द्वारा तथा जीवन स्तर के सुधार से ही ऐसा किया जा सकता है। बनावटी साधनों के उपयोग से तो राष्ट्र के अध्याक तथा नैतिक पतन होने का डर है।

पंडित के० सी० शर्मा : करोड़ों वर्षों के निरन्तर संघर्षों, प्रयत्नों तथा सफलताओं-असफलताओं का सामना करके ही मनुष्य अन्त में उन्नति की इस अवस्था को प्राप्त कर सका है। इसी में उसकी महानता एवं सफलता झलकती है। मनुष्य ने इसी के बल से प्रकृति पर भी बहुत कुछ नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इतना होते हुए भी उन्नति का एकमात्र लक्षण यही नहीं कि उसकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जाय वरन् मेरी तो धारणा यह है कि यदि जन संख्या बढ़ती जायगी तो देश में अन्न की कमी, बीमारी तथा बेकारी आदि समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अर्थात् संतति निग्रह ही सर्वोत्तम उपाय है। धार्मिक एवं राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से यही उपाय उत्तम है क्योंकि जन संख्या चाहे थोड़ी ही हो किन्तु वह सुदृढ़, स्वस्थ्य तथा बुद्धिमान होनी चाहिये। इसके विपरीत कमजोर, रोगी तथा मूर्खों की अत्यधिक संख्या तो देश के लिये लाभदायक सिद्ध न होकर हानिकारक ही सिद्ध होगी।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि डा० रामाराव ने परिवार-आयोजन को पूंजीवादी उपाय किस प्रकार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के साधनों को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का ज्ञान नहीं है क्योंकि उस नियम के अनुसार हम किसी भी साधन को चाहे जितना बढ़ाते जायं किन्तु एक निश्चित सीमा के उपरान्त उत्पत्ति में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितना हम उस साधन पर व्यय करेंगे। इसी प्रकार देश के साधन सीमित होने के कारण हम जनसंख्या में यदि उत्तरोत्तर वृद्धि करते जायेंगे तो देश की आर्थिक दशा गिरती जायगी। यदि इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो भारत की

[श्री रघुरामय्या]

जनसंख्या १९७० में लगभग ५२ करोड़ हो जायगी । हमारे देश में तो यों ही जनसंख्या अधिक है, अतः हमें इस में वृद्धि करने के लिय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं ।

हम अपनी पंच वर्षीय योजना में देश के साधनों में वृद्धि करने की तथा जनसंख्या आवश्यकता से अधिक न बढ़ जाय इस की व्यवस्था कर रहे हैं । यह परिवार-नियोजन विदेशों में ही नहीं चल रहा है वरन् हमारे यहां भी पहले था । आर्थिक कारणोंवश हमें इस का सहारा लेना पड़ा । हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों ने भी पुत्रियों के स्थान पर अधिक पुत्रों का होना लाभदायक बताया है । इस का कारण केवल आर्थिक ही है किन्तु आजकल पुत्रों का दायित्व भी उतना ही रहता है जितना पुत्रियों का । अतः दोनों पर ही नियन्त्रण लगाने के लिये कहा जाता है। अतः मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं । परिवार नियोजन से ही हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं और यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो परिवार पर अनेक आर्थिक संकट रूपी मेघ, सदैव, मंडराते रहेंगे ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : हमारे देश की जनसंख्या ५० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है । यदि इस को रोकने का कुछ उपाय न किया गया तो देश की महान क्षति होगी । जो लोग इस सम्बन्ध में धार्मिक सिद्धान्त की बात कहते हैं वे धार्मिक न हो कर धार्मिक भावुकता में बहक जाते हैं । हमारे देश की तबाही का कारण धार्मिक भावुकता है धार्मिकता नहीं । चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें हमें जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिये कुछ न कुछ करना आवश्यक है । आज चूहों की भांति जो जनसंख्या बढ़ रही है इस का प्रभाव न केवल हमारी आर्थिक अवस्था और स्वास्थ्य पर ही वरन् जीवन-काल परभी पड़ रहा है । अतः इस सम्बन्ध में जनता को सावधान कर देने की आवश्यकता है नहीं तो इस का परिणाम बड़ा भयंकर होगा ।

इस सम्बन्ध में हमारे डाक्टर तथा वैज्ञानिक आदि जिन गर्भ-निरोधक उपायों की खोज करते हैं उन को व्यवहार में शीघ्र ही लाया जाना चाहिये ।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : मैं अपने २३ वर्षों के अनुभव के आधार पर तथा आज की नारियों तथा पुरुषों के विचारानुसार यह कह सकती हूं कि वे परिवार आयोजन के पक्ष में हैं वरन्, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष तो और भी अधिक इस के इच्छुक हैं । अतः समय आ गया है जब कि परिवार-आयोजन आवश्यक समझा जाने लगा है ।

आज आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिये आत्महत्या करने के उदाहरण हमें नित्यप्रति के जीवन में देखने में आ रहे हैं । अतः परिवार आयोजन से लोगों को कुछ न कुछ सान्त्वना मिलेगी ।

इस जन संख्या पर नियन्त्रण लगाने के लिये अभी तक कोई सफल योजना नहीं बनाई जा सकी है । आज का समय ऐसा है कि हमें निष्पक्ष रूप से बुद्धिवाद का सहारा ले कर और धर्म की चिन्ता न कर ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस से देश की सर्वांगीण उन्नति हो सके । राष्ट्रीय योजना समिति में भी यही कहा गया था कि जनसंख्या पर प्रतिबन्ध लगाना ही आवश्यक नहीं है वरन् गर्भ-निरोधक उपायों के द्वारा भी जनसंख्या की बढ़ती को रोकना है । अतः इस समस्या के लिये कोई हल ढूंढना अत्यन्तावश्यक है ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं ने बड़े ध्यान से इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने वाले लोगों का भाषण सुना और उन की विचारधारा

जानी । मेरी अपनी विचारधारा इस सदन में अनेक बार प्रकट की जा चुकी है ।

इस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं वरन् सामाजिक दृष्टिकोण से देना चाहती हूं, क्योंकि मुख्यतः यह एक सामाजिक प्रश्न है । अतः मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहती हूं कि यह समस्या ऐसी नहीं, जो सरकार को विदित न हो, किन्तु साथ ही मैं समझती हूं कि और यह कहना ठीक भी होगा कि भारत सरकार ही संसार में एकमात्र ऐसी सरकार है जो इस समस्या का सामना सरकारी आधार पर करने का प्रयत्न कर रही है । अन्य किसी भी देश की सरकार ने इस समस्या को अपने हाथ में नहीं लिया है ।

कुछ भी हो, बच्चों का पैदा करना एक नैसर्गिक क्रिया है और यह पति-पत्नी के बीच एक अत्यन्त घनिष्ट क्रिया है और कोई भी सरकार इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । अतः मैं सन्तति-निग्रह के समर्थकों के ऊपर ही इस बात का निर्णय छोड़ती हूं, जो यह कहते हैं कि सरकार जन संख्या की बढ़ती को रोकने का उपाय कर सकती है, कि सरकार क्या कर सकती है । वास्तव में सरकार इस में बहुत ही कम हस्तक्षेप कर सकती है । इस समस्या पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करना है ।

मैं उन मित्रों से पूर्णतया सहमत हूं जो यह कहते हैं कि यदि लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा कर दिया जाय तो जन्म-दर कम हो जाती है । सन्तति-निग्रह उपायों के समर्थक भी यहां हैं और विशेषकर वैज्ञानिक गर्भ-निरोध के, जिन का यह कहना है कि जनसंख्या की बढ़ती के कारण लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं किया जा सकता । मैं उन से सहमत नहीं हूं और यह समझती हूं कि यह स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है । ये स्तर ऊंचे उठाये जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जीवन-स्तर को ऊंचे उठाये जाने वाले परिणाम कुछ ही समय में अनुभव किये जायेंगे ।

जन-गणना आयुक्त ने जो चित्र प्रस्तुत किया है मैं उस से बहुत निराश नहीं हुई हूं । उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाने का यत्न किया है कि १९८१ में यह देश अपनी अन्तिम अवस्था पर होगा और यहां भुखमरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । मैं उनसे सहमत नहीं हूं । मैं समझती हूं कि हम सब इस का यथाशक्ति प्रयत्न करें कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो, और मुझे विश्वास है कि उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही हमारा जीवन-स्तर भी ऊंचा होगा ।

इस प्रश्न को हल करने के और भी उपाय हैं । अपने समाज का उदाहरण ले लीजिये मुझे नारी के नाते, यह देखकर कष्ट होता है कि कुछ स्त्रियां उचित समय से पूर्व ही मां बन जाती हैं । इस समस्या को सुलझाने का एक मार्ग यह भी हो सकता है । हमारे यहां के लोग इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिये वैज्ञानिक गर्भ-निरोधकों के अतिरिक्त अन्य उस से अच्छे उपायों की ओर न देख कर वैज्ञानिक गर्भ-निरोधक उपायों का सहारा क्यों लेते हैं ? हमें अपनी पुत्रियों का विवाह कुछ अधिक अवस्था में करना चाहिये और मैं इस का समर्थन करती हूं ।

अभी कुछ दिन हुए मैं एक लेख पढ़ रही थी, जिस में लिखा था कि यदि कन्याओं के—और लड़कों के भी—विवाह की आयु बढ़ा दी जाये तो जन्म-दर घट जायेगी । हमारी जनगणना रिपोर्ट में भी यही कहा गया है ;

हम से सदैव गर्भ-निरोधक उपकरणों के प्रयोग के लिए सिफ़ारिश की जाती है । किन्तु हम विवाह की आयु क्यों नहीं बढ़ा देते और इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं करते कि १५ से २० वर्ष तक की आयु वाली स्त्रियां बच्चे पैदा न करें । मैं ने कल ही एक समाचार-पत्र में पढ़ा कि एक २४ वर्ष की आयु वाला

[राजकुमारी अमृतकौर]

विद्यार्थी ८ बच्चों का पिता है । मुझे यह पढ़ कर बहुत दुःख हुआ । हमें इस देश में ऐसी चीज़ों को बन्द करना होगा ।

वर्तमान स्थिति को देखकर मुझे निराशा नहीं होती, किन्तु मैं समझती हूं कि इस में सुधार करना हमारा कर्तव्य है । बाहर के देशों में यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत और चीन की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है । मेरे विचार में हमें इस बात की इतनी चिन्ता नहीं होनी चाहिए जितनी कि खाद्य तथा दवाइयों के अपमिश्रण में वृद्धि और हमारे लोगों की इमानदारी में कमी के बारे में होनी चाहिए ।

मैं आप से कहना चाहती हूं कि गर्भ-निरोधक उपकरण, उन देशों में भी जहां ये बड़े पैमाने पर प्रयोग किये गये हैं, इतने लाभ-दायक नहीं सिद्ध हुए, जितना कि इन के समर्थक बतलाते हैं । मैं अपने देश के लोगों से कभी नहीं कहूंगी कि वे इस मामले में पश्चिम के देशों की नकल करें । कई देशों में तो इन का इतना अधिक प्रयोग किया गया है कि वहां की स्त्रियां बांझ हो गई हैं । इन से अनैतिकता बढ़ती है और फिर गर्भ-निरोधक उपकरणों के प्रयोग से देश को अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा । इस कारण भी यह तरीका उपयुक्त नहीं है । इस से अतिरिक्त हमारे लोग अशिक्षित हैं और यहां प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ।

मैं आप से और संकल्प के प्रस्तावक से यह कहना चाहती हूं कि भारत सरकार इस मामले पर पूरा ध्यान दे रही है । किन्तु आप को यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्तति-निग्रह के प्रयत्नों के परिणामों का कम से कम एक पीढ़ी तक पता नहीं लगेगा । यह ऐसा मामला है कि जिस में हम जल्दबाज़ी से काम नहीं ले सकते । हमें इस के गुणावगुण पर विचार करना होगा । इस देश में हमारे अनजान लोग सन्तति-निग्रह के हेतु ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सरासर हानिकारक हैं । हमें इन चीज़ों को रोकना है । मैं सदन से निवेदन करूंगी कि वह मुझे दो वर्ष का समय दे, जिस के बाद मैं उन तीन केन्द्रों के परिणाम बतला सकूंगी जहां मदनतरंग प्रणाली की, जो कि एक पुरातन प्रणाली है और जो हमारी भावनाओं और परम्पराओं के बिल्कुल अनुकूल है, शिक्षा दी जाती है ।

मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि वास्तव में आवश्यकता शिक्षा की है । सन्तति-निग्रह के प्राकृतिक साधन हमारे पास हैं । हम उन का प्रयोग क्यों नहीं करते ? गांधी जी भी गर्भ-निरोधक उपकरणों के विरुद्ध थे और मैं समझती हूं कि देश को उन के उपदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । सदन की इस मामले में क्या राय है, यह और बात है, किन्तु मैं स्वयं इन के पक्ष में नहीं हूं । जैसा कि मैं ने कहा है, सरकार ने फिलहाल परिवार आयोजन के लिए तीन प्रयोगात्मक केन्द्र स्थापित किये हैं । कुछ राज्यों में एच्छिक संस्थाएं काम कर रही हैं और हम उन से कहते हैं कि वे लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा दें । हम सब स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहां भी संभव है, इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम ने साहित्य प्रकाशित किया है और इस साहित्य में वृद्धि की जायेगी । गत मई में भारत सरकार ने एक परिवार आयोजन अनुसन्धान तथा कार्यक्रम समिति नियुक्त की थी । उस को उन सिफ़ारिशों को, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है, क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । आजकल प्रयोग की जाने वाली गर्भ-निरोधक वस्तुओं की जांच करने के लिए भी एक केन्द्र खोला गया है । हम उन वस्तुओं की सिफ़ारिश नहीं कर सकते जो कि स्वास्थ्य

के लिए हानिकारक हैं। ऐसा कोई प्राधिकारी होना आवश्यक है, जो कि बतलाये कि कौन सी वस्तुएं अच्छी हैं और कौन सी बुरी। यह काम भी शुरू किया जाना है। इस प्रकार का एक केन्द्र हम ने कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बम्बई में स्थापित किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि हम ने परिवार-आयोजन के महत्व को नहीं समझा। हम अवश्य यह चाहते हैं कि स्त्रियों का कष्ट दूर किया जाये और जो बच्चे पैदा हों वह देश के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हों, इस सम्बन्ध में वास्तव में अधिक उत्तरदायित्व स्त्री की अपेक्षा पुरुष पर है। यह पुरुष ही है जो पहल करता है। हम आत्म-संयम को तो भूल ही गये हैं या हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। यह इतना कठिन नहीं जितना कि कहा जाता है। मेरे विचार में यदि हम शिक्षा के लिए उचित केन्द्र खोलें, उचित सर्वेक्षण करें, मदनतरंग प्रणाली का अनुसरण करें और इस के साथ लोगों को अधिक पौष्टिक खाद्य देने और जीवन स्तर की व्यवस्था करें, तो इस दिशा में बहुत प्रगति की जा सकती है।

यह ठीक कहा गया था कि लोगों को शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिए। सरकार ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक केन्द्र खोला है। ये कर्मचारी स्त्री पुरुष दोनों को सलाह दे सकेंगे। मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि वे यह न समझें कि भारत के सब कष्ट इस की अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसी बात नहीं है। देश के बहुत से कष्टों का कारण गरीबी है। इसे दूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार अज्ञान को भी दूर करना पड़ेगा। ऐसा करने से सब ठीक हो जायेगा। मैं समझती हूं कि इस प्रकार के संकल्प की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसा कि मैं ने कहा है सरकार इस समस्या को बड़े उत्साह से हल कर रही है और माननीय प्रस्तावक ने जो कुछ कहा है, उस से अधिक कार्य कर रही है।

हमारा विचार है कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए विशेष पदाधिकारी का एक पद निकाला जाये। हम राज्यों से भी सम्पर्क रख रहे हैं और उन से पूछते रहते हैं कि वे इस मामले में क्या कर रहे हैं। उन के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर बैठक भी की जाती हैं। मेरे विचार में सरकार इस समस्या को क्रियात्मक रूप से हल कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यह तथ्य नहीं है। जितनी तेज़ी से अमेरिका की जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से भारत की नहीं बढ़ रही है और यहां का मृत्यु-दर बहुत अधिक है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वह बहुत निराश न हों। मैं उन से कहूंगी कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाने के बाद और दिल्ली में भी, वे लोगों से आत्म-संयम के लिए कहें। उन्हें ऐसे सामाजिक सुधार करने चाहिएं जिन से हमें इस समस्या को प्राकृतिक रूप से और बिना अधिक व्यय के हल करने में सहायता हो। उन्हें कन्याओं के विवाह की आयु बढ़ाने के लिए भी प्रचार करना चाहिए और प्रत्येक युवक से यह वचन लेना चाहिए कि जब तक वह कमाने नहीं लगेगा, वह विवाह नहीं करेगा।

जो आश्वासन मैं ने दिये हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प के प्रस्तावक से कहूंगी कि वे संकल्प को वापस ले लें।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : स्पष्टीकरण के हेतु। गर्भ-निरोधक वस्तुओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने अपना विचार विमर्श समाप्त कर लिया है और अपनी सिफ़ारिशें सरकार को दे दी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई थी। यदि माननीय सदस्य मेरे पास आयें, तो मैं उस की एक प्रति उन्हें दे सकती हूं। और सब जानकारी वे मुझ से ले सकते हैं। माननीय सदस्य जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं। मैं उन्हें इस प्रश्न के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी दे सकूंगी।

श्री गिडवानी : इस संकल्प का सदन के सभी दलों ने और विशेषकर महिला सदस्यों ने समर्थन किया है। इस प्रश्न का साम्यवाद या पूंजीवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता है। इसलिये इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि गर्भ-निरोधक दवाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को कुछ संकोच था और उन्हों ने इस का विरोध किया। फिर मैं यह नहीं समझ पाया कि पंच वर्षीय योजना में सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में उन विवाहित व्यक्तियों को, जिन्हें इस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता है, परिवार आयोजन के तरीकों को बताने तथा परामर्श देने की व्यवस्था करने वाले उपबन्ध का क्या अभिप्राय है।

राजकुमारी अमृतकौर : बहुत से तरीकों का प्रयोग किया जाता है जो कि गलत है। हम उन सब का सर्वेक्षण करेंगे, और-गर्भ निरोधक दवाओं के खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जिन्हें परामर्श की आवश्यकता होगी उन्हें परामर्श दिया जायगा। किन्तु सरकार गर्भनिरोधक उपकरणों की व्यवस्था नहीं कर रही है।

श्री गिडवानी : प्रश्न किसी विशेष तरीके का नहीं है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या परिवार आयोजन के इस कार्यक्रम में गर्भ-निरोधक दवाओं का प्रयोग सम्मिलित । आत्म संयम तरीकों से न तो यह समस्या हल होगी और न हमारा उद्देश्य ही पूरा होगा। आत्म संयम का तरीका प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता। विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने से तो कुछ लाभ हो सकता है। बन्ध्यीकरण भी लाभदायक तरीका है और इस का ऑपरेशन भी सरल होता है। यह सब भार स्त्रियों पर ही नहीं डालना चाहिये। मैं सन्तति निग्रह तरीकों को अच्छा समझता हूं और चाहता हूं कि सरकार को इस की सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं इस समस्या को अस्पताल या क्षय रोग के अस्पताल खोलने से अधिक महत्वपूर्ण जन कल्याणै सम्बन्धी समस्या समझता हूं। क्योंकि एक ओर तो आप अस्पताल खोल रहे हैं और दूसरी ओर हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि इस समस्या के सम्बन्ध में हमें जनता को सूचित करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमें अपने देश के लिये सब से सस्ते तरीकों तथा ऐसे उपयुक्त तरीकों का पता लगाना चाहिये जिस का स्वास्थ्य पर प्रभाव न पड़े।

मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि वह इस पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार न करें। उन्होंने गांधी जी के नाम से कुछ बातें कहीं। मैं भी गांधी जी का उद्धरण दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सदन की एक समिति नियुक्त की जाय जो इस मामले पर विचार करे, इस के सम्बन्ध में परामर्श दे और उपयुक्त तरीकों को चुने। उस के बाद इन तरीकों का जनता में प्रचार किया जाना चाहिये।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं ने जो आश्वासन दिया है उस को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह समस्या बहुत शीघ्र हल नहीं की जा सकती, मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं करेंगे।

श्री गिडवानी : जो आश्वासन दिये गये हैं उन को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने संकल्प को वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

संकल्प सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

केन्द्र में द्वितीय सदन सम्बन्धी संकल्प

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "इस सदन की राय है कि केन्द्र में द्वितीय सदन का होना बिल्कुल अनावश्यक है और संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जाये।"

द्विसदनीय विधान मण्डल प्रणाली वर्तमान युग के राजनीतिक विज्ञान की एक विशेषता है। श्री मेरियोट ने द्विसदनीय विधान मण्डल प्रणाली को अच्छा बताया है और इस का इस आधार पर समर्थन किया है कि बहुत से देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। किन्तु यह इस में उचित तर्क नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि अधिकांश राष्ट्र एक विशेष प्रणाली को मानते हैं तो क्या हमें भी उस प्रणाली का अनुसरण करना चाहिये ? संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ शासन में मिलने वाले राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से सीनेट प्रणाली चलानी पड़ी। किन्तु अमरीकी संविधान में द्वितीय सदन की प्रधानता तर्क-संगत नहीं है। यद्यपि द्विसदनीय विधान मण्डल प्रणाली विश्व के अधिकांश महत्वपूर्ण देशों में विद्यमान है फिर भी यह एक पुरानी प्रणाली है जिस से वर्तमान युग की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं।

संविधान में द्विसदनीय विधान मण्डल का उपबन्ध है। अनुच्छेद ७९ में यही बात कही गई है। दस बारह नामनिर्देशित सदस्यों को छोड़ राज्य परिषद् के सभी सदस्य विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का यह निकाय इस सदन की प्रतिष्ठा, शक्ति तथा गरिमा के लिये एक खतरा है। संसदीय लोकतन्त्र में जनता का शासन केवल उस सदन द्वारा चलाया जाना चाहिये जिस के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे डर है कि इस प्रकार की सामान्य चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। यह बातें संविधान बनाते समय सोची गई थीं। अच्छा होता यदि माननीय सदस्य यह बताते कि काम चलाने में विशेषकर कब और कैसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन की शक्ति पर प्रतिबन्ध रहा है। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, न ही यह कोई औचित्य का प्रश्न है। मेरा यह केवल सुझाव है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इन सब बातों का उत्तर दूंगा। कहा जाता है कि राज्य-परिषद् द्वारा विधानों की पड़ताल सी होती है और तेजी से बनाई गई या खतरनाक विधियों की रोकथाम होती है। परन्तु आज कितने मामलों में राज्य-परिषद् द्वारा विधियों का कोई निरीक्षण हुआ है ? सिवाय दो या तीन शाब्दिक संशोधनों के, परिषद् ने कभी भी इस सदन से अधिक बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई है। और यदि दूसरा सदन पहले के लिये पड़ताल या रोक का साधन है तो इस दूसरे की पड़ताल या इस के प्रति रोक का क्या साधन है ?

भारत के संविधान में वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विधेयकों को छोड़ अन्य विषयों के बारे में दोनों सदनों को समान अधिकार व शक्ति दी गई है। अनुच्छेद १०७ (१) में किया गया यह उपबन्ध बड़ा खतरनाक है और इस से लोक सभा के अधिकार तथा विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। गत दो वर्ष में दो विधेयक परिषद् में पारित हुए और हमारे पास अनुमति के लिये भेजे गये। इस

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

प्रकार यह सभा निरीक्षक सभा बन गई जैसा कि संविधान के निर्माताओं का, मेरी राय में, अभिप्राय अथवा उद्देश्य न था।

एक और बात है जिस पर इस सभा को ध्यान देना चाहिये। यदि आप देखें कि दोनों सदनों में विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा वर्गों का अनुपात कैसा है तो आप को मालूम होगा कि दोनों में एक ही दल का बहुमत है और दोनों में विभिन्न व्यावसायिक वर्गों के अनुपात में भी समानता है। अतः जो एक सदन में होगा वही बात दूसरे सदन में भी होगी क्योंकि जो जो प्रभाव यहां हैं, वे ही वहां भी हैं। इसलिये यह कहना कि एक सदन दूसरे के प्रति रोकथाम का काम करता है, गलत है। भविष्य में कभी यदि दो सदनों में राजनैतिक दलों के अनुपात में अन्तर पड़ जाये तो दोनों के बीच संघर्ष चलेगा कभी एकमतता न होगी और इस के परिणामस्वरूप लोकहित के विपरीत बातें होंगी।

कुछ सदस्य कहते हैं कि दो सदनों का होना इसलिये आवश्यक है यह सभा जन-साधारण का प्रतिनिधित्व करती है और परिषद में राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिमानों का प्रतिनिधित्व होता है। मैं समझता हूं कि इस तर्क में कोई ठोस बात नहीं है। मैं ने लोक सभा के बारे में कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं और मैं यह कह सकता हूं कि यहां जो जन-प्रतिनिधि हैं वे काफी योग्य तथा दक्ष हैं और राजनीति के मामलों में उन्हें बाहरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। ५०० सदस्यों में से ६३ ऐसे हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे, ८१ भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, १४७ राज्य विधान सभाओं के सदस्य थे, ८८ नगरपालिकाओं के, ५० ज़िला बोर्डों के और १० पंचायतों के सदस्य रह चुके हैं। अर्थात् ४४३ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में सार्वजनिक जीवन तथा विधान कार्य का अनुभव प्राप्त है। ५३ सदस्यों ने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की है, ३२० विश्व-विद्यालयों में पढ़े हैं, ४८ इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं, ४८ ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है और १३ मिडल तक पढ़े हैं और १ ने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है। सभा के १७२ सदस्य वकील हैं। यदि आप इन आंकड़ों की ओर ध्यान दें तो आप को ज्ञात होगा कि इस सभा में पर्याप्त योग्यता तथा कार्यपटुता वाले सदस्य हैं और बिना किसी बाहरी सहायता के वह विधान-कार्य भली भांति निभा सकते हैं। दूसरा सदन अनावश्यक तथा लाभहीन है।

मैं एकसदनीय विधानमंडल पर इस लिये जोर देता हूं कि हमारे देश में विधान-कार्य के सम्बन्ध में द्विसदनीय पद्धति प्रभावी कृत्य करने में असफल रही है। एक सदनीय विधान-मंडल रखने से सरकार की विधान शाखा के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही नगरिकों के वैयक्तिक अथवा सामूहिक राजनैतिक अधिकारों को कोई खतरा है। मैं जो सुधार करने का सुझाव देता हूं उस का आशय केवल यही है कि विधान की व्यवस्था आधुनिक बन जाये और इस की रूप रेखा तथा ढांचा सरल बन जाये ताकि विधि-निर्माता आधुनिक परिस्थितियों में अपना काम अति प्रभावपूर्ण ढंग से कर पायें।

मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प पर गम्भीर विचार करें और इस विषय के महत्व को न भूलें। यह सारे राष्ट्र का प्रश्न है कि हमें एक सदन चाहिये या दो। मैं यह संकल्प प्रस्तुत करने से दूसरे सदन या उस के सदस्यों के प्रति कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। जब तक दूसरा सदन विद्यमान है वह हमारे आदर का पात्र है: मैं अधिक उदाहरण नहीं देना चाहता, परन्तु यदि थोड़े ही देशों ने एकसदनीय विधान मण्डल चलाया है वह सफल रहे हैं। नेब्रास्का एक राज्य है जहां यह

सफल रहा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि इस सदन की राय है कि केन्द्र में द्वितीय सदन का होना बिल्कुल अनावश्यक है और संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जाये।"

कई संशोधन रखे गये हैं परन्तु इन में से लगभग सारे नियमविरुद्ध हैं। कुछ संशोधन तो प्रस्तुत संकल्प का सर्वथा विरोध करते हैं और कुछ उसी को दोहराते हैं। श्री राजभोज के संशोधन में राज्यों का भी निर्देश है जो असंगत है। अन्यथा यह संशोधन मूल संकल्प को ही दोहराता है। मैं केवल तीन संशोधनों की अनुमति देता हूं। वे हैं श्री एस० एन० दास का संशोधन संख्या ५, श्री एस० सी० सामन्त का संशोधन संख्या १०, और श्री साधन गुप्त का संशोधन संख्या १४।

श्री एस० एन० दास ने अपना यह संशोधन सभा के सामने रखा कि एक उच्च समिति नियुक्त की जाये जो भारत संसद् के काम का परीक्षण करे तथा लोकमत की भी जांच करे जिस से यह पता लगाये कि केन्द्र में द्वितीय सदन की आवश्यकता हैं या नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त ने अपना यह संशोधन रखा कि भविष्य में केन्द्र अथवा राज्यों में द्वितीय सदन की आवश्यकता है या नहीं, इस सम्बन्ध में लोकमत जान लिया जाये।

श्री साधन गुप्त ने अपना यह संशोधन रखा कि मूल संकल्प के अन्त में "with a view to abolish it" ["इस को समाप्त करने के दृष्टिगोचर"] शब्द जोड़ दिये जायें।

सारे संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प पर चर्चा आरम्भ हो जाये। प्रत्येक सदस्य १० मिनट लेगा।

श्री साधन गुप्त : मैं संकल्प के प्रस्तावक की राय का सर्वथा समर्थन करता हूं। मैं ने संशोधन इस उद्देश्य से रखा है कि संकल्प परिपूर्ण तथा प्रभावी हो जाये।

मैं विशेषज्ञों के उद्धरण नहीं देना चाहता कि द्वितीय सदन किस प्रकार अवांछनीय है। द्वितीय सदन अधिकांश देशों में ऐतिहासिक कारणों से बना है। जनता के दो वर्गों में संघर्ष रहा है। एक शोषनकारी प्रतिक्रियावादी वर्ग चाहता रहा है कि उस की सत्ता बनी रहे और एक नया प्रगतिवादी वर्ग इस सत्ता को लेने की कोशिश करता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है। माननीय सदस्य संकल्प के लिये निश्चित अगले दिवस पर अपना भाषण जारी रखेंगे।

इस के पश्चात् सभा सोमवार २२ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—31—PSD 14-7-54—